राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ११] द्वितीय विधान सभा के ग्यारहवें सत्र, १९६१ का अष्टम् दिवस [संख्या ६

शुक्रवार, दिनांक १८ सितम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[उद्योग सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, विद्युत, राजस्व योजना एवं देवस्थान-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

कोटे (Quota) के मालकी चोर बाजारी

१५३. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(क) उद्योग विभाग की जानकारी में किन किन व्यक्तियों अथवा फैक्ट्रीज व फर्म्स ने किस किस वर्ष के कितने कितने कोटे के किस किस माल का ब्लैक मार्केट किया है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखी जाये।

(ख) उपरोक्त जानकारी सरकार अथवा विभाग को कब कब मिली ?

(ग) क्या यह सही है कि जानकारी मिलने पर भी कई व्यक्तियों को अथवा फर्म्स को कोटे का परमिट दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और किन किन को ?

(घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त सम्बन्धित व्यक्तियों ने कोटा प्राप्त करने के लिए प्रोडक्शन के आंकड़े विभाग में प्रस्तुत किये थे ? यदि हां, तो इन आंकड़ों का किस किस अधिकारी द्वारा किस प्रकार से वेरीफिकेशन किया गया ?

(ङ) उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) उद्योग विभाग की जानकारी में भरतपुर की एक फैक्ट्री के खिलाफ कच्चा माल बाजार में बेचने की शिकायत आई। इसके खिलाफ पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन जिन व्यक्तियों व फर्म द्वारा कोटा के माल का सही उपयोग करने का संतोषप्रद एवं उचित हिसाब न दिये जाने पर विभाग द्वारा उनका कोटा बन्द कर दिया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इसकी जानकारी विभाग को अप्रेल-

Page No.2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सितम्बर, १६६० व अक्टूबर-मार्च १६६१ के पीरियड में मिली।

(ग) जिन व्यक्तियों का कोटे का माल सही उपयोग नहीं होना पाया गया उनके कोटा के सर्टिफिकेट बन्द कर दिये गये हैं।

(घ) प्रोडक्शन के आंकड़े जो प्रस्तुत किये गये वे सही नही पाये गये। वेरीफिकेशन केश बुक, प्रोडक्शन रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर स्टॉफ रजिस्टर, अटेन्डेन्स रजिस्टर. जॉब कार्डस व आर० आर० आदि से जिला उद्योग अधिकारी, सहायक संचालक उद्योग व संचालक, उद्योग विभाग द्वारा किये गये थे। बहुधा ये रजिस्टर रखे ही नहीं गये, यदि थे तो नियमित और संतोषप्रद नहीं थे। अत: उनका कोटा बन्द कर दिया गया।

(ङ) इसका जवाब ऊपर आ चुका है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री **भैरोंसिंह** : आपने इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया है कि जिन व्यक्तियों का कोटे का माल सही उपयोग नहीं होना पाया गया उनका कोटा के सर्टीफिकेट्स बन्द कर दिया गया है तो उस सम्बन्ध में सरकार को क्या जानकारी मिली कि जो कोटा मिला उसका प्रोडक्शन हुआ या ब्लैक मार्केट हुआ ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : आपके इसके पहले सवाल के जवाब में बताया है कि विभाग की जानकारी में भरतपुर की एक फैक्ट्री के खिलाफ कच्चा माल बाजार से बेचने की शिकायत आई। इसके खिलाफ पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन जिन व्यक्तियों व फर्म्स द्वारा कोटा के माल का सही उपयोग करने का संतोषप्रद एवं उचित हिसाब न दिया गया, विभाग द्वारा उनका कोटा बन्द कर दिया गया है।

श्री **भैरोंसिंह** : इसमें हिसाब पेश नहीं किया गया, यह शिकायत थी या प्रोडक्शन नहीं किया यह शिकायत थी ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : शिकायत जिस प्रकार की थी उसकी जांच करने के लिए यही तरीका है कि उनसे अकाउन्ट्स मांगे जाते हैं और अगर किसी के अकाउन्ट्स सेटिस्फेक्ट्री नहीं मिलते तो उससे यह प्रिज्यूम तो नहीं हो सकता कि उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग कर दिया, because for a conviction in a criminal offence, you have to prove the offence against the accused, और उसके लिए एवीडेन्स चाहिए। डिपार्टमेन्टल एक्शन लिया जा सकता था तो वह एक्शन यही लिया गया कि उनका कोटा आइन्दा के लिए बन्द कर दिया गया ?

श्री **भैरोंसिंह** : एक फर्म जिसका आपने पुलिस में मामला दिया उस फर्म का क्या नाम है ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी थोड़ी देर में आपको जानकारी दे दूंगा कि फर्म का क्या नाम है।

श्री **भैरोंसिंह** : तो अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन कर दिया जाय। इसके बारे में तो बहुत जानकारी लेनी और बहुत प्रश्न पूछने हैं।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : You can ask me any question. Name of the firm I will just let you know. I will just find out, because there is a long list.

श्री **भैरोंसिंह** : और भी बातें इसमें हैं।

Page No.3

(श्री भैरोंसिंह)

नाम नहीं हैं तो कोई, बात नहीं वह आप बाद में बता देना। क्या सरकारी नियमों के अनुसार यदि सरकार के सामने संतोषजनक आंकड़े प्रोडक्शन के पेश नहीं किये जायें तो सरकार इस मामले की जांच करती है कि कच्चे माल का कहीं ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं किया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, करती है।

श्री भैरोंसिंह : तो जिन मामलों में संतोषप्रद आंकड़े नहीं आये तो क्या उन मामलों में सरकार ने जांच कर ली और फिर इस नतीजे पर पहुँची है कि हां इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग नहीं किया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : नतीजे पर पहुँची या नहीं पहुँची यह दूसरी बात है लेकिन सरकार इस बात पर जरूर पहुँची है कि उन्हों ने संतोषप्रद अकाउन्ट्स पेश नहीं किये इसलिए हो सकता है कि उनका हिसाब बाकायदा रखा हुआ न हो पर यह तो प्रिजम्शन नहीं हो सकता कि उसने ब्लैक मार्केट किया ही हो। प्रिजम्पशन के ऊपर तो किसी का कन्विक्शन नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी कहा कि जिन्होंने अकाउन्ट्स सही पेश नहीं किये हैं तो सरकार जांच करती है तो ऐसे मामलों में क्या सरकार की डेफीनिट ओपीनियन है कि जिन्होंने अकाउन्ट्स के मामले सही पेश नहीं किये उन्होंने ब्लैक मार्केट नहीं किया?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि इससे दो ही कयास निकल सकते हैं, एक तो कयास यह हो सकता है कि सही आंकड़े पेश नहीं होने के कारण यह समझा जाये कि ऐसे मामले में ब्लैक मार्केट हो सकता है या फिर दूसरा कयास यह हो सकता है कि गफलत या लापरवाही से अकाउन्ट्स प्रोपर नहीं रखे हों। लेकिन सरकार यदि इस निश्चित राय पर पहुँच जाये कि हां, इसने ब्लैक मार्केटिंग ही किया है तो उस हालत में मामला पुलिस को दे देते हैं और अगर ऐसी निश्चित राय पर सरकार नहीं पहुंचती तो उसका कोटा केन्सिल कर दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कोटा का केन्सलेशन केवल अकाउन्ट्स पेश ठीक तरह तरह से नहीं करने के कारण नहीं, बल्कि ब्लैक मार्केटिंग से कच्चा माल फरोख्त करने के सम्बन्ध में, किया जाता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां both the things. वैसे डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : तो यह मानकर चला जाये कि सरकार की अब तक की जानकारी के अनुसार जिन्होंने कच्चे माल का कोटा लिया था अब तक की इन्फॉर्मेशन के अनुसार उन्होंने ब्लैक मार्केट नहीं किया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपके मानने का अधिकार है। अगर संतोषप्रद अकाउन्ट्स पेश नहीं किये हैं तो ब्लैक मार्केट भी कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या जोधपुर की आईवरी एण्ड प्लास्टिक मेनुफेक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने शिकायत पेश की है कि इस सोसाइटी

Page No.4

(श्रीश्री भानसिंह)

ने अपने अकाउन्ट्स ठीक तरह से पेश नहीं किये हैं और जो आबरी का कोटा उसने लिया है वह ब्लैक मार्केट किया गया है और आपने फर्म का नाम क्यों नहीं लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है।

श्री श्रीभानसिंह : जब मेम्बर्स कोआपरेटिव सोसाइटी से कम्पलेन्ट करते हैं कि कई सदस्यों ने ब्लैक मार्केट किया है तो आपने इसकी इन्क्वायरी क्यों नहीं कराई ?

श्री अध्यक्ष : जब कि इसकी सरकार के पास शिकायत आई तो क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सवाल पूछा गया कि उद्योग विकास की जानकारी में किन किन व्यक्तियों अथवा फैक्ट्रीज व फर्म्स ने किस किस वर्ष के कितने कितने कोटे के किस किस माल का ब्लैक मार्केट किया है। This is what you say. आप अब इन्फार्मेशन दे रहे हैं, which is not in the list.

श्री श्रीभानसिंह : But why it is not in the list ?

श्री दामोदरलाल व्यास : But I say I do not accept your statement at all. If you give me...

श्री श्रीभानसिंह : I am not giving you information. The information is already with the Director of Industries. Why is it not included ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not necessary.

श्री श्रीभानसिंह : It is necessary when the complaint is lodged.

श्री दामोदरलाल व्यास : But that is your version.

श्री श्रीभानसिंह : I cannot accept the list.

श्री दामोदरलाल व्यास : It does not matter.

श्री भैरोंसिंह : यह जो लिस्ट पेश की गयी है, क्या यह लिस्ट सरकार की अब तक की जानकारी के अनुसार, जितनों ने भी ब्लैक मार्केटिंग किया है उनके नाम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो उनका मामला पुलिस में क्यों नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको समझा दिया।

श्री भैरोंसिंह : समझने की जरूरत नहीं। यह ब्लैक मार्केट करने वालों की लिस्ट है जब आपने एक फर्म को ब्लैक मार्केट करने के कारण पुलिस को उसका मामला दे दिया तो दूसरों को क्यों नहीं पुलिस के हवाले किया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कह चुके हैं कि जब उनके खिलाफ पूरी तरह साबित नहीं हो जाता तो उनका कोटा केन्सिल कर दिया जाता है और पूरी तरह साबित हो जाने पर मामला पुलिस को दे दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : मंत्रीजी एक बार तो कुछ कहते हैं और दूसरी बार में कुछ और कहते हैं।

Page No.5

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कह दिया है. I have fully explained 'black-marketing' and 'not keeping proper accounts,

श्री श्रीभानसिंह : आपका यह कयास है कि it is not keeping proper accounts. In this, there is a category 'not keeping proper accounts.' इसमें किसकी लिस्ट है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि जिनके खिलाफ यह साबित हो गया कि ब्लैक मार्केट किया है उनका केस पुलिस में दिया गया है और जिनके खिलाफ यह साबित नहीं होता है तो उनका कोटा कन्सिल कर दिया जाता है ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउन्ट्स गवर्नमेन्ट ने चैक कर लिये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर आप नोट करायेंगे तो जरूर ऐसा होगा ।

श्री श्रीभानसिंह : It is not my duty to give complaints in the House. The complaint is already with the Director. If the Hon'ble Minister wants it I have got my copies with me.

श्री दामोदरलाल व्यास : I would be glad if copies are given to me.

श्री अध्यक्ष : जरूर होगी जांच इसकी ।

श्री श्रीभानसिंह : जब ऑलरेडी कम्पलेन्ट डाइरेक्टर के पास मौजूद है कि आईवरी का ब्लैक मार्केट किया गया है और बहुत से सदस्य जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर हैं तो यह कम्पलेन्ट होते हुए लिस्ट के अन्दर इसका नाम क्यों नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष : जांच होगी तब इस लिस्ट में नाम आयेगा। अभी तो कम्पलेन्ट आई है, जांच नहीं की गयी है ।

श्री श्रीभानसिंह : कम्पलेन्ट तो बहुत पहले आ चुकी है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is only an allegation. Well, my assurance is subject to his giving me that complaint.

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज ने मना कर दिया तो I will give you.

श्री दामोदरलाल व्यास : Why not give me a copy, so that fresh orde may be issued ?

श्री श्रीभानसिंह : Why not the Hon'ble Minister......

श्री दामोदरलाल व्यास : Why, I will issue proper instructions.

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : शाहपुरा के प्रधान और बी० डी० ओ० ने राज्य सरकार से शिकायत की है कि वहां की एक कृष्णा आइल मिल है जो बराबर कोटा उठाती है और इस नाम की वहां कोई फर्म ही नहीं है, तो पता नहीं यह कोटा कहां जाता है ? उसके बाद में यहां से मालूम पड़ता है कि कोटा उठा लिया जाता है, लेकिन उसका भी इस लिस्ट में नाम नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन फर्म्स के अलावा और भी ऐसी फर्म्स हैं जिन फर्म्स के बारे में सरकार इस बात को जांच कर रही है

Page No.6

(श्री भैरोंसिंह)

कि उन्होंने कोटे के मेटिरियल का दुरुपयोग किया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि रोज शिकायत आती है और रोज जांच होती है और जांच होने के बाद यह एस्टेब्लिश हो जाता है कि ब्लैक मारकेटिंग किया है तो एक्शन लेते हैं। जिन्होंने प्रोपर अकाउन्ट्स नहीं रखे हैं वह इसी लिस्ट में दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जो लिस्ट दी गई है वह प्रोपर अकाउन्ट्स के बारे में जिनकी शिकायत थी उनकी है, क्या उनके इन मामलों में जांच की गई है कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेन्ट है, कम से कम यह तो मालूम हो कि....

श्री अध्यक्ष : आपने दो-तीन दफा पूछ लिया और जवाब दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन बिल्कुल पर्टिक्युलर है कि जिनके बारे में प्रोपर अकाउन्ट्स की शिकायत है, क्या उनके बारे में जांच करवा रहे हैं कि उन्होंने कोटे का ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : वह तो जांच हुई होगी।

श्री भैरोंसिंह : वह होती कहां है ? कहते क्यों नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : कोई शिकायत आती है तो सारी जांच होती है।

अगर कोटे का मिसयूज या नॉन-युटिलाइजेशन हुआ तो वह इस लिस्ट में आ गया है। अगर निश्चित तौर से यह साबित हो जाता है कि इसमें ब्लैक मार्केटिंग हुआ है तो पुलिस में देकर आगे कार्यवाही करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जिनकी प्रोपर अकाउन्ट्स की शिकायत थी, मैं मान कर चलता हूँ कि कोटे के ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत नहीं थी, तो क्या सरकार जांच करवा रही है कि दोनों में से क्या है ? वह तो कयास पर ही कह रहे हैं कि यह भी कयास हो सकता है तो सरकार का कयास क्या है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार का कयास स्पष्टतः जाहिर किया है। जांच होती है और ब्लैक मार्केटिंग साबित होता है तो एक्शन लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : वह तो ठीक है परन्तु लिस्ट दी है वह प्रोपर अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं करने की शिकायत है, तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि प्रोपर अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं करने के साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग करने की शिकायत थी तो क्या सरकार ने जाच करवा ली है या खाली कयास है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय. मैंने स्पष्ट किया है, लेकिन माननीय सदस्य ने समझने की कोशिश नहीं की है। जब इस प्रकार की शिकायत होती है कि इस फर्म ने ब्लैक मार्केटिंग किया या नहीं तो जांच होती है और जांच के अन्दर जितनी इन्क्वायरी करनी होती है तो ऑफिसर एन्क्वायरी करता है। इसमें ये दोनों बातें शामिल होती हैं कि जो कोटा लिया है उसका प्रोपर अकाउन्ट प्रोड्यूस करें। अगर प्रोपर अका-

Page No.7

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उन्ड्स प्रोड्यूस नहीं करता है और दूसरे एवीडेन्स से यह साबित हो जाता है कि beyond all shadow of doubt, है तो यह बिल्कुल पुलिस केस बन सकता है और चालान होकर कन्विक्शन हो सकता है तो वह ब्लैक मार्केटिंग एस्टेब्लिश हो जाता है । तो केस पुलिस को दिया जाता है, लेकिन जिनमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं किया है और केवल गफलत, लापरवाही और बेवकूफी की वजह से प्रोपर अकाउन्ट्स नहीं रखे तो उसका कोटा बन्द कर दिया जाता है । फर्स्ट केस में एस्टेब्लिश होने पर पुलिस को दे दिया जाता है और चालान किया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या चालान होकर सजा हो जाय उस हालत में आप ब्लैक मार्केटिंग मानते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सजा होने के काबिल है ।

श्री भैरोंसिंह . जो कोई ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं और सजा होने के काबिल हैं उनका ही चालान करते हैं । आपका मतलब यह है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : It goes without saying. If there is no evidence, it will not be challenged.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सांचोर-रानीवाड़ा सड़क

१५४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जालोर में सांचोर से रानीवाड़ा जाने वाली सड़क किस श्रेणी की है और उस पर सन् १६५७ से आज तक प्रत्येक वर्ष में कितने कितने रुपये खर्च हुए हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि बरसात के दिनों में काफी दिन आवागमन सड़क खराब होने से बन्द हो जाता है ?

(ग) क्या सरकार इस सड़क को मेटल्ड रोड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चंद्र): (क) और (ख) यह ग्रेवल रोड है । सन् १६५७ से ६१ तक नवीन निर्माण में कोई धन-राशि व्यय नहीं की गई है । अधिक वर्षा में आवागमन में कठिनाई होती है ।

(ग) जी नहीं । अर्थाभाव के कारण ।

श्री लक्ष्मीचन्द : कब तक पूरा करने का विचार रखते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जैसे जैसे पैसा मिलता जायगा वैसे वैसे बनती जायगी ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने जब कि केबिनेट जालोर गई थी यह एनाउन्समेंट किया था कि सांचोर से जोधपुर जाने वाली रोड को वाया रानीवाड़ा से उसको मेटल्ड रोड करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां ।

श्री लक्ष्मीचन्द : फिर उसका सिलसिला कब से स्टार्ट हो रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने आपसे अर्ज किया

Page No.8

(श्री हरिश्चन्द्र)

कि जैसे जैसे पैसा मिलता जायगा वैसे वैसे बनाने की कोशिश की जायगी।

पब्लिक लाइब्रेरी, बीकानेर को पुस्तकें

१५५. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पब्लिक लाइब्रेरी बीकानेर: में ३१ मार्च, १६५२ से ३१ जुलाई, १६६० तक कितनी किताबें गुम हुई, कितनी किताबों का मूल्य जमा कराया गया तथा कितनी किताबें अब तक गुमशुदा सूची में हैं? कृपया प्रत्येक वर्ष की पृथक् पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या यह सत्य है कि लाइब्रेरी नियमों का बीकानेर पब्लिक लाइब्रेरी में पालन नहीं होता है तथा वहां की पुस्तकें लाइब्रेरियन की इच्छानुसार दी जाती रही हैं? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(ग) यदि नहीं, तो कृपया यह बतलावें कि वहां के लाइब्रेरियन अपने नाम पर कितनी किताबें ले सकते हैं तथा उन्होंने पिछले चार वर्षों में कितनी कितनी तथा किस किस विषय की पुस्तकें नियमों का उल्लंघन करके अपने नाम से ली हैं तथा कितने कितने समय तक रखी हैं?

(घ) सन् १६५८ से १६५६ तक के सत्र में उक्त पुस्तकालय में 'शिक्षा' विषय की कितनी पुस्तकें थीं तथा वे उस सत्र में किस किस के नाम से कितने कितने समय रहीं? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(ङ) कौन कौन सी पुस्तक उक्त पुस्तकालय के सदस्यों के नाम से अथवा सरकारी अधिकारियों के नाम से इश्यू की हुई हैं तथा वे लम्बी अवधि से जमा नहीं हुई हैं? कृपया सूची, पुस्तक का नाम, इश्यू होने की तिथि तथा सदस्य के नाम सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) पब्लिक लाइब्रेरी बीकानेर के वार्षिक स्टॉक-चैकिंग के रिकॉर्ड के अभाव में सन् ५२ से ६० तक की प्रत्येक वर्ष की खोई हुई पुस्तकों की सूची भेजना संभव नहीं है। सन् ५८ में विभागीय चैकिंग की रिपोर्ट के अनुसार पुस्तकालय में उस समय अप्राप्य पुस्तकों की संख्या १६५५ थी जिनकी कीमत करीब ५०००) आती है। पुस्तकालय में सीधी पहुँच (open access) की सुविधा पाठकों को दी जाती है। वहां पुस्तकें खोने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अच्छे से अच्छे संचालित पुस्तकालयों में पुस्तक आदान-प्रदान की संख्या पर अधिकाधिक ४ या ३ प्रतिशत पुस्तकों का खोना संभावित समझा जाता है। करीब १० वर्ष से अधिक तक की लम्बी अवधि में जहां प्रत्येक वर्ष ५ अङ्कों तक से अधिक पुस्तकों का आदान-प्रदान रहता है वहा १०००, १५०० पुस्तकों का खो जाना संभव है।

(ख) पुस्तकालय में पुस्तकों के लेन-देन के नियमों का पालन प्रायः होता रहा है।

(ग) प्रत्येक सदस्य की तरह पुस्तकालयाध्यक्ष भी अपने सदस्यता पत्र पर १४ दिन के लिये दो पुस्तकें एक साथ ले सकता है। रिकार्ड के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय से किताबें नहीं ली पाई जाती हैं।

(घ) सन् ५८-५६ में शिक्षा" विषय पर पुस्तकालय में ७० पुस्तकें थीं। पुस्तकालय

Page No.9

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

में प्रचलित लेन-देन व्यवस्था के अनुसार यह बताना संभव नहीं है कि किस किस ने कौन कौन सी पुस्तक कब कब ली। आधुनिकतम पुस्तकालय विज्ञान पर संचालित किसी भी पुस्तकालय के लिये ऐसी सूचना देना प्रायः संभव नहीं होता।

(ङ) पुस्तकों की सूची जो निश्चित समय पर नहीं लौटाई गई, साथ में संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने बताया कि पुस्तकें गुम हो जाना स्वाभाविक था, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में नियम बना रखे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि जहां पर लाइब्रेरी सब के लिए आपन हो और कोई भी व्यक्ति जो पुस्तकें लेना चाहे या पढ़ना चाहे वह वहां किताबों की सेल्फ तक जा सकता हो तो यह अनुभव के आधार पर माना जाता है कि ३-४ प्रतिशत उसमें पुस्तकें खो जाती हैं, तो उसके अनुसार इतनी ही पुस्तकें उसमें खोई हुई हैं।

श्री भैरोंसिंह : अगर सरकारी तौर से यह अनुभव किया हो तो क्या इस सरकारी स्तर के अनुभव को सक्यूलर या किन्हीं रूल्स में लिख छोड़ा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अनुभव की बात है. लिखने की बात नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : But that must be your personal experience, not genera and not Govenment's experience.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No pleasce This is the experience of all the people who run libraries and not my own exrerience.

श्री श्रीभानसिंह : That university must have suffered terribly in which you were a student.

श्री उपाध्यक्ष : Not more than 3 or 4 per cent.

श्री भैरोंसिंह : यह आपने बताया कि १६५७ पुस्तकें कम हुई हैं ५,०००) रु० की कीमत की; तो क्या इस तरह की कमशुदगी को सरकार वाजिब समझती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इतनी तो आम तौर से खो जाती हैं। जब तक हमको यह मालूम न हो जाय कि किसी अमुक व्यक्ति ने चोरी की है या उसकी लापरवाही से हुई है, ऐसा नहीं हो तब तक आम तौर से कॉलेजेज युनिवर्सिटी और बड़ी लाइब्रेरीज में यह माना जाता है कि वे खो सकती हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल तो बिल्कुल छोटा सा है कि १६५७ पुस्तकें जो गायब हुई हैं उनका क्या सरकार वाजिब समझती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक भी किताब खोना वाजिब नहीं समझती, लेकिन कुछ खो जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल तो सिर्फ

Page No.10

(श्री भैरोंसिंह)

इतना सा है कि १९५७ पुस्तकें जो खोई हैं उनको सरकार वाजिब समझती है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने कहा कि एक किताब भी गुम होना वाजिब नहीं समझते हैं, लेकिन मुश्किल है, खो जाती हैं, रोकना मुमकिन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : रोकना मुमकिन नहीं है और उसके कारण से जो पुस्तकें गायब हो जाती हैं तो क्या सरकार उचित समझती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जितनी भी व्यवस्था की जा सकती है उतनी पूरी व्यवस्था रखी है। फिर भी अनुभव यह बतलाता है कि हमने पुलिस फोर्स रखी है, फिर भी चोरी, डकैती हो जाती है और दुनिया के बड़े-बड़े देश में भी हो जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह १९५७ पुस्तकें जो गायब हुई हैं वे चोरी चली गई हैं या बिना लिखाये ले गये या लिखाने के बाद वापिस रिटर्न नहीं की गईं ?

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, ...

श्री अध्यक्ष : ये अनएकाउन्टेड फोर हैं। किसी के नाम लिखी हुई नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : नाम लिखी हुई होतीं तो गायब कैसे होतीं ? वे वसूल की जा सकती हैं। जब कि १९५७ किताबें गायब हो जाती हैं तो लाइब्रेरी में किस तरह से हिसाब रखा होगा और बाकी की किताबें भी किस तरह से सुरक्षित होंगी ? माननीय अध्यक्ष, जब तक हिसाब होगा तब तक तो वे सब खत्म हो जायंगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) लाइब्रेरी का जो इन्चार्ज रहता है उससे यह पैसा वसूल किया जाता है; क्या इस प्रकार से पैसा वसूल किया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर पता लग गया तो पैसा ही वसूल नहीं करेंगे बल्कि जेल भेजने की व्यवस्था करेंगे। मालूम नहीं हुआ है। इसलिए मुश्किल है।

श्री मुरलीधर व्यास : स्कूलों में जो इन्चार्ज होते हैं लाइब्रेरीज के, उनसे अगर वहां पर किताबें चली जाती हैं तो उनसे वसूल किया जाता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, लड़कों से वसूल किया जाता है। जितना लॉस होता है लाइब्रेरी का वह उनसे चार्ज किया जाता है। यह व्यवस्था है :

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार के सामने यह शिकायत थी कि। लाइब्रेरी में शिक्षा के विषय में जितनी पुस्तकें थीं वह लाइब्रेरियन के बच्चों को, जो कि कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं, सारी किताबें इश्यू कर दी गई हैं और वे किताबें वहां से निकलवाने के लिए या पढ़ने के लिये उपलब्ध नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है।

कोटा नगर में बिजली की दर

१५६. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा):

Page No.11

(श्री दयाकृष्ण विजय)

क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) कोटा नगर में आजकल बिजली किस दर पर सप्लाई की जा रही है ?

(२) क्या यह सत्य है कि कोटा नगर को भी गांधी सागर बांध से बिजली मिलने लग गई है ? यदि हां, तो कब से ?

(३) राज्य सरकार ने गांधी सागर से बिजली की सप्लाई की दर क्या घोषित की थी ?

(४) क्या यह सही है कि गांधी सागर बांध से प्राप्त होने वाली बिजली की दर, जो कोटा में ली जा रही है, वह घोषित दरों के अनुकूल नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या सरकार उन व्यक्तियों को, जिनसे आज किसी निर्णय के अभाव में अधिक चार्जेज लिये जा रहे हैं, अपने निश्चय के बाद अधिक ली गई राशि लौटाने का विचार रखती है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) चम्बल की घोषित अन्तर्कालीन दरों पर कोटा में बिजली सप्लाई की जा रही है। जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। कोटा को गांधी सागर से १६-११-६० से बिजली उपलब्ध है।

(२) राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने गांधीसागर से मिलने वाली बिजली की प्रोविजनल टेरिफ १ जुलाई, १६६१ से लागू की और वे लागू हैं।

(३) जी नहीं।

(४) हां, यदि ऐसा कोई मामला सामने आया जिसमें १-७-६१ से प्रोविजनल टेरिफ से ज्यादा पैसा लिया गया है तो उसका अवश्य रिफन्ड एडजस्टमेंट द्वारा कर दिया जायगा।

(कृपाया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : १६-११-६० से गांधीसागर से वहां पर बिजली मिल रही है। नयी रेट १ जुलाई, १६६१ से लागू की गई। १६-११-६० और १ जुलाई, ६१ के बीच में जो ज्यादा पैसा लिया गया उसको वापिस क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : ज्यादा पैसा किसने लिया, जो रेट लागू थी वही लिया।

श्री दयाकृष्ण विजय : गांधीसागर से बिजली मिली नवम्बर, १६६० से. जब कि १६-११-६० से ही नयी दर से पैसा लेना चाहिए था उसके बजाय १ जुलाई ६१ से नयी दर लागू की गई और तब तक पुरानी दर से पैसा क्यों लिया गया जब कि बिजली गांधीसागर से आई थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोटा में दोनों जगह से मिल रहा था, टरबाइन से और गांधीसागर से।

श्री दयाकृष्ण विजय : गांधीसागर से मिलने के बाद रेट में कमी क्यों नहीं की गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोटा में गांधीसागर से और टर्बाइन सेट से मिल रही थी और झालावाड़ में डिजल सेट से और टर्बाइन से मिल रही थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब कि गांधी-

Page No.12

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सागर से १९-११-६० से मिलने लगी थी तो बिजली की दर उसी तारीख से रिड्यूस की है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : जब से टेरिफ पास हुआ है तभी से तो नई दर लागू होगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : ज्यादा रेट लेने का क्या कारण है, जब कि गांधीसागर से बिजली पहले से मिलनी शुरू हो गई थी तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या नई रेट लागू नहीं की जा सकती थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मध्यप्रदेश में नयी दर कब से लागू की गई थी ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय, यह काफी इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, मध्यप्रदेश में रेट काफी पहले से रिड्यूस कर दी थी और राजस्थान में ६-७ महीनों तक रिड्यूस नहीं की गई और रिड्यूस करने के बाद भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहा कि दोनों ही तरह से बिजली मिलती थी: टर्बाइन से और डिजल सेट से मिलती थी और गांधी सागर से भी मिलती थी और दोनों जगह से मिलने के कारण पुरानी रेट चल रही थी।

ग्राम खवासपुरा के भूमिहीनों को भूमि

१५७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम खवासपुरा के शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के १६ या १७ भूमिहीनों ने तन घोरेला जो खवासपुरा के ग्राम के पास एक हजार बीघा सवाई चक की जमीन में से एलोटमेंट रूल्स के मुताबिक भूमि एलॉट करने की दरख्वास्त तहसील देवली में पेश की थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि के नियमानुसार कार्यवाही के बाद एलॉटमेंट करने की तारीख ९-६-६१ मुकर्रर करके एलॉटमेन्ट कमेटी के सदस्यों को इतला दे दी गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि तारीख ९-६-६१ को तहसीलदार के बजाय नायब तहसीलदार खुद ही उपरोक्त भूमि एलॉट कर आये ? अगर हां, तो किस किस को और किन आधारों पर ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त नायब-तहसीलदार की शिकायत भूमिहीन खवासपुरा वालों ने कलेक्टर के पास पेश की थी ? अगर हां, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) जी हां। लेकिन एलॉटमेंट की तारीख ९-७-६१ मुकर्रर हुई थी।

(३) जी नहीं।

(४) नायब-तहसीलदार की भूमिहीन खवासपुरा वालों ने कोई शिकायत कलेक्टर के पास पेश नहीं की। एलॉटमेन्ट जमीन का नहीं होने के बाबत शिकायत की है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या यह सही है कि एलॉटमेन्ट करने का अधिकार नायब-तहसीलदार को नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हाँ है।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो यह एलॉटमेन्ट जायज हुआ या नाजायज ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसने कहा कि यह जायज है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : तहसीलदार के बजाय नायब-तहसीलदार वहां पर गया और उसने एलॉटमेन्ट कर दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां पर गया ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : खवासपुरा में।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका सवाल है कि नायब-तहसीलदार की शिकायत को, मैंने कहा नहीं को। आपने पूछा नायब तहसीलदार को एलॉटमेन्ट करने का अधिकार है या नहीं, मैंने कहा नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या गांव खवासपुरा में कोई भूमि एलॉट हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप कहते हैं कि एलॉटमेन्ट नहीं हुआ। मैं आपको चेलेन्ज देकर कहता हूँ कि हुआ है यदि आप वहां जाकर जांच करवाएं तो मैं साथ जाने को तैयार हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां पर दो गांव है, दोनों के अलग अलग मेप हैं, अलग अलग बाउन्डरी है। एक गांव वाले दूसरे गांव में चरागाह निकालना चाहते है, दूसरे गांव वाले निकालने नहीं देना चाहते, कलेक्टर द्वारा इसकी जांच करवाई गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या इसकी शिकायत नहीं हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नायब-तहसीलदार की शिकायत नहीं हुई, एलॉटमेन्ट की हुई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह जमीन वहां वालों को न देकर आपने जो वहां से १८ मील के अन्तर पर है और दूसरा गांव जो १५ मील पर है वहां के कार्यकर्ता को एलॉट हो गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अच्छा है, कार्यकर्ता को भी जमीन लेने का अधिकार है यदि नियम से उसको एलॉट हो गई है तो उसमें अन्याय क्या हो गया ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : अन्याय यह हुआ कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिये २५ पर्सेन्ट रिजर्व रखना कम्पलसरी है, वहां उनको न देकर दूसरे कार्यकर्ता को दे दी गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में नहीं कि किसी कार्यकर्ता को दी गई या नहीं लेकिन एलॉटमेंट की कार्यवाही जुडिशियल है, उसकी अपील होती है, एलॉटमेंट हो सकता है, आपने सूचना चाही दे दी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हम यह

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

आकर सूचना देते हैं उसको मंत्रीजी सुन लेते हैं, लेकिन यह नहीं कि उसकी इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं है। आपने सूचना दी कि एलॉटमेन्ट हुआ है तो नियम के अनुसार फैसला हो गया उसकी अपील हो सकती है, आपने कहा कार्यकर्ता को दी। अगर दी है तो कानून से दी होगी। दी या नहीं दी, यह भी मेरी जानकारी में नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : खुदकाश्त में १५ बीघा से अधिक जमीन नहीं दी जाती है और वह भी भूमिहीन को दी जाती है, जिसको दी गई है वह भूमिहीन नहीं है।

श्री लादूराम सुलानियां (दूदू-सु.) : क्या यह सच है कि ९-६-६१ को तहसीलदार को जाने से रोका गया और नायब-तहसीलदार को भेज कर एलॉट करवा दी और शिड्यूल कास्ट वालों को नहीं दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है और माननीय सदस्य का सवाल भी यह नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां पर १५-२० हरिजन हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : हरिजनों की हमदर्दी के लिये धन्यवाद। कलेक्टर के पास दरख्वास्त दे दें।

प्रश्न संख्या १५८

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

जौहरी मल्टी परपज हायर सेकन्डरी स्कूल, लाडनू

१५९. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) जौहरी मल्टी परपज हायर सेकन्डरी स्कूल, लाडनू (जिला नागौर) को कब और किन किन शर्तों पर मान्यता प्रदान की गई थी ? कृपया ऐसी शर्तों की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इस स्कूल को कब से अब तक किन शर्तों पर कितनी कितनी ग्रान्ट-इन-एड दी गई ? कृपया शर्तों सहित तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(३) क्या यह सही है कि इस स्कूल में उपरोक्त दोनों ही प्रकार की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो किन किन शर्तों का और कब कब से ? सरकार ने इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(४) इस स्कूल के सम्बन्ध में एन्डोवमेन्ट फन्ड की क्या स्थिति है ? क्या यह निर्धारित शर्तों के अनुसार संतोषजनक स्थिति में है ?

(५) क्या यह सही है कि स्कूल के मैनेजमेन्ट ने एक लाख रुपये की धनराशि लाडनू इलेक्ट्रिक कम्पनी के शेयर्स के रूप में बताकर इस फंड की पूर्ति बता रखी है ? यदि हां, तो किस प्रकार से तथा इन शेयर्स की

Page No.15

(श्री भैरोंसिंह)

मार्केट वेल्यू क्या है ?

(६) क्या यह सही है कि इस स्कूल में अध्यापकों के प्रोविडेन्ट फंड, इन्क्रीमेन्ट, कन्फर्मेशन आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जाता है ? यदि नहीं, तो कृपया यह बताया जाय कि प्रोविडेन्ट फंड की किस किस की हिसाब से कितनी कितनी रकम जमा है और किन किन को उनका बकाया (ड्यू) इन्क्रीमेन्ट मिला है ?

(७) क्या यह सही है कि मैनेजमेन्ट ने मई सन् १६६० में कई अध्यापकों को अकारण ही सर्विस से निकाल दिया ? यदि हां, तो किन किन को और क्यों ?

(८) क्या यह सही है कि लाडनू में इस स्कूल के समानान्तर चलने वाले स्कूल में क्लासवाइज संख्या इस स्कूल की कम है ? यदि नहीं है, तो कृपया ऐसे सब स्कूलों के अपर क्लासेज की क्लासवाइज संख्या सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(६) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्थिति में स्कूल के मैनेजमेन्ट के प्रति जनता में बड़ा असन्तोष है और इसी कारण जनता ने इस स्कूल को गवर्नमेन्ट हायर सेकन्डरी स्कूल के साथ मिलाने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? कृपया आवश्यक तालिकाएं सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जौहरी मारवाड़ी हायर सेकन्डरी स्कूल लाडनू, जिला नागौर को जिन जिन शर्तों पर सहायता प्रदान की गई थी उसकी सूची संलग्न है ।

(२) इस पाठशाला को जो धनराशि सहायता के रूप में दी गई है उसकी सूची संलग्न है ।

(३) बोर्ड द्वारा बताई गई शर्तों और वे कहां तक पूरी हुई हैं की सूची संलग्न है ।

(४) पाठशाला का एन्डोवमेन्ट फंड निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं है, परन्तु पाठशाला ने एक लाख रुपया लाडनू इलेक्ट्रिक कम्पनी को उधार (अनसिक्योर्ड लोन) दे रखा है जिसका ब्याज भी पाठशाला को मिलता है । मैनेजमेन्ट यह प्रार्थना कर रहा है कि शीघ्र ही यह वापिस लेकर निर्धारित नियमों का पालन किया जावे ।

(५) यह धनराशि शेयर्स के रूप में नहीं है । इलेक्ट्रिक कंपनी को केवल कर्ज दिया गया है । यह रकम इस कम्पनी में अनसिक्योर्ड लोन के रूप में जमा है, जिस पर हर वर्ष पाठशाला को ब्याज मिलता है; अतः जब शेयर्स खरीदे ही नहीं तो मार्केट वेल्यू का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । शेयरों पर तो डिविडेन्ड मिलता है, ब्याज नहीं ।

(६) मैनेजमेन्ट ने अभी तक किसी शिक्षक को स्थायी नहीं किया है. अतः प्रोविडेन्ट फंड भी किसी का नहीं काटा जाता है । जिन अध्यापकों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई हैं, उनकी सूची संलग्न है ।

(७) जिन अध्यापकों को मई १६६० में असन्तोषजनक कार्य होने के कारण हटा दिया गया था उनकी सूची संलग्न है ।

(८) जी हां । लाडनू में चलने वाली सभी उच्च विद्यालयों की छात्र संख्या का मान-

Page No.16

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

चित्र संलग्न है।

(९) जनता में कोई असंतोष हो ऐसा तो सरकार के ध्यान में अभी तक नहीं लाया गया है। हां, एक दो व्यक्तियों की शिकायतें अवश्य आई हैं, उनकी जांच विचाराधीन है।
(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : जांच हो रही है या जांच का परिणाम विचाराधीन है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या लाडनू इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी में इस स्कूल के एक लाख रुपयों के शेयर्स नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कंपनी को एक लाख रुपयों का लोन दिया है, शेयर्स के रूप में नहीं।

श्री भैरोंसिंह : कंपनी के शेयर्स भी हैं या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : स्कूल का जो एन्डोवमेन्ट फंड है वह कुल मिला कर कितना है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक लाख रुपये का बतलाया था।

श्री भैरोंसिंह : आपकी शर्तों के अनुसार कितना फंड होना चाहिये था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह केल्कुलेट करके बता नहीं सकता। एक लाख रुपया बताते हैं, वह नियमानुसार नहीं है। उनको ताकीद की जा रही है कि इसे नियमानुसार करें।

श्री भैरोंसिंह : जो आपकी ग्रान्ट-इन-एड की शर्तें हैं, उनके अनुसार यह नियम है कि एन्डोवमेंट फंड में सारा मनी रखना चाहिए। जब वह नहीं रखा तो ग्रान्ट-इन-एड कैसे देदी गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सब शर्तें सभी इन्स्टीट्यूशन्स पूरी करती हों, ऐसी बात नहीं है। वे दरख्वास्त देते हैं कि हमारी मजबूरी है, तो उनको टाइम दे दिया जाता है। उसके बाद भी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो ग्रान्ट-इन-एड रोकने का प्रश्न उठता है। इसमें ग्रान्ट-इन-एड रोकी गई। उसके बाद दुबारा प्रार्थना-पत्र आया, उसमें अपनी मुसीबत बताई, तब ग्रान्ट-इन-एड रिलीज की गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ग्रान्ट-इन-एड देने से पहले लिखित रूप में शुरू में लेती है कि ग्रान्ट-इन-एड की जितनी शर्तें थीं, उन सबका पालन कर लिया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हां, आम तौर से जो ग्रान्ट-इन-एड ग्रान्ट हुई, उसके युटिलाइजेशन के बारे में स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन जनरल बातें होती हैं, जैसे बिल्डिंग की कमी होती है, बोर्ड के एतराजात होते हैं, बोर्ड की शर्तें पूरी नहीं हुई हों, तो उनके लिए लिख कर देते हैं और चेतावनी दे देते हैं। ग्रान्ट-इन-एड के युटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो ग्रान्ट-

Page No.17

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

इन-एड दे देते हैं जिससे इन्स्टीट्यूशन बन्द न हो ।

श्री भैरोंसिंह : ग्रान्ट-इन-एड देने के पहले कई सवाल आते हैं। पहला एक सवाल आता है कि उस स्कूल को ग्रान्ट-इन-एड देने से पहले जो ग्रान्ट-इन-एड दी गई है और ग्रान्ट-इन-एड के जो नियम हैं उनका पालन नहीं होता तब तक सरकार ग्रान्ट-इन-एड दे देती है क्या, यह मेरा प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर मंत्री महोदय दे चुके हैं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने उत्तर दे दिया है कि ग्रान्ट-इन-एड रूल्स के अनुसार व्यवस्था है कि स्कूल में ये ये चीजें जरूरी हैं। उसके नियमों को देखने से पता लगेगा कि उसमें यह अलग नियम है और इसके साथ कई हैं, तो कौनसी शर्त की बात कर रहे हैं, उसमें अलग अलग हैं, एज्यूकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव; तीन चार तरह की बातें आती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : एन्डोवमेंट फंड के बारे में मेरा प्रश्न है । जो ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स बने हुए हैं, उनके अनुसार फंड की जो स्थिति होनी चाहिए वह नहीं होती है तो सरकार ने किस प्रकार ग्रान्ट-इन-एड दे दी ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कहते हैं कि उसके लिए मौका दिया है कि रेगुलराइज कर लें ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें रूल्स के खिलाफ गये हैं....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रूल्स के खिलाफ नहीं है, न रूल्स में बाधा है कि हम किसी हालत में दे नहीं सकते । युटिलाइजेशन का जहां तक प्रश्न है, उसमें जरूर सर्टीफिकेट आना चाहिए कि युटिलाइज कर दिया है । लेकिन दूसरी कन्डीशन्स हैं; जैसे बोर्ड की कन्डीशन्स फुलफिल नहीं हों, स्टाफ की शर्त पूरी नहीं हुई हो, तो उस बात पर ग्रान्ट-इन-एड रोक दी जाय, ऐसी बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि ग्रान्ट-इन-एड के स्पेसिफिक रूल्स हैं और उनके अनुसार ग्रान्ट-इन-एड मिलती है । पहले सर्टिफिकेट दिया जाय कि ग्रान्ट-इन-एड की जो शर्तें हैं उनका पालन कर लिया गया है, उसके बाद ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिए जिस रूल का वायोलेशन हुआ है उसको आप पढ़ कर सुनाया । आप स्पेसिफिक रूल बतावें, तो मैं पढ़ कर बता सकता हूँ । रूल्स न मेरे पास हैं और न उनके पास हैं कि रूल्स में क्या व्यवस्था है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या ग्रान्ट-इन-एड में व्यवस्था है एन्डोवमेंट फंड के बारे में ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिए ग्रान्ट-इन-एड रूल्स देखिये ।

श्री भैरोंसिंह : यह ग्रान्ट-इन-एड का रूल है....

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रकला ।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और है । ग्रान्ट-इन-एड देने के बाद जो टीचर वगैरह हैं, उनका प्रोविडेन्ट फंड एन्क्रीमेंट, कन्फर्मेशन, आदि के बारे में वे ही रूल्स लागू होंगे जो सरकारी अधिकारियों के ऊपर होते हैं ?

Page No.18

(श्री भैरोंसिंह)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, वे हीं होते हैं। करीब करीब वही नियम हैं जो सरकारी अधिकारियों के लिए हैं···

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : करीब करीब ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट के सरकारी अधिकारियों के लिए अलग नियम बने हुए हैं। उनकी सर्विस सिक्योर्ड है। इन्क्रीमेंट कैसे मिलना चाहिए, पे.स्केल्स क्या होने चाहिए, इसके जो सरकारी अधिकारियों के पूरे नियम हैं, वे उन पर लागू होते हैं, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ग्रान्ट-इन-एड रूल्स के अनुसार ग्रान्ट-इन-एड जिस दिन से दी जाय उस दिन से प्रोविडेन्ट फंड चालू हो जाता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि स्कूल के अध्यापकों को प्रोविडेंट फंड नहीं दिया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : जब प्रोविडेंट फंड का रुपया नहीं दिया गया तो ग्रान्ट-इन-एड क्यों दी गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि १९५६-५७ में टीचर्स का अपोइन्टमेंट हुआ है, लेकिन उनको कन्फर्म नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह गलत चीज है कि चार पांच साल तक अध्यापक रहे और उसको कन्फर्म नहीं करें और उनको इन्क्रीमेंट मिला है, जिसके बारे में नहीं पूछा है। मैं इस मामले में देख लूंगा उस संस्था को लिखा जायगा कि तुम्हारा यह कार्य संतोषजनक नहीं है। मैं जानकारी करके इसमें कार्यवाही करूंगा। किसी टीचर का कन्फर्मेशन तीन चार साल तक नहीं हो, यह ठीक नहीं है। यह मैं खुद महसूस करता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रकला।

सांगानेर से सोढ़ाला होकर अजमेर रोड को मिलाने वाली सड़क

१९०. **डॉ. चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(क) सांगानेर से सोढ़ाला होकर अजमेर रोड को मिलाने वाली सड़क का निर्माण कब हुआ ? इस सड़क पर कुल कितना खर्चा हुआ है ?

(ख) क्या यह सड़क चालू है ? यदि हां, तो कब से ?

(ग) क्या यह सच है कि यह सड़क रेल की पटरी को क्रोस करती हुई जाती है ? यदि हां तो क्या रेल की पटरी के पास सड़क पार करने लायक ठीक ठाक है ?

(घ) क्या रेल की पटरी के पास सड़क ठीक करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की नहीं है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने रेल्वे विभाग को लिखा ? यदि हां, तो कब ?

(ङ) क्या अब सरकार इस मार्ग की उपयोगिता को देखते हुए सड़क के उस अधूरे

(डॉ॰ चन्द्रकला)

काम को ठीक कराने की कोशिश करेंगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) माह अगस्त, सन् १९५९ में १,७३,८३४ रु॰ खर्चा हुआ।

(ख) जी हां, अगस्त सन् १९५९ से।

(ग) जी हां, ठीक है।

(घ) जी, जिम्मेवारी है। प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह मार्ग उपयोग में आ रहा है। कोई काम अधूरा नही है।

डॉ. चन्द्रकला : जब किसी सड़क के बीच रेल्वे की पटरी आती है, उस जगह आवागमन की सुविधा नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? यह सवाल क्यों नहीं उठता ?

श्री हरिश्चन्द्र : पी. डब्ल्यू. डी. की है।

डॉ. चन्द्रकला : पी. डब्ल्यू. डी. ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सारी व्यवस्था है, मैंने आपसे कहा।

डॉ. चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि रेल की पटरी सड़क को काटती है, वहां क्या व्यवस्था की है ? वहां फाटक बना है, वहां क्रोसिंग होता है। वहां पर खराब हालत है, वहां से आ-जा नहीं सकते।

श्री हरिश्चन्द्र : आवागमन चल रहा है।

डॉ. चन्द्रकला : आवागमन चल रहा है, साइकल वाले साइकल सिर पर उठा कर ले जाते हैं, पैदल वाले चले जाते हैं। लेकिन कार वगैरह नहीं जा सकतीं।

श्री हरिश्चन्द्र : कार भी जा रही हैं।

प्रश्न संख्या १९१

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

जयपुर-भरतपुर सड़क

१९२. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जयपुर से भरतपुर जाने वाली सड़क इस वर्ष वर्षा के कारण कई स्थानों पर टूट गई है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(२) क्या यह सत्य है कि यह सड़क इन्हीं स्थानों पर प्राय: प्रति वर्ष टूटती है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये कोई व्यवस्था करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां। जयपुर से भरतपुर जाने वाली सड़क इस वर्ष चार स्थानों पर टूटी है:--

(क) कालाडाला ग्राम के नजदीक ८४.२ मील में।

(ख) रायपुर नाला के नजदीक ५०.२ मील।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(ग) दुम्बी ग्राम के नजदीक ४५.२ मील में।

(घ) कालाखो ग्राम के नजदीक ४१.४ एवं ४१. ६ मील में।

(२) जी नहीं। केवल कालाखो के नजदीक ४१.४ मील पर प्रति वर्ष वेस्ट विअर के ऊपर होकर पानी जाने से एक स्थान पर कटती है। उसके प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह जो जगह कालाखो के समीप है वह हर साल कट कर बिल्कुल आवागमन के अयोग्य नहीं हो जाती है? सिर्फ ऊपर होकर पानी जाने से सड़क नहीं कटती है, कटने से गड्ढे पड़ जाते हैं और कई कई फीट के गड्ढे होते हैं। यह अवस्था है।

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां, होती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उसके लिए क्या व्यवस्था होती है? चार साल में चार बार यह चीज हो चुकी है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके एस्टीमेट बना कर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रान्सपोर्ट और कॉम्युनिकेशन के पास भेजे हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या बनाना है, ब्रिज या ओवर ब्रिज?

श्री हरिश्चन्द्र : ब्रिज बनाने का।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह सड़क चालू हो गई है, आवागमन चालू है?

श्री हरिश्चन्द्र : आवागमन चालू है।

श्री अध्यक्ष : मोटरें भी चलती हैं।

प्रश्न संख्या १६३

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

एडीश्नल कमिश्नर

१६४, **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) किस किस जगह पर एडीश्नल कमिश्नर मुकर्रर किये गए हैं और उनको मुकर्रर करने के क्या आधार हैं?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि एडीश्नल कमिश्नर का हैड क्वार्टर जोधपुर या जोधपुर डिविजन में नहीं रख कर बीकानेर में रखा गया है और इससे जनता को कठिनाई होती है? यदि हां, तो क्यों?

(ग) क्या सरकार एडीश्नल कमिश्नर का कार्यालय वापिस जोधपुर में रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) राजस्थान में चार जगह एडीश्नल कमिश्नर मुकर्रर किये गए हैं:--

१. जयपुर

२. उदयपुर

३. कोटा

४. बीकानेर

हैड क्वार्टर्स काम के आधार पर व

Page No.21

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पब्लिक की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए निश्चित किए गये हैं ?

(ख) एडीशनल कमिश्नर का हैड क्वार्टर बीकानेर में रखा है। हर स्थान पर एडीशनल कमिश्नर का हैड क्वार्टर का रखा जाना मुमकिन नहीं है। जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। एडीशनल कमिश्नर जोधपुर के मुकदमात की सुनवाई जोधपुर में ही करेंगे।

(ग) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : एक आदमी को स्टे ऑर्डर लेने के लिए बीकानेर जाना पड़ता है, यह सहूलियत है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हर जगह के आदमी को दूसरी जगह स्टे ऑर्डर लेने के लिए जाना पड़ता है। इसमें जोधपुर या बीकानेर का प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने जो रीआर्गेनाइजेशन किया और डिस्ट्रिक्ट्स को इधर-उधर ले गये, उसमें क्या आपने किसी को कन्सल्ट किया कि इससे जनता को कितनी सुविधा हुई है ? भरतपुर है वह कोटा के नजदीक है या जयपुर के नजदीक है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें कन्सल्ट करने की क्या आवश्यकता है ? मैं पूरे राजस्थान को जानता हूँ। मैं किसी से यह पूछूं कि भरतपुर है वह जयपुर के नजदीक है या कोटा के नजदीक है। हर जगह हैं, वे पड़ती हैं और दूर भी पड़ती है। तहसीलदार हैं, कलेक्टर हैं, एस. डी. ओ. हैं, उनके पास जाने के लिए जगह नजदीक पड़ती है, दूर भी पड़ती है।

श्री श्रीभानसिंह : जब आप राजस्थान को पूरी तरह जानते हैं तो can you state the mileage of Bharatpur to Kota and Bharatpur to Jaipur ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, यह बात मैं ध्यान में रख कर कह रहा हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : तो आप माइलेज बता दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं चलती-फिरती डिक्शनरी नहीं हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : जब डिक्शनरी नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट्स को इधर-उधर ले गये, उसका क्या गवर्निंग क्राइटेरिया था, जिसके बेसिस पर यह री-ऑर्गेनाइजेशन किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्निंग क्राइटेरिया है जनता की सुविधा और काम, वर्क लोड कितना है। इनको ध्यान में रख कर कमिश्नरी कायम की कि वर्क लोड इतना होना चाहिए और जनता की सुविधा होनी चाहिए जिससे पूरे समय का उपयोग हो सके।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह माना जाय कि वर्क लोड जयपुर एडीशनल कमिश्नर पर ज्यादा था, एडीशनल कमिश्नर कोटा पर कम था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोटा में एडीशनल कमिश्नर नहीं था, नया कायम हुआ है। उनके पास फुल टाइम वर्क की दृष्टि से कितना वर्क लोड होना चाहिए, यह

Page No.22

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ध्यान में रख कर और भरतपुर कोटा के नजदीक है, इसलिए वहां कर दिया है।

श्री श्रीभानसिंह : आप वर्क लोड को ज्यादा महत्व देते हैं या जनता की सुविधा को ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि दोनों हैं।

श्री श्रीभानसिंह : जनता की सुविधा को जानने के लिए आपने कौनसी मशीनरी अपोइन्ट की थी, कौन से साधन थे जिससे यह जाना कि भरतपुर कोटा के नजदीक है या जयपुर के ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि दोनों बातों को ध्यान में रख कर; जनता की सुविधा और वर्क लोड को ध्यान में रख कर री-ऑर्गेनाइजेशन किया है।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस री-ऑर्गेनाइजेशन पर हाफ-एन अवर डिस्कशन रखा जाय, जिससे जनता की सुविधा को माननीय मंत्रीजी ने सोच लिया है और जो मैंने सोचा है, वहां के लोगों ने सोचा है और वहां के प्रतिनिधियों ने सोचा है, उसमें कौन सा सही है। इस पर विचार करने के लिए कुछ समय रखा जाय। री-ऑर्गेनाइजेशन पर विचार करने के लिए कुछ समय रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : Then you make a motion and we will see that something is done about it. मोशन रखने पर विचार किया जायेगा। नेक्स्ट।

श्री श्रीभानसिंह : यह तो मूव हो गया, सभी माननीय सदस्य इससे एग्री करेंगे, मंत्री महोदय इसको एग्री करेंगे या नहीं करेंगे यह नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह।

उनियारा हाई स्कूल की नई इमारत

१६४. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि उनियारा हाई स्कूल की नई इमारत बन रही है ? अगर हां, तो कब से और किसके द्वारा स्कूल की इमारत का कार्य शुरू कराया गया था ?

(ख) क्या यह इमारत बन कर तैयार हो चुकी है ? अगर हां, तो उसमें कितनी एकोमोडेशन है ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त हाई स्कूल के विद्यार्थी बरसात और धूप में खुले में बैठते हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) यह सही है कि उनियारा हाई स्कूल की नई इमारत बन रही है। सन् १९५५-५६ से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उस इमारत का काम शुरू कराया गया था।

(ख) पूर्ण तैयार नहीं हुई है। अभी आठ कमरे बन चुके हैं और हॉल बनना बाकी है।

(ग) जी हां, कुछ क्लासें बाहर भी लगाई जाती हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि बाकी बनना है तो वह कब तक समाप्त हो जायगी ? १९५५ से बननी शुरू हुई और अब १९६१ है, कब तक बन जायगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जल्दी पूरा करने के लिये लिखेंगे।

प्रश्न संख्या १६६

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

मैसर्स एमरी स्टोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, कुचामन रोड

१६७. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) मैसर्स एमरी स्टोन्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, कुचामन रोड को १ अप्रेल, सन् १९५५ से अब तक आइरन एन्ड स्टील का किस किस वर्ष में कितने कोटे का परमिट दिया गया और किस किस काम के लिये ?

(२) क्या परमिट दिये जाने से पूर्व पिछले वर्ष के कोटे के आइरन एन्ड स्टील के सही उपयोग के सम्बन्ध में जांच कर ली गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(३) क्या यह सही है कि इस कम्पनी को सरकार की ओर से कोई ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो कब, कितना और किस कार्य के लिये ?

(४) क्या यह सही है कि इस कम्पनी ने जिन शर्तों पर यह ऋण प्राप्त किया था उनकी अवहेलना की ? यदि हां, इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(५) इस कम्पनी में अब ऋण कितना बाकी है और जो जमा हुआ है वह कब कब ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) मैसर्स एमरी स्टोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को निम्न प्रकार आइरन एन्ड स्टील का कोटा दिया गया :

१९५८—५९ में ९ टन

१९५९—६० में ४९ टन

१९६०—६१ में ७० टन

यह कोटा एमरी की चक्कियां बनाने के लिये दिया गया।

(२) जी हां। जो माल मिला उसको सही तौर पर इस्तेमाल किया गया।

(३) जी हां। ७५,००) रुपया ५४—५५ में व २५,००) रु० ५५—५६ में फैक्ट्री के एक्स्टेन्शन के लिये दिया गया।

(४) जी नहीं, कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(५) ४३००) रु० बाकी है। रुपयों के जमा कराने की तारीख निम्न प्रकार है :

१०७०) रु०	१—५—५६
३५५) रु०	२८—३—५८
१०७०) रु०	४—५—५७
३५५) रु०	४—५—५८

Page No.24

(श्री दामोदरलाल व्यास)

१०७०) रु०	४-७-५८
३५५) रु०	२०-४-५९
१०७०) रु०	२०-४-५९
३५५) रु०	३१-३-६०

योग ५,७००) रु०

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह फर्म एमरी स्टोन की चक्कियां नहीं बनाती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जवाब दिया कि जी नहीं, कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : तो इससे आपका मतलब यह है कि चक्कियां बनती हैं और एमरी स्टोन की बनती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो पिछले वर्ष लोहे का कोटा दिया गया, उसका इस्तेमाल किया गया। ५५ में ६३०० चक्कियां, ५६ में ६१०६, ५७ में हाथ से चलाने की चक्कियां १७२ और ५८-५९ में ३१६ बनाई गईं।

श्री भैरोंसिंह : बनाई गईं, यह ठीक है; पर मेरा सवाल है कि जो चक्कियां की संख्या बताई गई है वे सारी एमरी स्टोन की बनाई गई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि हाथ की चक्कियां, एमरी की चक्कियां बनाई गईं।

श्री भैरोंसिंह : एमरी तो कम्पनी है, एमरी स्टोन की चक्कियां बनाई कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया कि एमरी की बनाई गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपको अवोइड नहीं करने दूंगा। आप इस तरह ब्लैक मार्केटियर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि एमरी स्टोन की चक्कियां बनाई गईं कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अवोइड नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ जवाब दे चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में पहले भी प्रश्न आ चुका है।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिये तो मैं पूछता हूँ कि एमरी स्टोन की चक्कियां बनती हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझ नहीं पाया हूँ कि आपको कन्फ्यूजन क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : मेरा कन्फ्यूजन नहीं, आप जवाब अवोइड करना चाहते हैं। मै यह पूछना चाहता हूँ कि आपने जो यह चक्कियों की संख्या बताई है, ये एमरी स्टोन की बनी हुई हैं कि नहीं ? जो लोहे और स्टील का कोटा आपने जिस काम के लिये इन कम्पनी को दिया वह उस काम में लाया गया कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने उत्तर दिया कि हाथ-चक्कियां एमरी की बनी हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह पूछता हूँ कि एमरी स्टोन की बनती हैं कि नहीं ? लोहे का इस्तेमाल इन चक्कियों के बनाने

Page No.25

(श्री भैरोंसिंह)

में किया कि नहीं, जिसके लिए कि उनको कोटा दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा न कि लोहे का इस्तेमाल किया गया।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या एमरी स्टोन की चक्कियां बनती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने उत्तर दिया कि एमरी की बनती है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास वे शर्तें हैं जिन शर्तों पर कम्पनी को रुपया दिया गया और दूसरी सहूलियतें दी गई। उसमें एक शर्त यह है कि एमरी स्टोन की चक्कियां बनाऊंगा। एमरी स्टोन की चक्कियां बनाने के नाम पर ही दी गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो लोहे का कोटा दिया गया था उसका ठीक तौर से इस्तेमाल किया कि नहीं, मैंने उत्तर में कहा कि वह काम में लिया गया। मैं समझ नहीं पाया कि दिक्कत क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कोटा इस शर्त पर दिया गया था कि एमरी स्टोन की चक्कियां बनाने में लोहा लगेगा, एमरी स्टोन की चक्कियां बनाने के लिये लोहे और स्टील का कोटा दिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं उत्तर में निवेदन करूंगा कि एमरी कम्पनी को कोटा दिया गया था। शर्तों की उसने पूरी पाबन्दी की इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन शर्तों में यह भी एक शर्त थी कि मैं चक्कियां एमरी स्टोन की बनाऊंगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शर्तों की कॉपी मेरे पास नहीं है। जो शर्तें थीं उनका उसने पालन किया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान के उद्योग मंत्री, श्री रिखबचन्दजी धारीवाल ने पिछले सेशन में सदन में कहा था कि चक्कियां एमरी स्टोन की नहीं बनतीं ? खादी कमीशन ने जांच की और राजस्थान सरकार को लिखा कि इसमें एमरी स्टोन की चक्कियां नहीं बनतीं, एमरी स्टोन का नाम लेकर ये चक्कियां इसने लोगों को बेची हैं, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खराब हैं, इसलिये इन चक्कियों को बन्द किया जाय। इस कम्पनी के विरोध ४२० की कार्यवाही करने के लिये उद्योग विभाग की ओर से पुलिस विभाग को लिखा गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सूचना दे रहे हैं, सही होगी तो मैं जांच करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : सही, होगी यह इवेजिव रिप्लाई आप क्यों देते हैं ? आप उसको लोहे और स्टील का कोटा देते हैं, वह उसका ब्लैक मार्केटिंग करता है, जिस एमरी कम्पनी के लिये उद्योग मन्त्री कहते हैं कि एमरी स्टोन की चक्कियां नहीं बनाता, खादी कमीशन, खादी बोर्ड लिखता है कि एमरी स्टोन का यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, इसके खिलाफ ४२० में कार्यवाही की जाय, यह जनता को धोखा दे रहा है, उसको राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वह

Page No.26

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान सरकार का आदमी है, दूसरा कोई होता तो उसका प्रोसीक्यूशन किया जाता, अब तक चालान कर दिया जाता; पर उसको बराबर लोहे और स्टील का कोटा दिया जा रहा है, और दूसरी सब प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। खादी कमीशन रोज चिठ्ठियां लिखता है कि कोई एमरी स्टोन की चक्कियां नहीं बनतीं, ४२० में इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य इस बात को नहीं समझते कि क्या सवाल पूछ रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह : मैं सब समझता हूँ, लोहे का अलॉटमेन्ट एमरी स्टोन की चक्कियाँ बनाने के लिये हुआ कि नहीं? आप इस तरह का इवेजिव रिप्लाई क्यों देते हैं?

श्री दामोदरलास व्यास : That is not proper. I should not be disturbed when I am replying to Question. I do not think it is...

श्री भैरोंसिंह : I am not habituated to hear evasive reply from a Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास : But that is not proper. when I am replying to Question.

श्री भैरोंसिंह : That is evasive. It is our privilege to get a proper reply from the Minister,

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : प्रश्न (२) साफ है, क्या पर्मिट दिये जाने से पूर्व पिछले वर्ष के कोटे के आइरन एन्ड स्टील के सही उपयोग के सम्बन्ध में जांच कर ली गई थी? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

सही उपयोग का मतलब है जिस काम के लिये लोहे का कोटा दिया गया उसी काम में वह लोहा लाया गया कि नहीं, एमरी स्टोन की चक्कियां बनाने के अन्दर उसी लोहे का इस्तेमाल किया कि नही?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मैंने जवाब दिया कि चक्कियों के बनाने के अन्दर लोहे का इस्तेमाल किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस धातु की और पत्थर की चक्कियां बननी चाहिये वे नही बनीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसका जवाब दे चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६८

श्री गोकुलचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

(१२ मध्यान्ह)

घासमारी टैक्स की वसूली

१६९. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने घासमारी टैक्स वसूली को स्थगित करने के आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो कब से वसूली स्थगित की गई है?

Page No.27

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(२) जिला जालोर में घासमारी टैक्स स्थगित करने के आदेश कब पहुंचे हैं और उसके पहुंचने के बाद किस किस तहसील में घासमारी वसूल की गई है ? कृपया तहसील-वाइज तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(३) क्या उस आदेश में पुराने एरियर भी वसूल करने के आदेश जारी किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या सरकार उस टैक्स को हमेशा के लिये समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : घासमारी की वसूली की प्रथा बन्द कर दी गई। आदेश जारी होने के बाद वसूली आयन्दा के लिये बन्द कर दी गई है।

(२) उपरोक्त आदेश जिलाधीश जालोर के पास दिनांक १६-२-६१ को प्राप्त हुए जो दिनांक २७-२-६१ को तहसीलों में पालनार्थ प्रेषित किये गये। चूंकि ढाल बांधे मास नवम्बर में ही पटवारी तैयार कर लेते हैं और खरीफ किश्तों की वसूली भी १ फरवरी से आरम्भ हो जाती है अतः कई स्थानों पर आदेश पहुँचने से पहले ही कुछ घासमारी की रकम वसूली की गई। माह जौलाई सन् १९६१ तक तहसीलवाइज आंकड़े विविध आय के सदन की मेज पर रख दिए गए हैं इन आंकड़ों में घासमारी के अलावा प्राकृतिक पैदावार की आय के भी आंकड़े शामिल हैं।

(३) जी नहीं।

सरकारी आज्ञाएं आम तौर पर जिस तारीख को प्रचलित होती हैं उसी तारीख से से लागू समझी जाती हैं। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता।

(४) प्रश्न के भाग (१) से विदित है कि घासमारी की वसूली बन्द करदी गई है, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या जिन लोगों से घासमारी वसूल कर ली गई है उनको लौटा दी जावेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने मेरे जवाब को नहीं सुना। आज्ञा जारी होने के बाद में नहीं ली जावेगी।

निधियों का नियतन

१७०. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)

Will the Planning Minister be pleased to state :—

1. What sum of money has been allotted to our State for the development works under the Democratic Decentralisation Head in the next Third Five Year Plan by the Central Government ?

2. How much money is the State going to add to the Central contribution in this branch of administration ?

3. Will the Government please give a list, Zila-wise, of sums allotted to each Zila ?

4. Is it a fact that importance has been given to agriculture ?

5. What is the war footing production programme of agriculture in the

(श्री दयाकृष्ण विजय)

Third Five Year Plan ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : 1. A sum of Rs. 5.80 crores has been allotted for development works under the Democratic Decentralisation Scheme in the Third Five Year plan. The break up is as follows :

(i)	Rs. 4.00 crores	For free fund (including Rs. 1.50 crore for the scheme of building up remunerative assets by the Panchayats).
(ii)	Rs. 0 80 crore.	adhoc grant to panchayats.
(iii)	Rs. 0.68 crore.	adhoc grant to shadow blocks
(iv)	Rs. 0.32 crore.	Training Schemes.
	5.80 crores.	

2. The share of Central Government and State Government in this amount has not been decided yet. The amount received from public contribution will be over and above this amount and is expected to aggregate to about Rs. 6 00 crores.

3. A statement showing the districtwise break up of the allocations has been placed on the Table of the House.

4. In the over-all Plan importance has been given to Agriculture.

5. The main objective is to raise agricultural production by a minimum of 32% over the production obtaining at the end of the Second Five Year Plan. During Third Five Year Plan 16 lakh tons of additional food grains will be produced. Thus the production at the end of the Third Five Year Plan will be raised to 66.35 lakh tons from 50.35 lakh ton. at the end of 1960–61.

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : यह जो आपने फ्री फन्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट दी है, इसका तरीका क्या है ? किस आधार पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That has been distributed on the basis of population plus कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कौन पंचायत देने को तैयार है उस हिसाब से होता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जितना सेन्टर से अलॉट हुआ है इसमें नहीं मिला है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि अभी यह तय हो नहीं हुआ है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is under consideration. It has not been decided so far.

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट; श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

नीमका थाना-पाटन रोड

१७१. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या सर्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नीम का थाना-पाटनरोड़ में अभी कितना काम बाकी है और उसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

(ख) क्या उक्त रोड का काम सन् १९५२ से चल रहा है ? यदि हां; तो इतना लम्बा समय लगने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) १२ मील सड़क में से ८ मील का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। बाकी चार मीलों में काम चालू है वह मार्च १९६२ तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) जी नहीं। सन् १९५५ से।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लादूराम-सुलाणिया।

ग्राम शिवडूंगरी ९. बी तहसील चाकसू, के बीड़

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिले की तहसील चाकसू के ग्राम शिवडूंगरी के बीड़ को जंगलात विभाग से निकाल कर राजस्व विभाग के अन्तर्गत लिये जाने की कार्यवाही कब से चल रही है ?

(ख) क्या उक्त बीड़ की काश्त के लिए काश्तकारों ने सरकार के राजस्व विभाग व तहसील चाकसू के कार्यालय में दरख्वास्त दी थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? उक्त बीड़ का खसरा नम्बर व रकबे की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या उक्त बीड़ में घास काटा जाता है ? यदि हां, तो कितना घास १९५८ से १९६० में काटा गया है ?

(घ) क्या उक्त बीड़ के लिये ग्राम भापरा, तहसील फागी के हरिजनों (रेगरों) द्वारा सरकार को प्रार्थना पत्र मय नक्शे के पेश किया गया है यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त हरिजन सहकारी समिति बना कर काश्त करना चाहते हैं ? यदि हां तो उक्त हरिजनों को उक्त बीड़ की भूमि कब तक दे दी जायेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जब बीड़ का काश्त के लिये देने के बारे में प्रार्थना पत्र २६-७-६० को जिलाधीश जयपुर के पास प्राप्त हुआ तब से ही कार्यवाही चल रही है।

(ख) जी हां। इस बीड़ में से काश्त के लिये भूमि देने के लिये प्रार्थनापत्र जिलाधीश जयपुर के यहां २६-७-६० को आया। एक पत्र इसी बारे में राज्य सरकार के पास २० ११-६० को आया इस बारे में कुछ आवश्यक जानकारी की जा रही है। इसका खसरा नम्बर १२ व रकबा ३०४ बीघा ३ बिस्वा है।

(ग) जी हां। सन् १९५८ में ३७०० मन घास काटा गया और सन् १९५९ व १९६० में वह बीड़ ग्राम पंचायत को ठेके पर दे दिया गया।

(घ) जी हां। ग्राम भापरा, तहसील सांगानेर के हरिजनों का प्रार्थनापत्र राज्य

Page No.30

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सरकार ने ६-१-६० को जिलाधीश के पास भेजा है और वहां पर विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहब्बतसिंह।

सड़क का विस्तार

१७३. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) Whether the Government is aware that from Ahmedabad via Posena upto Rajasthan, the border touching Sirohi district, there exists a tarred road in Gujrat State ?

(b) Whether the Government has proposals to extend this road upto Abu Road which may serve the purpose of an inter-state road ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) (1) This Department has no knowledge of the existence of such a road but the matter will be ascertained from Gujrat Government.

(2) The matter will be examined later on receipt of the information from the Gujrat Government.

प्रश्न संख्या १७४

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बतसिंह।

सूकड़ी एवं चन्द्रावती पर ड्रेनेज कार्य (ड्रेनेज कार्य)

१७५. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(1) Whether the major cross drainage works on Sukri and Chandravati rivers between Chitrasani and Abu Road are still not taken in hand for completion to open the interstate road between Ahmedabad and Abu Road ?

(2) Does the Government realise the immediate need for completing these long pending works in the public interest ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (1) Yes.

(2) Yes.

चुरू जिले के चौधरियान को पिचोतरा

१७६. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चूरू जिले के कितने ही चौधरियान को पिचोतरा अभी तक नहीं दिया गया है ? इतने विलम्ब का क्या कारण है ? अब कब तक बकाया पिचोतरा दे दिया जावेगा।

(ख) क्या इस सिलसिले में सरकार ने यह निश्चय किया है कि लगान जमा कराते समय ही पिचोतरा रकम में से काट कर चौधरियान को दे देना सुविधाजनक रहेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : चूरू जिले में पिछले सालों का केवल ३८ चौधरियों का तथा चालू वर्ष का ५१४ चौधरियों का पिचोतरा देना बाकी है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस प्रकार का कुल ५५२ चौधरियों का पिचोतरा देना बाकी है। अभी तक चौधरियान ने पिचोतरा की मांग पेश नहीं की है। इसके कारण विलम्ब हुआ। अब इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक सबको पिचोतरा दे दिया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सरकार को चौधरियों को अपने आप पिचोतरा देने का प्रबन्ध नहीं करना चाहिये?

श्री दामोदरलाल व्यास : केवल ३८ चौधरियों का पिछले सालों का पिचोतरा देना बाकी है। उन्होंने अपने डिमान्ड पेश नहीं किये और अब इन्सट्रक्शन्स दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दयाकृष्ण विजय।

चकबन्दी का कार्य

१०७ **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या चम्बल कमांडेड सीमा में चकबन्दी का कार्य शुरू हो गया है? यदि हां, तो किस-किस तहसील में?

(२) क्या सरकार जिन हिस्सों में नहरी पानी पहुंच रहा है उन इलाकों में पहले से ही चकबन्दी कराने का विचार रखती है?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, सिर्फ तहसील तालेड़ा जिला बूंदी के आठ ग्रामों में १९५८-५९ में प्रारम्भ होकर १९५९-६० में संपूर्ण हुआ।

(२) जी हां, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मेजर रिवर वेली प्रोजेक्ट या उन क्षेत्रों में जहां पुनः सर्वेक्षण का कार्य हो वहां भूमि एकीकरण का कार्य आरम्भ किया जावे।

श्री दयाकृष्ण विजय : तहसील तालेड़ा में आप कहते हैं कि प्रारम्भ हुआ फिर बन्द क्यों किया गया? चम्बल एरिया बूंदी वगैरह में फैला हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि कार्य किया जावेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने पहले कहा है कि इसको खत्म कर दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि कन्सोलिडेशन में इसको किया जावे। कहीं रिसेटिलमेंट हो रहे हैं वहां किया जावे।

श्री दयाकृष्ण विजय : एक दफे तो आपने काम शुरू कर दिया और उसको बन्द कर दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो कन्सोलिडेशन का स्टाफ है उसको नॉन-इर्रिगेटेड एरिया में अलग-अलग काम में नहीं लिया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : गांव-गांव में लोगों को पानी की तकलीफ होती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सारा स्टाफ उसी जगह है। काम को खत्म करके दूसरी जगह....

(श्री दामोदरलाल व्यास)

श्री दयाकृष्ण विजय : तालेड़ा में पहले काम शुरू किया था और खत्म कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां पर उतने ही अर्से के लिये स्टाफ मंजूर किया था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सूरतगढ़-लूणकरणसर सड़क

१७८. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार सूरतगढ़-लूणकरणसर के सड़क के टुकड़े को शीघ्र बनाने की ओर सक्रिय कदम उठा रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : हाई पावर कमेटी के निर्णयानुसार सूरतगढ़ से लूणकरणसर की सड़क का कार्य मुल्तवी कर दिया है, सिर्फ सूरतगढ़-बिरधवाल तक का कार्य चालू रहेगा। प्रश्न नहीं उठता।

श्री रावतमल पारीक : क्या हाई पॉवर कमेटी को यह सुझाया गया था कि यहां बाढ़ के कारण रेल के रास्ते बन्द हो जाते हैं और आवागमन का दूसरा कोई रास्ता नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री रावतमल पारीक : महीने डेढ़ तक रास्ता बन्द रहा और बीकानेर में मंहगाई बढ़ गई थी, फिर भी यह नहीं रखा गया। जानकारी रखनी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : आप क्या चाहते हैं ?

श्री रावतमल पारीक : मैं यह चाहता हूं कि सूरतगढ़-लूणकरणसर के सड़क के टुकड़े को जल्दी बनवाया जाए।

श्री हरिश्चन्द्र : जिस तरह से पैसा मिलेगा इसको लिया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : हाई पॉवर कमेटी ने इसको क्यों बन्द किया इसका क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसको बन्द नहीं किया गया है इसको मुल्तवी किया गया है। ज्यों-ज्यों पैसा आवेगा इसको ले लिया जावेगा। पहले इसको ले लिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि इसको मुल्तवी कर दिया है, कैन्सल कर दिया है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : कैन्सल नहीं किया है। पोस्टपोन किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने के लिये सड़क बनने की योजना है। बीकानेर से गंगानगर को जोड़ने का यही रास्ता है। अगर यह नहीं होगा तो बीकानेर पिछड़ा रहेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने यह नहीं कहा कि यह नहीं मिलेगी। मैंने यह कहा कि इसको बाद में ले लिया जावेगा। पैसा आने पर ले लेंगे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

Page No.33

(श्री भीमसेन)

क्या यह सही है कि वहां ८ मील का टुकड़ा है ? उसको क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह भी हो जावेगा।

प्रश्न संख्या १७६

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट। श्री किशनाराम।

रतनगढ़-फतहपुर सड़क के मोड़

१८०. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिनांक २०-२-६१ को रतनगढ़ से फतहपुर बनने वाली सड़क का किसी P. W. D अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया और टिडियासर ग्राम में सड़क का बहुत खराब मोड़ होते हुए भी कोई ध्यान नहीं दिया गया ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि बीरमसर में सड़क को बुरी तरह से घुमाकर ग्राम के दक्षिण की तरफ से निकाला गया है जब कि उत्तर की तरफ से निकालने से खर्चा कम पड़ता था और सड़क भी सीधी बन सकती थी ?

(ग) इन सड़कों के सम्बन्ध में ओवरसियर की क्या रिपोर्ट थी तथा उस पर उच्च-अधिकारियों के क्या आदेश थे ? प्रति सदन की मेज पर रखा की कृपा करें।

(घ) क्या सरकार उपरोक्त सड़क के curve को सीधा करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां। ध्यान दिया गया है।

(ख) यह सही नहीं है।

(ग) कोई रिपोर्ट ओवरसियर ने नहीं की, अतः प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न 'ख' के उत्तर के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

श्री किशनाराम : आपने दूसरे का क्या उत्तर दिया।

श्री अध्यक्ष : आपने दूसरे के उत्तर में अपना क्या जवाब दिया है।

श्री हरिश्चन्द्र : (ख) यह सही नहीं है।

श्री किशनाराम : क्या चीज सही नहीं है ? क्या प्रश्न पूछा वह सही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब तो यही है।

श्री किशनाराम : मैं जो पूछ रहा हूँ वह सही है और जो जवाब दिया गया है वह सही नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : ठीक है।

श्री किशनाराम : तो क्या सड़क सीधी कर दी जावेगी। मेरा मतलब है कि उत्तर की तरफ से कर दी जावेगी, क्योंकि दक्षिण से निकालने से लम्बाई अधिक होगी और

(श्री किशनाराम)

खर्चा भी अधिक होगा और उत्तर की ओर से उसको निकालने में कम खर्चा होगा। लम्बाई भी अधिक नहीं होगी।

श्री हरिश्चन्द्र : जो सड़क बन रही है उसके अलाइनमेन्ट के समय असिस्टेन्ट इन्जीनियर, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर और तहसीलदार और मेरे ख्याल से आप भी वहां थे। आपके सामने ही यह अलाइनमेन्ट तय हुआ था।

श्री किशनाराम : आपको यह गलत सूचना दी गई है कि अलाइनमेन्ट के समय मैं वहां मौजूद था।

श्री हरिश्चन्द्र : आप थे वहां।

श्री किशनाराम : वहां तो मैं रहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

देवस्थान विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन

१८१. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देवस्थान विभाग के कर्मचारियों के फिक्सेशन का सवाल कब से उठा हुआ है ? उसे कब तक किन किन शर्तों के साथ सरकार ने हल किया ?

(ख) इन कर्मचारियों को पूरा पूरा मंहगाई अलाउन्स देने का निर्णय कब लिया गया तथा इनसे सम्बन्धित आदेश कब जारी किये गये ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या उक्त आदेश के अनुसार सब विभागीय कर्मचारियों को मंहगाई अलाउन्स मिलने लगा है ?

(घ) क्या यह सच है कि जनवरी, १९६१ में इस विभाग के कुछ कर्मचारियों की छंटनी के आदेश निकाले गये हैं ? यदि हां, तो कितने ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

देवस्थान मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) देवस्थान विभाग के कर्मचारियों के फिक्सेशन का सवाल १९५२ से उठा। उसे तय करने के लिए राजस्थान सरकार ने ४–१०–५६, २८–२–५६, २५–१०–६०, २८–१–६१ व १२–६–६१ को आज्ञायें प्रचलित कीं। इन आज्ञाओं की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(ख) पूरी मंहगाई अलाउन्स देने का निर्णय तारीख २६–१–६१ को हुआ व आदेश २८– –६१ को जारी हुए। आदेश की प्रति सदन की मेज पर प्रश्न संख्या भाग (क) पर पहले ही रख दी गई है।

(ग) जिला कोटा के सेवागिरों को पूरा मंहगाई भत्ता तारीख १. २. ६१ को मिलना शुरू हुआ और जयपुर में मंहगाई १५-६-६१से।

(घ) कोटा की ३२ व जयपुर की ९०, कुल १२२ पोस्ट कम की गई। इस क्रम में सरकार के आदेश दिनांक २८–१–६१ के अनुसार कोटा के सेवागिरों की छंटनी के आदेश क्रियान्वित किये गये परन्तु जयपुर के सेवागिरों की छंटनी का अमल दरामद १२–६–६१ को हुए आदेशों के अनुसार किया गया है। दोनों आज्ञाओं की प्रतिलिपियां

Page No.35

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रश्न संख्या (१) भाग 'क' के उत्तर में पहले ही रख दी गई है।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डॉ० चन्द्रकला : कोटा के सेवागिरों को मंहगाई दी गई १ फरवरी, १९६१ से और जयपुर के सेवागिरों को मंहगाई दी गई १५-६-६१ से; तो जयपुर के सेवागिरों को देर से मंहगाई देने का क्या कारण है और कोटा को पहले किस कारण से दी गई एवं क्या जयपुर के सेवागिरों को कोटावालों को दी गई तारीख से ही दी जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो नहीं। जब ये आदेश जारी किये गये थे तो कुछ स्टाफ जो पहले ही था उसमें कमी की गई। क्योंकि पूरा काम नहीं था कहीं एक घंटे का, कहीं पर दो घंटे का ही काम था। फुल टाइम काम नहीं था, जब मंहगाई भत्ता देने का सवाल पेश हुआ तो यह मामला तय किया गया कि हरएक के पास फुल टाइम काम होना चाहिये। इस तरह से हर मंजिल के अन्दर हर केटेगरी में कमी हुई और जब तक उन आदेशों का पूरी तरह से पालन न हो जाय तब तक मंहगाई भत्ता पाने के हकदार नहीं थे। कोटा के अन्दर उसी तारीख से इम्प्लीमेन्ट हो गये। जयपुर मंदिरों के सेवा-गिरों के कुछ सही तौर पर नहीं बताने से उनको देर से मिला। फुल टाइम वर्क रहने की हालत में ही शुरू किया गया है।

डॉ० चन्द्रकला : छंटनी के आदेश जब फरवरी में इश्यू हो गये थे तो फिर तुरन्त क्यों नहीं लागू हुए और यहां पर देर से क्यों हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको कारण बता दिये। लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन किये और उनकी छंटनी करने में देरी लेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(१२ १५ म० प०)

कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं स्वीकृति

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सभापति, कार्य सलाहकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य-सलाहकार समिति के तेईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-सलाहकार समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के तेईसवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय।

Page No.36

अनुपूरक एवं अधिक अनुदान की मांगें

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करता हूं :

१. अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १६६१-६२ (प्रथम खण्ड) तथा

२. अधिक अनुदानों की मांगें १६५७-५८

अनुपूरक मांग संख्या ५४—मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ५४ ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग की संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २८ लाख तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(इस मांग पर निम्नलिखित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए)

श्री भैरोंसिंह प्रस्ताव करेंगे :

(१) मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५४ दुर्भिक्ष में १) रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान में अकालग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहायता के अभाव पर चर्चा करने के लिये)

(२) मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष में १) रुपये की कटौती की जाय (जैसलमेर जिले के अकालग्रस्त होने पर भी सरकार द्वारा बहुत कम सहायता दिये जाने के विषय पर बहस करने के लिये)

श्री भीमसेन :

(3) Demand No 54, Major Head 54- Famine be reduced by Rs. 100 (To discuss failure of the Government to allot sufficient funds for such areas in Tehsil Lunkaransar where there was insufficient rainfall)]

श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग में दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

(१) राजस्थान में अकालग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहायता के अभाव पर चर्चा करने के लिये ।

(२) जैसलमेर जिले के अकालग्रस्त होने पर भी सरकार द्वारा बहुत कम सहायता दिये जाने के विषय पर बहस करने के लिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सेशन में अकाल के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों पर सदन में विस्तार से चर्चा हुई थी । उस चर्चा के दौरान सरकार की ओर से यह आश्वासन मिला था कि जिन-जिन क्षेत्रों के अन्दर अकाल की हालत हुई है उन तमाम क्षेत्रों में सरकार की ओर से आवश्यक प्रबन्ध किये गये हैं, हालांकि सदन के माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास नहीं हुआ था कि सरकार की ओर से जो उत्तर दिया जा रहा है वह वास्तविकता का पुट लिये हुए है । लेकिन जैसे तैसे भी हो, सरकार के इस आश्वासन पर कि अकाल के मामलों में राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार

(श्री भैरोंसिंह)

सहायता दी जाती है और दी जा रही है और इस प्रकार से दी जायगी। विश्वास करने की कोशिश की। इस समय जो मांग प्रस्तुत की जा रही है उस मांग का सम्बन्ध सीधा अकाल से आता है। राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जिन जिलों के लिए यह कहा जाय कि वहां किसी न किसी रूप में हर वर्ष अकाल रहता है तो कोई विशेष बात नहीं होगी। हमारे राज्य में यह कहावत भी है कि हमारे राज्य में हर तीसरे वर्ष अकाल आता है। सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है। इस सदन में चाहे वह इसे स्वीकार करे या नहीं, लेकिन भारत सरकार से जब सहायता लेने का प्रश्न आता है तो हमारी सरकार की ओर से इस मुद्दे पर भी काफी बल दिया जाता है कि राजस्थान में अनावृष्टि के कारण और अब दुर्भाग्य से अतिवृष्टि के कारण अकाल की स्थिति बनने लग गई है और उस पर काबू पाने के लिए भारत सरकार से हमको अधिक से अधिक सहायता मिलनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से यह भी आश्वासन मिला था कि उस अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए हम स्थायी रूप से प्रबन्ध करने वाले हैं।

एक फूड कमिश्नर की नियुक्ति की गई। उसके द्वारा इस बात के बताने की चेष्टा की गई कि फूड कमिश्नर से फेमिन के संबन्ध में जानकारी लेकर जहां आवश्यकता होती है वहां सहायता पहुँचाने की कार्यवाही करते हैं, लेकिन कुछ मेरा अनुभव बदकिस्मती से इस प्रकार का बनता जा रहा है कि हमारी सरकार चाहे दूसरों को इस बात की शिक्षा दे कि अकाल के मामले में राजनैतिक दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये लेकिन सरकार व खास तौर से इस विभाग के मंत्री महोदय इन अकाल के मामलों में भी राजनैतिक दृष्टि से कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं करते। सीकर झुंझुनू, नागौर, चुरू, जयपुर का कुछ इलाका, जोधपुर में बाड़मेर, पाली का कुछ इलाका, जैसलमेर, जालोर का कुछ इलाका, जोधपुर का कुछ इलाका; ये कुछ इस प्रकार के क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में समय समय पर जांच करें तो अकाल की सी स्थिति नजर आती है।

पिछले सदन के सत्र में कई सदस्यों ने शिकायत की थी कि अकाल के सम्बन्ध में समय पर सूचना नहीं पहुंच पाती। अगर सरकार समय पर सूचना प्राप्त कर ले तो कोई कार्य हो या न हो इतना काम तो हो सकता है कि आंकड़े इकट्ठे हो सकते हैं और वहां पर सहायता देने के लिए विचार कर सकते हैं और उसके बाद सहायता का सारा रूप तैयार करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इन बातों की ओर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया जिसके कारण स्थानीय अधिकारियों द्वारा दूरदर्शिता के अभाव में जो सूचनायें इसकी सहायता के लिए पहुँचनी चाहिए वे नहीं पहुंच पाती। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि सरकार सहायता देने की इच्छुक होती है लेकिन समयाभाव के कारण,समय निकल जाने से सहायता नहीं पहुँच सकती।

पिछले सत्र में कोटपूतली का प्रश्न आया था। कोटपूतली में अकाल की स्थिति के कारण वहां की फसलें नष्ट हो गई, इस बात को सरकार ने पिछले सत्र में स्वीकार भी किया कि वहां इस कारण लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। जिस समय बजट सेशन

(श्री भैरोंसिंह)

में पूछा गया कि लाखों रुपये के नुकसान होने के बाद कोटपूतली में सहायता क्यों नहीं दी गई तो सरकार ने कहा कि हम इस सब की जांच कर रहे हैं । मैं नहीं समझता कोटपूतली का क्षेत्र हमारी सरकार का कृपा-पात्र क्यों नहीं बन सका इसका कारण केवल मात्र राजनैतिक ही है । उस क्षेत्र की सहायता करना विरोधी दल की सहायता करना होगा । सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर आज एक आम शिकायत है कि जिस गांव में अकाल हो, जिस क्षेत्र में अकाल हो, यह सारी स्थिति प्राकृतिक नहीं होती, बरसात के कारण ही अकाल नहीं पड़ता. वहां की फसल नष्ट हो जाती है इसके कारण भी अकाल नहीं पड़ता, अकाल वहीं पर माना जायगा जहां के लिये पटवारी बतावें ।

अध्यक्ष महोदय, एक बीघे में एक मन अनाज पैदा होवे वहां भी पटवारी के कहने पर अकाल माना जायगा । आज पटवारी लेवल के लोग जिस समय चाहे, जिस क्षेत्र के लिये चाहे वहां अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करवा सकते हैं । आज इस सारी स्थिति के अन्दर यह कहा जा सकता है कि कहीं भी अकाल पड़ता है वहां पर पटवारी, सरपंच, गांव का मुखिया हकीकत में मौके पर जाकर निरीक्षण करता है, उसके बाद में कारण बतलाता है और उसकी तस्दीक करता है कि अमुक क्षेत्र में किस किस जगह अकाल है और कितना नुकसान हुआ है । अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र यहां बैठे रहने से सरकार उन सारी कठिनाइयों का पता लगा सकती है यह कदापि हो नहीं सकता । पिछले दिनों में जैसलमेर जिले में गया था, जैसलमेर जिले में जाने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे जैसलमेर का जिला पाकिस्तान का जिला हो और राजस्थान सरकार उसे राजस्थान का जिला अनुभव न करती हो ।

अध्यक्ष महोदय, इस जैसलमेर जिले में जब सन् १९५२ में आम चुनाव हुए और उसके बाद ५७ में आम चुनाव हुए, इन दोनों चुनावों में वहां विरोधी दल के लोग ही जीते । जैसलमेर का जिला अशिक्षित है, इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि वहां राजनैतिक चेतना न हो और उसके कारण वहां की जनता माननीय मंत्रीजी को प्रभावित न कर सके और उसके लिए वह सहायता प्राप्त न कर सकती हो । यह बात नहीं । वहां विरोधी दल के लोगों के आने के बावजूद भी मैं ऐसा समझता था, जैसा राजस्व मंत्रीजी ने आश्वासन दिया कि हम इन चीजों को राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखते । लेकिन जिस किसी ने भी जैसलमेर के जिले को देखा है वहां की पिछली दस साल की स्थिति को देखा है वह एक स्वर से कह सकता है कि वहां सहायता देने का आधार राजनैतिक दृष्टि रहा है । वहां जाकर मुझे मालूम हुआ कि जैसलमेर जिले के अन्दर आज से नहीं लगातार कई वर्षों से अकाल पड़ता आ रहा है । जैसलमेर के जिले में सन् १९४९ से लेकर १९६१ तक एक वर्ष बीच म छोड़कर सब वर्षों में वहां अकाल रहा । १९४९-५० में अकाल रहा, १९५०-५१ में अकाल रहा, ५१-५२ में अकाल रहा, ५२-५३ में अकाल रहा ५३-५४ में अकाल रहा, ५४-५५ में अकाल रहा, ५५-५६ में अकाल रहा, ५६-५७ में अकाल रहा, ५७-५८, ५८-५९, ५९-६० और ६०-६१ में अकाल बराबर रहा, है । आज जिस जिले में निरन्तर दस सालों

(श्री भैरोंसिंह)

तक अकाल की स्थिति रही है वहां ऐसा लगता है कि यह जिला सरकार द्वारा निरन्तर उपेक्षित रहा है। सरकारी अधिकारियों को ले लीजिये उस स्थान पर वे अधिकारी भेजे जायेंगे जिनसे सरकार नाराज हो या जिनको सरकार सजा देना चाहती हो, सरकार के जो रिजेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनको वहां भेजा जाता है। ऐसा लगता है, जिस प्रकार से भारत में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस समय आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग जिनको सरकार सजा देती थी उनको अण्डमन भेज देती थी, जिसको काला पानी के नाम से पुकारा जाता था; आज हमारी राजस्थान सरकार अपने जिन सरकारी अधिकारियों को सजा देना चाहती है उनके लिए जैसलमेर स्थान निर्धारित कर रखा है और जिनको सजा देनी होती है उनकी नियुक्ति जैसलमेर में की जाती है। वहां पर अधिकारी जाकर कुछ काम नहीं करते, उनके दिमाग में यही भाव रहते हैं कि हमें तो यह सजा का समय निकालना है। वे देखते हैं कि यहां से हमारी जितनी अधिक शिकायतें होंगी उतना जल्दी हमारा ट्रान्सफर यहां से हो जायगा। वे जान बूझकर यह चाहते हैं कि हमारी शिकायत हो ताकि शिकायत के नाम पर स्थानान्तरण तो हो जाय।

इन सारी स्थितियों के अन्दर वहां के अधिकारी दिलचस्पी से काम नहीं करते, वहां जाकर जिन अधिकारियों को आराम नहीं मिलता जीवन के परेशानियों के दिन वहां निकालने को वे जाते हैं या भेजे जाते हैं इसलिये सरकारी अधिकारी के रूप में वे जनता की सेवा कर सकें, ऐसा नहीं कर पाते। या जैसलमेर जिले के अन्दर जो भी कलेक्टर्स भेजे जाते हैं या तो वे नये रिक्रूट हुए होते हैं उनको भेजा जाता है। हो सकता है वहां प्रशासन की ट्रेनिंग उनको अच्छी मिल सकती हो, जिन अधिकारियों के ऊपर खास तौर से माननीय राजस्व मंत्री महोदय की नाराजगी होती है उनको वहां भेजा जाता है। उनके जाने के बाद उनके सामने जो सब से बड़ी प्रोब्लम होती है वह बोर्डर की प्रोब्लम होती है। आये दिन वहां स्मगलिंग की शिकायतें होती हैं, या किसी के पशु चोरी हो गये हों इसकी शिकायत होती है या किसी की औरत को पाकिस्तानी उड़ाकर लेगये हों। इस बात की शिकायत होती है। इन शिकायतों को मीट करने के लिये वहां जो स्टाफ है वह अपर्याप्त हो सकता है। वहां यह कहा जा सकता है कि हमने वहां आर. ए. सी. को लगाया है, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी नियुक्त किये गये हैं; फिर भी राजस्थान के इस बोर्डर इलाके की जिस प्रकार की स्थिति है वह देखते हुए एक प्रकार से सरकार का जो इसके प्रति उपेक्षा का रुख है वह चिन्ता का विषय है। पिछले दिनों जब जैसलमेर में बाढ़ आयी थी उस समय वहां का लिंक अन्य जगहों से टूट गया। पांच दिन तक मोहनगढ़ का जैसलमेर से सम्पर्क टूट सा गया था। आज वह जिला, जिस जिले के सरहद पर पाकिस्तान हो वहां पर यदि कॉम्युनिकेशन के साधन का अभाव हो तो वहां कैसे सुरक्षा और शान्ति रह सकती है...

श्री दामोदरलाल व्यास : We were discussing the famine issue and neither be border security nor the R.A.C. I think the Hon'ble member should confine to the issue.

श्री भैरोंसिंह : I am discussiag cnly the Famine...

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

श्री दामोदरलाल व्यास : You are not discussing that...

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन यह कर रहा था, आप वहां पर जिन जिन गांवों में फेमिन है वहां की स्थिति का पता नहीं लगा सकते। वहां कॉम्युनिकेशन का अभाव है....

श्री दामोदरलाल व्यास : You are discussing the border issue and the R. A. C. Let him say, what measures should be taken...

श्री भैरोंसिंह : आप जरा घबराइये नहीं, सुनते जाइये।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जैसलमेर की हालत मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ और इसलिये करना चाहता हूँ कि वहां की वास्तविक हालत की सूचना सरकार के पास नहीं आ पाती है और न आने का कारण जैसा मैंने निवेदन किया सरकार की अयोग्यता और लापरवाही है और है उनकी उपेक्षावृत्ति की नीति। उस उपेक्षावृत्ति की नीति की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

कहने का तात्पर्य यह है कि आप उपेक्षावृत्ति अपनायें, कुछ भी करिये; पर इस सरहद के इलाके में न अपनाइये। अगर इस सरहद के जिले को उपेक्षा वृत्ति से देखते हैं तो हमें चिन्ता होना स्वाभाविक है।

अब मैं कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने बताया था कि जैसलमेर में पानी की, चारे की और अनाज की कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिये अनाज के डिपो सरकार ने खोले हैं, चारे के डिपो खोले हैं और पानी की व्यवस्था की गई है। पानी की व्यवस्था के लिए माननीय मन्त्री महोदय ने बड़े जोर-शोर के साथ बताया कि चन्दना के ट्यूबवैल में काफी पानी निकल आया है। सरकार ने ऐसे छः स्थान बताये, मैं अभी उन छः स्थानों पर जाकर आया हूँ। यह बात सही है कि ट्यूब वैल का एक्सपेरिमेन्ट वहां सक्सेसफुल हुआ है। पानी की बहुतायत है पर बदकिस्मती है वहां की कि यह चन्दना वैल सन् ५७ से तैयार है, चालीस हजार गैलन पानी पर—ऑवर की उसकी कैपेसिटी है पर हमारी सरकार सन् ५७ से लेकर आज दिन तक उस पचास हजार गैलन पर ऑवर की कैपेसिटी वाले पानी का उपयोग नहीं कर पाई। एक छोटा सा सब्जी का बाग वहां लगा रखा है, या थोड़ी गेलिया या हौज लगा रखी है। इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं है। डाबला, करमा की ढाणी और बाकी के और तीन स्थानों पर जहां ट्यूबवैल के सक्सेसफुल होने के कारण पानी मिला है, उनके पानी का किसी प्रकार का उपयोग नहीं। एक तरफ पानी पड़ा है और दूसरी तरफ पीने तक को पानी मिलता नहीं है, पानी के अभाव में त्राहि-त्राहि करके सरकार को बददुआएं दे रहे हैं। पानी निकला है, पर प्यासे के पेट में नहीं जाता है। तो ऐसे उस कुए प्यासे को कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, पानी बाहर निकले और प्यासे के पेट में जावे तो समझ सकते हैं कि हमारी सरकार ने कुछ राहत का काम किया है। यह बदकिस्मत जैसलमेर का इलाका है। जहां पानी की कमी नहीं, जिस पर कृपा करके भारत सरकार ने पैसा देकर ट्यूबवैल का एक्सपेरीमेन्ट करवाया, पर राजस्थान सरकार ऐसी अयोग्य साबित हुई कि लाखों प्यासे मरते लोगों तक पानी पहुँचा

Page No.41

(श्री भैरोसिंह)

नहीं रुकी।

अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर के जिले में खास जैसलमेर में पानी के लिये लोग गदेसर तलाब के पानी पर निर्भर करते हैं। उसमें अगर पानी आ गया तो जैसलमेर का शहर हराभरा हो गया, लोगों के दिल हरे-भरे हो गये, नहीं तो ब के सब पर ऐसीमुर्दनी छा गई जैसे मौत आ गई। आज राजस्थान सरकार यह कहे कि वह दो करोड़ रुपया पानी के लिये खर्च करती है, पानी की समस्या दूर करती है। वहां पर वह एक जिले के हैड क्वार्टर पर पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती और दावे करे कि पानी की व्यवस्था कर रही है तो यह राजस्थान सरकार के लिये शर्म की बात है। राजस्थान के और जिलों के हेड क्वाटर कुए का, नल का पानी पीवे और राजस्थान की सरहद पर रहने वाले जैसलमेर के लोग तालाब का सड़ा, गन्दा और बीमारी के घर वाला पानी पीवें। फिर सरकार कहती है, हम कुए खुदवा रहे हैं। तस्वीरें बताती हैं, रीलस बताती है, चन्दना वैल और करमा की ढाणी का भाग बताती है इससे करमों को नहीं फोड़ा जावेगा। उनको तो पानी चाहिये। सरकार इस तरह दावा कर रही है, पानी की व्यवस्था कर रही है पर सरकार अगर उस पानी को प्यासे के पेट तक पहुंचा सकती तब तो उसकी तारीफ कर सकते थे, पर आज नहीं, आज उसने कुछ नहीं किया।

आज वहां बाहर गांवों में ऐसी स्थिति आ रही है, बाढ़ की हालत तो आगे अर्ज करूंगा, जैसलमेर जिले में आज गांवों में मुख्य धन्धा जो है काश्त नहीं है, पशु पालन का है, उसके बारे में निवेदन करूंगा। वहां पर गायें रक्खी जाती है। भेड़ बकरियां रखी जाती है, ऊंट और घोड़े रखते हैं वहां के लोग। ये सारे पशु-पालन के मुख्य धन्धे हैं। अब पशु-पालन करने वाले लोगों के सामने यदि अकाल की समस्या आती है तो उसके समाधान के लिये जहां तक रोटी का सवाल है, उसका हल अनाज से होगा। पर जानवरों के चारे की आवश्यकता है तो चारे से समस्या का हल होगा। पिछली बार राजस्व मन्त्रीजी ने बताया था कि कई स्थानों पर, जैसा उनके भाषण में मैंने नोट किया है, तीन स्थानों पर बताया था, कि हमने सस्ते चारे की दुकानें खुलवाई हैं। एक समय में एक रामगढ़ में और एक फतहगढ़ियाल में तीन जगह तीन डिपो खोलने की बात कही। मैं स्वयं ये दुकानें देखने गया। जाकर पूछा तो पता लगा कि पहले जैसलमेर में लोगों को प्राइवेट रूप में चारा मिलता था और जिस समय सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, उस समय २॥ रु० मन में मिलता था और जहां लेने वाला चाहता था वहां तक पहुंचा कर दिया जाता था और जिस समय यह कन्ट्राक्ट दे दिया और आठ आना मन का मार्जिन ठेकेदार को दिया तब से उसने ३ रु० मन के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया और पहले जहां एक मील के अन्दर तक मकान तक पहुंचाया जाता था, वहां उसने वहां तक पहुंचाने का आठ आना और चार्ज करना शुरू किया और इस तरह जो चीज पहले प्राइवेट में २॥ रु० मन तक उनको अपने मकान पर मिल जाती थी वहां सरकारी इन्तजाम हो जाने के बाद ३। रु० मन में मिलने लगा है। पर यह भी ठीक है, समझ में आ सकती है बात और यह भी राजस्व मन्त्रीजी की बात मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने चार

(श्री भैरोंसिंह)

की ये दूकानें खुलवाईं, पर एक दूकान में जो फिगर बिक्री के मुझे मिल सके उससे मालूम हुआ कि पांच हजार मन घास कुल बिका था। आप अन्दाज लगाइये कि जिस जैसलमेर में दस लाख के करीब जानवर हों हमारी सरकार के आंकडों के अनुसार, हालांकि मैं इन आंकड़ों को भी गलत मानता हूं, पर यह बाद में बताऊंगा, उन दस लाख पशुओं के लिये चारे की तीन दुकानें खुलवाती है और एक दुकान में पांच हजार मन चारा बिकता है तो दस लाख पशुओं के लिये तीन दुकानों पर १५ हजार मन चारा सरकार दे देती है। यह देकर राजस्थान सरकार सो जाती है और यह समझती है कि यह पन्द्रह हजार मन चारा उसने दे दिया है तो चला १० लाख पशु जिन्दा रह जावेंगे। और वाहवाही लूटते है। मैं अब सरकार से पूछना चाहूँगा कि क्या इस १५ हजार मन से अकाल पीडितों को राहत मिल जावेगी। आप बताइये जिस व्यक्ति के पास पांच सौ बैल, पांच सौ गायें रखने को हों और यह ३॥ रु० मन के हिसाब से चारा खरीद कर यहां अपने ५०० जानवरों का पालन करना चाहे तो पालन कर सकता हैं? असम्भव, बिलकुल कठिन है। अगर इसमें वह अपनी सारी पूंजी भी लगा दे खरीदने में तो इतने महंगे चारे को लगातार महीनों तक खरीद कर अपने पांच सौ जानवरों को नही बचा सकता, बचाने का वह इन्तजाम नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूँ राजस्व मन्त्रीजी से कि अगर उन्होंने कोई कार्यवाही इस बारे में की हो तो आंकड़े प्रस्तुत करें कि आपने घास के लिये कितनी तकावी दी? एक पैसे की तकावी नही दी गई, में दावे के साथ कह सकता हूं। अगर वे पन्द्रह हजार मन घास खरीदने पर और ज्यादा खरीदने के लिये तकावी देते तो इस बात को आधार नहीं मिलता कि सैकड़ों पशु वहां मर गये, अगर देते तो दो करोड़ के पशु नहीं मरते। पर वे मर गये, इसके बाद में आगे अर्ज करूंगा। पर वे दो करोड़ के पशु मर गये और बुरी तरह से मर गये, तड़प तड़प कर प्यास और भूख के कारण मर गये और हमारी सरकार ने १५ हजार मन घास देकर सन्तोष कर लिया। तकावी के नाम पर कोई तकावी घास खरीदने के लिये नहीं दी।

अब कहते हैं कि पंचायत समितियों के द्वारा वहां कुछ तकावी बंटी है। किसलिये बटी है? बैल खरीदने के लिये, ट्रेक्टर या कोई मशीनरी खरीदने के लये? तकावी बंटी है कि कोई जानवर खरीदे, एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स खरीदे, कुंए बनावे और सिंचाई के काम करे। बाकी अकाल के मामले के लिये किसी को कोई तकावी दी हो तो आंकड़े बतावें।

अब दूसरा प्रश्न था पानी का, वह भी गम्भीर प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले को जाकर देखें, रबी क्रॉप्स भी वहां होती हैं; खरीफ ही नहीं, रबी भी होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहां कि अगर कोशिश की जावे तो चावल भी पैदा हो सकते हैं। जहां पर पानी के दिनों में पानी की आमद होती है वहां मेंड़ लगा देते हैं तो पानी वहां इकट्ठा हो जाता है और ज्यों ज्यों उसका पानी सूखता जाता है और जमीन निकलती है तो वहां चना और गेहूं बो देते हैं। इससे उनको राहत मिलती है। इस खयाल के मामले को लेकर हमारी राजस्थान सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

के राजस्व मन्त्री जी तो अभी तक उसे देख भी नहीं पाये होंगे कि खड़ीन की क्या स्थिति है आज वहां पर और क्या स्थित है वहां के पशुओं की और लोगों की, दो करोड़ का पशुधन स्वाहा हो गया पर उनको इसकी चिन्ता नहीं है। मालपुरा में अगर कहीं आग लग कर पांच रूपये का नुकसान भी हो गया तो पचास रुपये पेट्रोल के फूंककर वे वहां भागेंगे और पांच के नुकसान के बदले कई का भुगतान करवा देंगे, पर जहां दो करोड़ का नुकसान हो गया वे शायद वहां गये भी नहीं। खड़ीनों की वहां हालत क्या है, सारे खड़ीन आज टूट चुके हैं बरसात के कारण और वर्षों की बेमरम्मत के कारण। उनकी कोई मरम्मत नहीं करा पाई यह सरकार। उन खड़ीन की हालत खराब होने के कारण वहां के लोग अनाज पैदा करके अपना पेट नहीं भर सकते, न अपने पशुओं को पानी पिलाकर जीवित रख सके। सारे के सारे खड़ीन आज राज्य सरकार की भयंकर उपेक्षावृत्ति के कारण टूट-फूट गये हैं। आज सरकार की कहीं उनको ठीक करने की तैयारी नहीं है और इसलिये काश्त नहीं होती और पशुओं को पानी पिलाने के साधन भी समाप्त हो गये। मैं एक एक खड़ीन पर गया था। अगर इनको देखा जाये तो एक मसूरडी का खड़ीन और एक कोटा का खड़ीन: ऐसे ऐसे बड़े बड़े खड़ीन हैं जिनकी थोड़ी सी भी मरम्मत करा दी जाये तो उससे हजार हजार बीघा में काश्त हो सकती है और वहां पर रहने वाले लोग रबी की भी फसल करके अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन आज उपेक्षावृत्ति की नीति के कारण उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनकी कोई मरम्मत नहीं कराई जाती। मैं पिछली बार का तो नहीं कहता लेकिन इस बार बदकिस्मती से कई लोगों ने खड़ीन की मरम्मत कराने का काम शुरू कर दिया। वहां पर राजस्व मंत्री महोदय ने अपनी एक तारीफ बताने के लिए जैसलमेर में समरी सेटलमेन्ट कराया और उसका सारा नक्शा इस समय यदि मैं सदन के सामने रखना चाहूँ तो काफी समय लगेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतना मैं सदन को बतादूं कि वहां पर जो समेरी सेटलमेन्ट हुआ है उसके कारण से वहां ऐसा हुआ है कि वहाँ के लोगों को पता नहीं कि मेरा खड़ीन किस-के नाम पर लिखा गया है और किसके नाम पर नहीं लिखा गया। पटवारी ही वहां पर एक जगह बैठकर सेटलमेन्ट का नक्शा बनाता रहा। पहले तो गिरदवार करता था, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री महोदय की योग्यता के कारण आज पटवारी बैठे बैठे सेटलमेन्ट करने लग गये हैं। आज वह समेरी सेटलमेन्ट ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर के पास में जाकर देखिये कि चार चार सौ और पांच पांच सौ आदमी रोज इसलिए वहां पर खड़े हैं कि सेटलमेन्ट अच्छी तरह से नहीं हुआ और वे कहते हैं कि मेरी जमीन समेरी सेटलमेन्ट में पटवारी ने किसी दूसरे के नाम लिख दी है। एक स्थान पर बैठ गया पटवारी, दस पन्द्रह मील पटवारी घूमता नहीं और बगैर मौका देखे उसने नक्शा बना दिया। अगर माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करना चाहें तो वहीं जा कर कर सकते हैं। मैं स्वयं जिस दिन गया उस दिन वहां पर ३०० आदमी इसलिए बैठे थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम अर्जी देते हैं कि सेटलमेन्ट में हमारे नाम गलत दर्ज

(श्री भैरोंसिंह)

हुए हैं ।

आज हमारी यह हालत हो गयी है कि हम खड़ीन की मरम्मत नहीं करा सकते, आज अध्यक्ष महोदय, खड़ीन की हालत खराब हो गयी, चारे की हालत खराब हो गयी, वहां पर आज पानी की समस्या है उसका समाधान नहीं करा पाये और इसके साथ ही साथ हमारे राजस्व मन्त्रीजी कहते हैं कि मैंने लोगों की भूख की समस्या का समाधान किया है। मैं उस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री से कहना चाहूँगा कि जो इन्सानियत की बातें वे करते हैं, जो कभी कभी यह कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से अकाल के मामले में विचार नहीं करना चाहिए, सदन भी उनकी बातों पर विश्वास करता है; पर वे यदि जैसलमेर जाते और वहां की स्थिति देखते तो यह अनुभव करते कि जो अनाज वहां पर बिकवा रहे हैं वह आदमी का पेट भरने का है या जहर देने का। अगर आप वहां जाकर यह देखते तो मालूम होता कि जिनकी आप सहायता करना चाहते हैं वह सहायता नहीं देते बल्कि उनको जहर दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा वहां के लोग कहने लगे कि यह सस्ते गल्ले की दुकान है। तो मेरी भी इच्छा हुई कि हमारे मन्त्री जी बार बार सस्ते गल्ले की दुकानों का जिक्र करते हैं उसके बारे में स्वयं जाकर देखूं कि क्या हाल है। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला जाऊँगा तो ठीक नहीं रहेगा, अच्छा तो यह हो कि एस० डी० एम० और तहसीलदार दोनों को साथ ले लिया जाये। मैं यह अपेक्षा तो नहीं करता था कि वह दोनों अधिकारी साथ आ जायेंगे। लेकिन शायद जनता के लोग काफी मेरे साथ थे तो वहां के एस० डी० एम० और तहसीलदार दोनों मेरे साथ हो लिये और हम सब मिलकर उसी सस्ते गल्ले की दुकान पर पहुँचे। उस दुकान पर ४७०० बोरियां पड़ी थीं। कुल इतनी बोरियां आई थीं जिनमें से १००० बैग्स तो रिटेल शॉप्स के लिए देहातों में भेजने की रखी थीं। वहां पर अनाज का भाव पूछा गया तो बताया गया कि १२.४२ नया पैसा जैसलमेर में जवार मिलेगी और १२.७९ नया पैसे की भाव से रूरल में मिलती है और उसी तरह से १५ रुपये मन के हिसाब से गेहूँ मिलते हैं। जिस समय बाजार में भाव पूछा गया तो बाजार में अच्छे गेहूँ १७ रुपये मन के हिसाब से मिलते थे। कोटा की जवार १४.८० नये पैसे के हिसाब से मिलती थी। वहां पर माइलो भी सरकार ने भेजी थी वह भी बिल्कुल खराब थी और उसके मुकाबले में जो शहर में मिलती थी वह बहुत अच्छी थी। लेकिन यह सब कुछ होने के बाद मैंने दुकानदार से कहा कि आप एक काम करो कि जरा इस गल्ले के नमूने तो बताओ। उसने क्या कर रखा था कि जितनी भी अच्छे अच्छे गेहूँ की बोरियां थीं वे आगे सामने की ओर रख रखी थीं और जितना रद्दी माल था उसे पीछे की लाइन में रख रखा था। उस दुकानदार ने परखी लगाई तो अच्छा गेहूं आया, तो हमने कहा कि पांच सात बोरियों में परखी लगाओ तो उनमें से सारा अनाज ही अच्छा निकलने लगा। तो जो लोग मेरे साथ थे मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने तो मुझे सूचना दी थी कि सड़ा हुआ अनाज बेचते हैं तो उन्होंने कहा कि इस लाइन को छोड़ कर

(श्री भैरोंसिंह)

परखी अगली लाइन में लगाइये;तो अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार ने और मैंने दोनों ने उस स्थान मे चार चार प्रकार के नमूने लिये और उन पर दस्तखत किये थे। लेकिन बदकिस्मती ऐसी थी कि वह नमूने चाहे सरकार ने देखे या नहीं, पर जो नमूने मैं लाया था उनमें से ३ नमूने तो बदकिस्मती से चूहे खा गये और मेरे पास यह एक नमूना बचा है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : चूहे खा गये या आप खुद रोटियां बनाकर खा गये।

श्री भैरोंसिंह : वह तो रोटियां बनाने लायक नहीं थे। मैंने इसको भी संभाल कर रखा, पर यह भी चूहा खा गया। लेकिन यह जो मेरे पास सेम्पल है इस अनाज को देखने के बाद ऐसा मालूम पड़ेगा कि यह वास्तव में मनुष्यों के खाने के लायक है या अनाज देने वाले व्यक्तियों को सजा देने के लायक है। इसमें १०० में से १ भी दाना आपको साबुत नहीं मिलेगा। सारे का सारा पाउडर बना हुआ है। मैं राजस्व मंत्री महोदय के सवाल की अपेक्षा कर इसके परिणामस्वरूप यह मागूंगा कि इस अनाज की वह फांकी लेकर देखें कि यह मनुष्यों के खाने के काबिल है या कैसा है। अगर वे इसकी फांकी नहीं ले सकते है तो फिर त्यागपत्र देकर चले जायें। राजस्थान की जनता को इस तरह से सड़ा हुआ अनाज देने की क्या आवश्यकता है? आज मालपुरा में अकाल हो तो आप फौरन चले जायेंगे, लेकिन जैसलमेर में अकाल हो तो आपको फुरसत नहीं मिलेगी। आज वहां की गरीब जनता को कहा गया कि तुम्हें यह अनाज खाना पड़ेगा। उस अनाज को लेकर हमारी सरकार कहती है कि आम लोगों में राहत के काम दे रहे हैं। राहत के कामों के लिए सरकार कहती है कि हम सड़कें बना रहे हैं, अकाल के लिए रिलीफ वर्क्स हो रहे हैं। तो आप मुझे बतायें कि जैसलमेर में एक मील की भी सड़क रिलीफ वर्क्स के अण्डर में बनाई है। कोई तालाब खुद रहा हो तो बताइये। लेकिन मुझे मालूम है वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। हां, कागजों पर काम तो बहुत होगा, उसका तो राजस्व मन्त्री जी को पता होगा और अगर कोई वर्क्स किए हुए मिलेंगे तो मालपुरा में मिलेंगे, जैसलमेर में नहीं मिलेगा। उस सारी स्थिति में मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूँगा कि जैसलमेर का जिला भी राजस्थान का एक जिला है, वहां की जनता भी टैक्स देती है। यह हो सकता है कि वहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो और हमारी सरकार मुसलमानों के पक्ष में न हो और सम्भवतः सरकार की यह नीति हो कि यहां पर दी गई सहायता पाकिस्तान को पहुंचेगी क्योंकि जैसलमेर का बहुत कुछ इलाका पाकिस्तान के बोर्डर पर है। यदि सरकार की ऐसी मान्यता है तो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मान्यताओं के आधार पर सरकार का काम नहीं चलेगा।......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह मान्यता आपकी हो सकती है, कांग्रेस की नहीं है मुसलमानों के बारे में।

श्री भैरोंसिंह : वहां पर हिन्दुओं की ज्यादा आबादी नहीं है, मुसलमानों की है और यह मुसलमानों के साथ हुआ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुसलमान

Page No.46

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं जानते तो धोखे में आ रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि ऐसी स्थिति में मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि मानवता के नाते वह इन चीजों का विचार करें और राजनैतिक दृष्टि से इन पर विचार न करें। मैं सीकर, झुंझुनू और चूरू का प्रश्न इस समय छोड़ देता हूँ। चूरू में जो गांव आपको पसन्द आते हैं वहां तो अकाल होता है और जो पसन्द नहीं आते उनमें अकाल नहीं पड़ता है। सीकर पर आपका कहर है, चूरू और झुंझुनू पर भी आपका कहर है, मैं उसकी चिन्ता नहीं करता। मैं समझता हूँ कि वहां के लोग थोड़े मालदार हैं और थोड़े बहुत अकाल की परवाह नहीं करते और बरदाश्त कर सकते हैं, लेकिन जैसलमेर के लोग बहुत गरीब हैं और उनके साथ मानवता की दृष्टि से सोचा जाये.....

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बिलकुल राजनैतिक दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं, यह बिलकुल मानवता की दृष्टि से बात कर रहे हैं। यह गौर तलब बात है।

श्री भैरोंसिंह : मैं बिल्कुल राजनैतिक दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूँ। मैं मानवता के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। मैं आपकी राजनैतिक कार्यवाहियों को एक्सपोज कर रहा हूँ। अगर आपकी राजनैतिक कार्यवाहियों को एक्सपोज करने में राजनैतिक दृष्टि समझें तो समझते रहें, मुझे कोई एतराज नहीं है।....

श्री दामोदरलाल व्यास: समझने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : समझते हैं तब तक समझते है। मन में सब जानते हैं। मन में सब दुखी हैं। जिस दिन वह दुःख प्रकट हो जायगा आप भी समझ जायेंगे। किस दिन समझने वाले हैं, वह दिन आने वाला है। उस दिन का इन्तजार करिये। गरीब परेशान हो रहे हैं. उनकी बद-दुआएं लग रही हैं। जब लगने का मौका आयेगा तो सारी स्थिति सामने आ जायेगी। आपको यह अभिमान करके नहीं चलना चाहिए कि आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह का अमर पट्टा लेकर आये हैं और हिलने वाले नहीं हैं। बड़ों बड़ों की कुर्सी हिल गई है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि...

श्री दामोदरलाल व्यास : आप नहीं आने वाले हैं, याद रखिये।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में क्या हो रहा है ? इनसे पूछा जाय कि वहां कितने टीन भेजे, कितनी आपने सीमेंट भेजी, कितने आपने इन्डस्ट्रीज, कारखाने वहां पर खुलवाये ? ऊन का वहां पर कितना काम करवाया ? शीप ब्रीडिंग सेन्टर वहां चला रहे हैं, यह तीन वर्ष से चल रहा है, वहां पर निल उत्पादन है, प्रोड्यूस निल है। शीप ब्रीडिंग सेन्टर का उत्पादन निल है। वहां पर ऊन ब्रीडिंग सेन्टर आपने खोल रखा है लेकिन उसका उत्पादन निल है। खर्चा लग रहा है लाखों का और उत्पादन निल है। शीप ब्रीडिंग सेन्टर से ब्रीडिंग की कार्यवाही चालू नहीं होती और सरकार का खर्चा लाखों रुपये का है।

(श्री भैरोंसिह)

लैण्ड युटिलाइजेशन कमेटी ने सरकार को एक रिपोर्ट पेश की है, और रिपोर्ट पेश करने के बाद में सरकार से कहा कि जैसलमेर मे फोडर का प्रबन्ध करने के लिए ग्रेजिंग ग्राउण्ड या फोडर का इन्तजाम करने के लिए कुछ पॉयलाट प्रोजेक्ट चालू किये जाने चाहिए। बदकिस्मती तो यह है कि राज्य सरकार कमेटी नियुक्त करती है और कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है, लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जो सिफारिशें होती हैं उन सिफारिशों को चालू नहीं करते। वह सिफारिश यदि दूसरे क्षेत्र के लिए कर दी जाय, यदि कहीं पर ऊन का कारखाना चालू करना हो तो शायद सिफारिश अधूरी ही हो, उसी रिपोर्ट को पूर्णतः कराने की कोशिश की जायगी। जैसलमेर में पायलोट प्रोजेक्ट की सिफारिश करने पर भी सरकार अपने कानों में तेल डाल कर सो जाती है, क्योंकि जैसलमेर से एक ही बोलने वाला है, क्योंकि वहां से एक ही सीट है और बाकी जिलों से आठ आठ सीटें होती हैं। जैसलमेर से विधान सभा की एक ही सीट है और आज उस सीट को भी कांग्रेसी बना लिया है तो जो डर था वह नहीं रहा, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। आज यह स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर आज कई कामों को चलाया जा सकता है। वहां पर पत्थर का काम चल सकता है। ऊन का कारखाना वहां पर चल सकता है,वह ऊन का काम वहां पर नहीं है। चारा इकट्टा करने की कार्यवाही चल सकती है यह चारे का काम नहीं है। वहां पर कई प्रकार के मिनरल्स है वहां मिनरल्स की कार्यवाही हो सकती है तो मिनरल्स के बारे में कोई कार्यवाही नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार से यदि कोई यह पूछे कि जैसलमेर की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं तो शायद सरकार कहेगी कि हमने वहां पर पायलोट प्रोजेक्ट चालू किया है। यही कहेगी सरकार, लेकिन क्या कहे वह भी, अध्यक्ष महोदय देसर में एन्क्रोचमेंट एरिया में तार लगा दिये हैं। गोचर भूमि जो थी उस गोचर भूमि को बन्द कर दिया है तो जैसलमेर की गायें कहां चारा चरें? उनके चरने का कोई इन्तजाम नहीं किया, लेकिन पायलोट प्रोजेक्ट चालू करने की नियत से सार्वजनिक भूमि पर तार लगाकर सारे एरिया को बन्द करने की कार्यवाही कर दें तो गायें यों मर रही हैं। पानी के कारण से मर रही हैं, चारे के कारण से मर रही है। लोग बेकारी के कारण से मर गये, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की सहूलियत उद्योग-धन्धे के लिए नहीं।

वहां जाकर जैसलमेर के इलाके को कोई देखे तो ऐसा लगता है कि जैसलमेर किसी जमाने में भारत का एक महान् कला केन्द्र रहा होगा। एक एक पत्थर के अन्दर कला दिखती है, एक एक मकान में कला दिखती है। एक एक पत्थर में इतनी कला है कि यदि एक पत्थर को लेकर घूमा जाय तो जितना कलात्मक काम जैसलमेर में मिलेगा उतना सारे राजस्थान के किसी भी हिस्से में नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ८४ गांव पालीवालों के है उनके किसी भी गांव में चले जांय तो ऐसा लगता है कि उनको मोन्यूमेन्ट्स डिक्लेअर किये जाना चाहिए और यदि वहां पर टूरिस्ट सेन्टर घोषित किया जाय सारे क्षेत्र को तो टूरिस्ट्स मालपुरा जाने से नफरत करने लगेंगे और जैसलमेर में जाकर उन मन्दिरों को देखने की कोशिश

(श्री भैरोंसिंह)

करेंगे । वहां पर टूरिस्ट्स को जाने के लिए कोई फेसिलिटी नहीं है । अगर कोई जायगा तो खराब होगा । बिना पानी के मर जायगा । किसी तरह की व्यवस्था नहीं है । सारे इलाके की हर प्रकार से उपेक्षा कर रखी है ।

अब मैं एक बात और कहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय ने घोषणा की थी और सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि सारे रिलीफ वर्क्स के लिए, सारे फेमिन के लिए कोई कानून बने । सरकार ने कहा था कि रूल्स बना रहे हैं । फिर रूल्स के लिए कहा कि एक फेमीन कोड बना रखा है । पिछली बार मैंने खास तौर से पूछा था और निवेदन भी किया था कि फेमीन कोड को सचिवालय से बाहर निकालो ताकि लोगों को पता लगे । अभी १५ दिन पहले मैंने जानकारी की तो पता लगा कि फेमीन कोड सचिवालय से बाहर नहीं निकला है । या तो ऐसा लगता है कि फेमिन कोड इतना वजनी है कि उसको उठाने वाला सरकार के पास ट्रेक्टर नहीं है, या ऐसा लगता है कि आज उन बातों को जो कि संबंधित मंत्री महोदय ने कही हैं लोगों से वह कहीं भूट नहीं निकल जाय इसलिये कागज को बाहर नहीं निकलते है । आज यह कहा जाय, जैसा कि पहली बार कहा था, कि छपवाया नहीं है और इसलिए नहीं छपा है कि प्रेस में बहुत सा काम है । मैं यह समझ नहीं पाया हूँ कि राजस्थान में केवल जयपुर में ही प्रेस नहीं है, जोधपुर में भी प्रेस है । आपका और काम भी जो कि अनावश्यक है वह जल्दी से जल्दी छप कर आ जाता है । नाथद्वारा एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट रातों रात छप जाती है, लेकिन राजस्थान के करोड़ों लोगों का सवाल आता है, रिलीफ वर्क्स और अकाल की समस्या का सवाल आता है तो फेमीन कोड प्रेस में नहीं छप सकता है । इसका कारण तो राजस्व मंत्री जी बतायेंगे, लेकिन मैं कारण ऐसा समझता हूँ कि इस समय जो सारा डिसीजन अपने हाथ में रख छोड़ा है वह कानून से नहीं बांधना चाहते हैं । वह इसलिये नही निकालना चाहते हैं कि जनता फेमीन कोड को देख कर जो राहत कानून में दी है वह सहायता प्राप्त न कर सके ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह काम, सारे फेमीन का काम, राजस्थान में एक पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर के रूप में चलना चाहिए । राजस्थान में जब ऐसी स्थिति पैदा होगी कि कभी अकाल नहीं होगा उस समय विचार करेंगे कि इस डिपार्टमेंट को डिजोल्व करें जैसा कि कमिश्नरियों को डिजोल्व किया है । लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि हम एक पर्मानेन्ट डिपार्टमेंट कायम करें । अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि अकाल के मामले में मानवता के आधार पर विचार नहीं करके सारे राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं । इसलिये इस प्रकार के बोर्ड को ऑटोनोमी दी जानी चाहिए जो राजस्थान के हर इलाके में जनता की शिकायत पर जाकर वहां सुनकर आवश्यकता के अनुसार जो सहायता दी जाय उस प्रकार से सहायता दे । यदि सरकार द्वारा नियन्त्रण इस प्रकार के बोर्ड पर भी रहता है और राजस्व मंत्रीजी के नियन्त्रण में रहता है तो बोर्ड भी कोई भला काम कर सकेगा, ऐसी मुझे आशा नहीं रही है । लेकिन ऐसा लगता है कि कानून सम्मत बोर्ड बनाकर अगर करते हैं तो

(श्री भैरोंसिंह)

जनता को एप्रोच करने का मौका मिलेगा। आजकल जनता को जाहिर में पता लगता है कि दरख्वास्त लेकर कमिश्नर साहब के सामने जाने से काम नहीं चलेगा, राजस्व मंत्रीजी के पास जाने से काम चलेगा। तो जहां राजस्व मंत्रीजी का नाम होता है तो एक तो अकाल पड़ा दूसरा अकाल उनका गिर गया इसलिए पहुँचने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो यह सारा मसला, अकाल का मसला इस विधान सभा में हो रहा है, इस सत्र में आने वाले माननीय सदस्य ५७ से लेकर ६१ तक लगातार इस बात की शिकायत करते आ रहे हैं कि अकाल के मामले में सरकार राजनैतिक दृष्टि से राहत के काम चालू करती है। उसकी सारी जिम्मेदारी राजस्व मंत्री पर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राजस्थान में अकाल के मामले में राजस्व मंत्री ने राजनैतिक दृष्टि से काम किया है और अयोग्यता से किया है। उनकी अयोग्यता का सुबूत यह अनाज पड़ा है। उनकी अयोग्यता का सुबूत जैसलमेर का इलाका है। उनकी अयोग्यता का सुबूत चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के कुछ गांव है, झुन्झुनू जिले के कुछ गांव है जिनमें अकाल पड़ा है और लोगों को राहत नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा सदन से, वैसे सन् ६२ भी आ रहा है और अपने को इनसे मुक्ति मिल जायगी कि जल्दी ही इस विभाग को इनसे मुक्ति दिलाई जाय। अगर इस विभाग को इनसे मुक्ति दिलाई जायगी तो बड़े बड़े कामों में जो नुकसान होने वाला है उनसे जल्दी से जल्दी राहत पा सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस सदन से निवेदन करता हुआ कि सरकार पर इस प्रकार का दबाव डाला जाय कि सरकार रिलीफ के मामले को प्रमुखता देकर वहां सब प्रकार की मुनासिब कार्यवाही तुरन्त करें। जहां जितने धन की आवश्यकता हो रिलीफ के लिए उस धन का ठीक तरह से प्रयोग करे, और सरकार से प्रार्थना करते हुए कि राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं मानवता के आधार पर इन सारी चीजों का समाधान हो सके इस प्रकार की कार्यवाही करे, यही शब्द इस सम्बन्ध में व्यक्त करते हुए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव, सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भैरोंसिंह : यह जो अनाज है वह राजस्व मंत्रीजी की भेंट करूं या आपकी ?

श्री अध्यक्ष : आप वापिस ही ले जायेंगे तो ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : १५-२० दिनों से कई ईलियां पुड़िया में कैद हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : तीन पुड़ियां आपने काम में लीं, वैसे ही इसे भी काम में लें।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तो क्या काम में ली आप जैसे वहां पहुँच गये जो कुतर गये।

श्री अध्यक्ष : जांच के लिये मंत्रीजी को दे दीजिये।

एक माननीय सदस्य : इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिये।

अध्यक्ष : जरूर होगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव द्वारा मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो अकाल समस्या थी और अब भी है, उसके बारे में विचार व्यक्त करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां हालांकि इस तरह के नियम बने हुए हैं कि किसी फसल के मौके पर कितना डेमेज होता है उसकी सूचना सम्बन्धित गावों के लोगों को दी जानी चाहिए और सूचना देने के बाद वहां के लोगों को मौका दिया जाता है कि वे तीन दिनों के अन्दर एतराज पेश करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस नियम के होते हुए भी हमारे यहां इस नियम का पालन नहीं होता और खास तौर से मैंने पिछले साल भी राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, हमारे यहां पिछले साल जिस तरह से गांवों को छंटनी की गई, कौनसे में कमी है कौनसे में नहीं है, इस बारे में लोगों को असंतोष था, खासकर लूणकरणसर के १८१ गांवों में से १०-१२ गांव ऐसे थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनमें कुछ घास और पाला पैदा हुआ होगा, बाकी में फसल नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी वहां के अधिकांश गावों को कमी वाला गांव घोषित नहीं किया गया और यदि सरकार ने नियम बनाये हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट की तहत में, यदि उनका पालन होता और सम्बधित लोगों को सूचना दी जाती, एतराज किये जाते तो लोगों की शिकायत दूर हो जाती। अब भी लूणकरणसर तहसील में कुछ पोकेट्स ऐसे हैं जिनमें वर्षा का अभाव है, पिछले साल भी अभाव था और इस साल भी है। यदि राजस्व मंत्रीजी इस साल भी ध्यान देंगे और जो स्थिति है उसका ठीक तरह से पता लगाया जाय और उनको यदि कमीवाला इलाका घोषित किया जाय और पिछले साल भी कमी थी तो मैं समझता हूँ उन गावों के लोगों को राहत मिलेगी और उनको फायदा मिल सकता है ।

एक सबसे बड़ा अहम सवाल इस इलाके में है अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि वहां के काश्तकारों को सरकार तकावी देती है और साथ ही साथ सरकार ने अपना वतीरा यह भी अख्त्यार कर रखा है कि साथ ही साथ राजस्व की वसूली होती है। सरकार का नियम है कि राजस्व की वसूली एक फसल वाले इलाके में नवम्बर से शुरू की जाय और साल भर जारी रहती है। यदि इसी तरह का नियम राजस्थान सरकार ने बनाया है तो वह काश्तकारों के लिए लाभदायक नहीं है। यह बात है कि जहां एक फसल का कलाका है वहां ३ साल से एक साल अकाल पड़ता है और काश्तकार सरकार से तकावी लेकर फसल बोते हैं और जो तकावी लेकर फसल बोते हैं तो अन्दाज लगाया जाय कि पैसे की आवश्यकता फसल बोने के समय भी होती है तो उस वक्त वसूली करे तो मैं समझता हूँ यह काश्तकारों के प्रति अन्याय है और जो नियम बनाया है वह भी काश्तकारों के साथ अन्याय है। इसलिए मैं प्रस्तुत मांग के द्वारा राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि इस साल भी उस इलाके में कहतसाली है। इस इलाके के गावों में इस साल भी कमी है और पिछले साल भी कमी थी। मैं समझता हूँ उन गांवों के लोगों को राहत दें। जो नियम बने हैं वे काश्तकारों के हित में कतई नहीं है। वहां पर अभी वसूली का काम सरकार को स्थगित रखना चाहिये और इस तरह के नियम हैं तो उनमें

(श्री भीमसेन)

संशोधन करना चाहिए जिससे काश्तकारों को राहत मिल सके।

रावल श्री नरेन्द्रसिं (दूदू) : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(विराम)

अच्छा आप बोलिये, रावल साहब।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, कहतसाली के प्रश्न पर मुझे भी कुछ निवेदन करने की आवश्यता आ गई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरी कांस्टट्युएन्सी के अन्दर फुलेरा, दूदू और फागी इन तीनों ही हिस्सों में जबर्दस्त कहत थी। यहां जयपुर डिवीजन के अन्दर कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो दूदू के मुकाबले में और फुलेरा के मुकाबले में खराब रहा हो। कई दफा इस बात के लिए ध्यान आकर्षित किया गया कि वहां कहीं कहीं इस प्रकार से यातायात के कारण और दूसरी चीजें भी स्थापित की जायं और अनाज के लिये व्यवस्था की जाय, कम से कम अकाल घोषित जरूर किया जाय। मेरे याद के वर्षों में, गये ६० वर्ष के युग में मैं निवेदन करूंगा कि शायद ही इस प्रकार से चारे और अनाज की कमी वहां पड़ी होगी, जो इस साल पड़ी थी। लेकिन वहां बहुत से गांवों में, चन्द गांवों में तो अकाल घोषित हो भी गया था, लेकिन वहां सांभर और जोबनेर के बीच का हिस्सा, मरवा और दूदू के बीच का हिस्सा ऐसा है जहां बिना वर्षा के क्या सावण और क्या उनाल दोनों ही बराबर फसलें होती है लेकिन वहां पर जैसा चाहिए वैसा ध्यान नहीं दिया गया। मैं तो जरूर निवेदन करूंगा कि इस इलाके की थोड़ी मैं बदकिस्मती समझता हूँ कि वहां गये १० वर्षों से आज तक सिवाय अपोजीशन के अलावा कोई भी कांग्रेसी एम. एल. ए. नहीं पनप सका और यही कारण है...

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : कहां पर साहब ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : दूदू में।

डॉ. बहादुरसिंह : अबकी आ जायगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : क्या पता क्या होगा आयन्दा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अब तो आपका आशीर्वाद है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अब भी क्या बिगड़ा है, कई जगह पहले जैसे अनावृष्टि से दिक्कत रही अब के अतिवृष्टि से नुकसान होने का सवाल रह सकता है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं और राजस्व मंत्री जी खुद जानते हैं वहां कैसे समय बीतता होगा। जो भी आपके नीचे काम करने वाले लोग जिस प्रकार से किसी गांव को ठीक बताते और किसी को बुरा बताने का सवाल उठाते हैं उनको आप लोग मानते भी है, आप खुद जानते हैं कि कोई भी राहत का कार्य चाहे वह यातायात के सम्बन्ध में हो, चाहे सड़कों का काम हो जिससे इधर-उधर गल्ला ले जाया जा सके इस ओर विशेष ध्यान नहीं रहा। मैं बराबर चार साल से चीखता हूँ और बार बार निवेदन करता हूँ कि कालख की नहर में दूदू से ज्यादा दूर तक पानी नहीं जा सकता। वहां से पानी मिलने की सुविधा

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

हो सकती है लेकिन पी. डब्ल्यु. डी. के ऑफिसर्स जितना चाहिए उतना ध्यान देकर व्यवस्था नहीं कर सकते। मैं इस बात का विरोध करता हूँ। मैं चेलेन्ज देता हूँ कि यह कहा जाता है कि वहां लाखों रुपये खर्च होने का सवाल है, लेकिन मैं आधी कीमत पर व्यवस्था कराने को तैयार हूँ, अगर उसमें फर्क होगा तो उसको मैं देने को तैयार हूँ। जो कमी का इलाका है उस सब की यह हालत हो रही है। वहां पर वर्षा नहीं हो तो अनाज का एक कण भी पैदा नहीं हो सकता क्योंकि वह जगह ज्यादातर पानी के ऊपर, बरसात के ऊपर अवलम्बित है। इसमें सदा यह होता है, कालवे के बांध के मुहाने से लेकर फागी, रघोराजपुर तक नहरों का जाल बिछा हुआ था। जो सर सिन्टन जेकब और महाराजा के वक्त तक बराबर रहा है और बराबर इसमें तालाब की व्यवस्था रही है। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जितना इलाका है, दूसरी जगह भले ही आपने बांध बनाये हैं, दूसरी जगह इसकी व्यवस्था की है, लेकिन वहां एक भी बांध, कारगर बांध आज तक नहीं बना है। हमें इस बात के लिए दुःख होता है। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी, जहां से तीन-चार दफा कांग्रेसी एम. एल. एज न चुन कर अपोजीशन के एम. एल. एज चुन कर आये हैं....

डॉ०. बहादुरसिंह : इसलिए वहां अकाल पड़ रहा है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अकाल है। लेकिन आपके धौलपुर में उस तरह हो रहा है।

डॉ०. बहादुरसिंह : वहां अकाल नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अकाल नहीं है, लेकिन भरतपुर आधा बाकी रहा है। ऐसी स्थिति में वहां के लोगों का ख्याल है कि इसके बजाय कांग्रेसी एम. एल. एज. होते तो....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अब की बार आपने कांग्रेसी एम. एल. ए. को आशीर्वाद दिया है जन-हित के अन्दर ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : क्या कर लिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई बात नहीं है। आप आगे चलिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा निवेदन है कि वहां पर कुछ हो या न हो, इस बात के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। अब वहां राहत कार्यों का क्या सवाल है, क्योंकि वर्षा हो रही है और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, एक महीने बारिश नहीं हुई तो क्या हो सकता है। लेकिन इतना मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस इलाके की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो कटौती के प्रस्ताव दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : आपके कटौती के प्रस्ताव देरी से आये, लेकिन आप इस प्रस्ताव पर बोल सकते हैं।

Page No.53

श्री मुरलीधर व्यास : छुट्टी थी, इसलिए देर से दिये हैं।

खास करके, बीकानेर तहसील के कुछ इलाके, जो अकालग्रस्त इलाके हैं, उस क्षेत्र के प्रति सरकार का उपेक्षा का दृष्टिकोण रहा है। इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में सरकार की तरफ से जो दमन किया जाता है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। बीकानेर जिले की तहसील सरेरा है, उसका जो एरिया है उस एरिया में मैं गत माह गया। वहां गत दो-तीन साल से अकाल पड़ रहा है और उस क्षेत्र को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया हुआ है और अकाल के नाम पर वहां कुछ सहायता की बात भी की गई है। परन्तु मैंने उस क्षेत्र में देखा कि जिस समय वहां पर थोड़ी बहुत वर्षा हुई थी, उस समय जो किसान सोच रहे थे कि यह एरिया जो दो-तीन वर्ष से अकाल-ग्रस्त हो रहा है, इसमें जो वर्षा हो रही है, उससे मुझे कुछ लाभ मिलेगा, मुझे कुछ तकावी मिलेगी और उसके जरिये से मैं उत्पादन करके किसी प्रकार उस कर्ज को दूर करूंगा। परन्तु मैंने यह देखा कि सारे गांव के घर उजड़े हुए थे, जो वर्षा न होने की वजह से लोग इधर-उधर चले गये थे। वर्षा होने के कारण वे उस समय आ गये थे और इधर उधर से लोगों से कर्जा लेकर, पैसा लेकर हल जोत कर खेती करना चाहते थे। मैंने देखा कि वहां पर नायब तहसीलदार साहब पहुंचे। होना यह चाहिए था कि ऑफिसर ऐसे क्षेत्र में जाय तो इसलिए जाय, वहां के लोगों को कुछ तकावी दे, सहारा दे और सहयोग दे। परन्तु वर्षा के समय वह वहां के लोगों से तावान इस निर्दयता से वसूल कर रहा था कि घर घर पर वह जमादार को भेजता था ...

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कौन से गांव का नाम बताया ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बीकानेर तहसील में सरेरा गांव की बात कर रहा हूँ, जहां मैं गया था।

वह घर घर जाकर कुड़की करता था। जिन घरों में कुछ भी नहीं था, मुट्ठी भर आटा नहीं था, जो ऐसे लोग थे, उनके यहां कुड़की करके जमादार के द्वारा भट्टी मंगवा लेता था, तवा मंगवा लेता था, खटिया मंगवा लेता था और यह सामान आम बाजार में नीलाम किया जाता था। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस इलाके में तीन–चार साल से अकाल पड़ा हुआ है, वहां सरकार को सहायता देनी चाहिए। जहां वर्षा के मौसम में लोग इस आशा में थे कि सरकार की तरफ से कुछ सहायता का हाथ आयेगा, वहां इस प्रकार का जुल्म का सरकार का हाथ पहुंचा कि तुमको तावान देना पड़ेगा और तावान नहीं देने पर कुड़की की जायगी, माल ले लिया जायगा। मैं समझता हूँ कि बहुत निर्दयता का व्यवहार है। मैं सच कहता हूँ, मैंने यह सब सबेरे से शाम तक देखा। मैं उन घरों में गया, उन दलित वर्ग और हरिजन लोगों के घरों में गया, जहां पर कोई सामान नहीं था। दो-चार गुदड़े पड़े हुए थे। उनके घर में मुट्ठी भर दाना नहीं था और वे पड़े हुए थे कि क्या करें, क्या न करें। घर का सामान ले गये। अब बेइज्जती हो रही है। वे किसी बनिये से पैसा लेकर गये और अपने सामान को छुड़ा कर लाये। मैंने पूछा, "आप इस प्रकार की हालत में क्या करोगे ?" कहने लगे,

Page No.54

(श्री मुरलीधर व्यास)

"हमारे पास तो खाने को भी नहीं है। कल किसी न किसी के पास जायेंगे, मजदूरी करेंगे और रुपया, डेढ़ रुपया मजदूरी का मिलेगा, उससे बच्चों को खाने को मिलेगा।" ऐसी हालत जहां पर हो और ऐसी हालत में जहां इस प्रकार का सरकार का दृष्टिकोण हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी बात है।

मैं समझता हूँ, दुर्भिक्ष के समय सरकार की नीति और उसका दृष्टिकोण यह रहना चाहिए कि हम कौन से समय में किस प्रकार का ऐसा काम कर सकते हैं जिससे उनको राहत मिले। परन्तु उसके विपरीत काम करती है सरकार। मैं समझता हूं यह बहुत बुरी चीज है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि उस इलाके में कोई सहायता का काम नहीं हो रहा है उसके विपरीत मैं देखता हूँ कि उस इलाके में इस प्रकार क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता है। यह तो मैंने वहां का दृष्टान्त दिया।

इसी प्रकार मैं जैसलमेर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। जैसलमेर के सम्बन्ध में काफी बहस हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर इस प्रकार का इलाका है जहां कम वर्षा होती है और इस कारण वह अकाल ग्रस्त है। ऐसी हालत में वहां जो कार्य होने चाहिए, जिस तरीके से होने चाहिए, वे नहीं हो रहे हैं। मैं वहां ऐसी हालत में गया था, जब आदमियों में हाहाकार मचा हुआ था और वहां पर कोई राहत कार्य नहीं चल रहा था। जब वहां अकाल पड़ता है तो उसका असर गांव के परिवारों के आदमियों पर तो पड़ता है, साथ ही वहां के लोगों के जानवरों पर भी पड़ता है। इस प्रकार से उनकी जो सारी सम्पत्ति है वह नष्ट हो जाती है। अकाल के कारण आदमी के पास कुछ खाने को नहीं रहता, तो वह अपने परिवार को किसी दूसरी जगह ले जाता है। लेकिन उस परिवार के अलावा जो उसका बड़ा परिवार, पशुधन है, उस पशुधन को या तो वह अपने साथ लेकर जाय। लेकिन उसके लिए कोई साधन नहीं होता। इसलिए वह अपने आपको व परिवार को दूसरी जगह ले जाता है और पशुओं को वहीं छोड़ जाता है भगवान भरोसे। इस प्रकार की जहां पर हालत है, उस हालत को वैज्ञानिक दृष्टि से देख कर इस पर गौर करने की कोशिश नहीं की तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं तुलनात्मक दृष्टि से सोचता हूँ, कि जैसलमेर का जो इलाका है, वह केरल के इलाके से छोटा नहीं है। लेकिन केरल एक प्रदेश है, एक प्रान्त है। जैसलमेर का इलाका क्षेत्रफल के अन्दर केरल के मुकाबले में है। उस क्षेत्रफल को दृष्टि में रख कर वहां पर किसी प्रकार के राहत के कार्य हों, किस प्रकार के काम हों, तो वहां पर रहने वालों का कुछ भला हो सकता है। लेकिन जैसा श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि वहां पर इस प्रकार की हालत है। अगर वहां पर समय पर सहायता पहुंचाई जाती तो मैं समझता हूँ कि वे जानवर नहीं मरते, जो जानवर हजारों-लाखों की तादाद में मरे हैं, और इस कारण मरे हैं कि दुर्भिक्ष में पीड़ित जो लोग थे और उनके जो जानवर थे, उनको सहायता नहीं मिली। अगर उनको चारा मिलता तो वे कभी भी कमजोर नहीं होते। एक ही दिन वर्षा पड़ी और दूसरे दिन से ही जानवर मरने लगे। जो दुर्भिक्ष का काम जारी था, उसमें यह होता है कि उनको सहायता देते हैं। उनके ऊपर जो आफत पड़ती

(श्री मुरलीधर व्यास)

है, उसको दूर करने के लिए सहायता देते हैं। लेकिन इस तरह का काम कुछ नहीं हुआ और वर्षा होते ही तीन-चार दिन में जानवर मरे। मैं कलेक्टर के पास गया। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। सारे संवाद सम्बन्ध टूट गये हैं, मैं वायरलेस से बात कर सकता हूँ। जो बात की है, उसका जवाब नहीं आया है। तारीफ यह है, वे कहने लगे, कि जो ऑफिसर हैं, वे हाजिर नहीं हैं।

एक तहसीलदार हाजिर नहीं, पी. डब्ल्यू. डी. के अफसर हाजिर नहीं, सभी बाहर हैं। यहां तक कि बाहर एक गांव से एक लाचार पीड़ित वहां पहुंच गया, उसके १२ साल के बच्चे को सांप काट खाया था, रोते रोते आया, वह अस्पताल में गया और वहां जाकर कहता है, सांप काट खाया है, इलाज करो, वहां एक डॉक्टर और वह भी छुट्टी पर। सांप के काटे हुए को इन्जेक्शन देना चाहिये। कम्पाउन्डर को कहा जाता है कि इन्जेक्शन लगा दो तो कम्पाउन्डर कहता है कि मेरे पास चाभी नहीं है, आखिर वह १२ साल का बच्चा बिना इलाज के मर जाता है। केरल जितना बड़ा इलाका, वहां एक डॉक्टर हाजिर नहीं। होना तो यह चाहिये कि पीड़ित लोग वहां आते हैं तो अच्छी तरह से उनकी सहायता की जानी चाहिये। इस तरह का अकाल पीड़ित इलाका है वहां सरकारी सहायता होती तो जानवरों को बचा सकते थे। अकाल से पीड़ित चारे की कमी से दुर्बल जानवरों को समय पर सहायता पहुंच जाती तो वे बच सकते थे, जानवरों के डॉक्टर ने कहा है कि दवा ठीक टाइम पर मिल जाती तो हजारों जानवर बच जाते, पर उनके लिये कोई दवाई का प्रबन्ध नहीं था। सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिये और देखना चाहिये कि राजस्थान अपने ढंग का निराला क्षेत्र है, हर तीसरे साल अकाल पड़ते हैं तो वहां इसके लिये पूरा योजनाबद्ध काम होना चाहिये ताकि समय पर राहत पहुंच सके। तो मैं खास तौर से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ठीक है आप सहायता देते होंगे। मैंने दुर्भिक्ष के इलाके में दौरा किया है, वहां एक जगह के तालाब के लिये १२००) रुपया दिलाया गया, लोगों के अंगूठे लिये गये, सरपंच वहां हाजिर नहीं; पर आपने देखा होगा कि दुर्भिक्ष में वहां कोई तालाब खुदा हुआ नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तो आपको इस तरह योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिये कि पैसा देने का जो मूलभूत उद्देश्य है कि जो पैसा दे उसको लाभ होना चाहिये। वह पैसा देने के बाद बराबर आपके पास रिपोर्ट आनी चाहिये कि इतना रुपया अमुक इलाके में दिया गया और इस इस तरह का काम हुआ। यह सारी जांच होने के बाद आपको मालूम होना चाहिये कि यहां यहां रुपया दिया उससे वहां यह यह प्रतिफल मिला; नहीं तो आज यह होता है कि पता ही नहीं चलता कि कहां-कहां किस किस काम के लिये कितना कितना रुपया दिया गया और इससे वहां कितना कितना काम हुआ। वहां के लोगों को पता नहीं रहता कि वहां के लिये किसी प्रकार के लिये कोई पैसा दिया गया है।

तो खास तौर से मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान ऐसा इलाका है जो आये दिन दुर्भिक्ष का शिकार बनता है, वहां योजनाबद्ध तरीके से काम होना चाहिये, जो वहां रुपया लगाते हैं वह योजनाबद्ध तरीके से लगाया जाना ये ताकि अकाल के

(श्री मुरलीधर व्यास)

संगय व अन्य मुश्किल के समय में वहां पर फौरन सहायता पहुंच सके और लोगों को राहत मिल सके। योजनाबद्ध तरीके के बिना वहां काम किया जाता है इसलिये समय पर किसी को राहत नहीं मिल सकती और समय पर आवश्यकता के समय राहत नहीं पहुंचने से जानवर मर जाते हैं और लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुर्भिक्ष से पीड़ित लोगों को सहायता के नाम पर इस तरह से हैरान किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव रखता हूँ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्य ने दुर्भिक्ष पीड़ितों के बारे में कटौती प्रस्ताव रखा है उनका मैं समर्थन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष, समर्थन करने की हमारी हमेशा यही मंशा रहती है कि दुर्भिक्ष पीड़ितों को सदा समय पर सहायता पहुंचाई जाय। पर यहां विधान सभा में जिन जिलों की शिकायतों को करते हैं उन शिकायतों के कागजों को आंखों के सामने आने पर, जैसे आंखों से अन्धा चश्मा लगा हुआ हो बिना देखे ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, इसलिये कहना न कहना बराबर हो जाता है। पर स्थिति ऐसी है कि कहना जरूरी हो जाता है। दुर्भिक्ष वाले क्षेत्रों के दौरे करते समय मन्त्री महोदय द्वारा यह कहा जाता है कि सरकार द्वारा हमेशा से यह नीति निर्धारित की हुई है कि सरकार किसी भी हालत में एक भी मनुष्य को मरने नहीं देगी। पर ऐसे कई इलाके हैं जिनको मन्त्री महोदय ने आज तक देखा तक नहीं है और वहां के लोगों को हमेशा से जो पीड़ा XXXXXXXXXX होती आई है वह पीड़ा दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन इलाकों में हर वर्ष अधिक वर्षा से या वर्षा नहीं होने से अकाल पड़ते ही रहते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से कोरम बिलकुल नहीं है।

(गण पूरक घंटी)

(विराम)

श्री हीराभाई (जारी) : माननीय अध्यक्ष, मैं कह रहा था कि लोगों को राहत देनी हो तो सरकार की नीति हमेशा तहसीलदार और पटवारी पर ही सारा दारोमदार रखती है। सरपंच, पटवारी गांवों से फसल की सर्वे कर रिपोर्ट करते हैं, उनके सही आंकड़े सरकार के पास कभी नहीं पहुंचते। जिस इलाके में विरोधी दल हैं या जिस इलाके से अधिकारियों को पेट भर पैसा नहीं मिलता वहां के आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर भेजा जाता है और राहत मिलती भी है तो गरीबों का गला काट कर अधिकारी लोग पैसा अपने पास रख लेते हैं। हमारी शिकायतें गवर्नमेंट के पास गईं कि इस तरह से गरीबों का गला काटा जाता है तो मन्त्री महोदय ने जाकर देखा तक नहीं, तो जितनी XXXXXXXXXX समझें मन्त्री महोदय के सिवाय किसी की नहीं हो सकती, नहीं तो मन्त्री महोदय को वहां जाकर जांच करके सम्बन्धित अधिकारियों पर मुकद्दमा चलाना चाहिये और उन अधिकारियों को सजा दिलानी चाहिये। पर गलत आंकड़ों की कोई जांच नहीं की और इस तरह गलत आंकड़े

XXXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री हीराभाई)

बनाने वाले तहसीलदार और कलेक्टर की सरकार मदद करती है। बांसवाड़ा में गत साल अकाल घोषित किया था, उन दिनों में गये साल और आज भी वहां के लोगों के बैल और गायों को कुर्क किया जा रहा है। एक तरफ तो कानून बनाया जाता है कि बैल और दूध देने वाला जानवर कुर्क न किया जाय और दूसरी तरफ बलों को और दूध देने वाली एक गाय है तो उस एक गाय को भी कुर्की में लिया जाता है। बागीडोरा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में गवर्नमेन्ट ने यह रवैया अपना रखा है।

वहां पर अगर जल्दी से जल्दी सहायता नही कर सकते तो हमें माननीय मंत्री यह भी कह दें कि आपके यहां हमेशा अकाल पड़ते रहते हैं। अगर ऐसी बात हो तो आपको इसे वैरानी इलाका कर देना चाहिये। अगर आप में अकाल को दूर करने की हिम्मत नहीं है तो फिर वैरानी कर दें और यह भी मा नलें कि परिवार नियोजन कानून लागू पूरे एरिया में न करके वहीं पर लागू करें। माननीय मंत्रीजी को सीधा बयान देना चाहिये जो नहीं दे रहे हैं। अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उनका संगठन टूटता है। जहां कांग्रेस का संगठन है, घाटोल में कांग्रेस सदस्य हैं वहां पर जा कर तारीफ करते हैं। लेकिन दूसरे एरिया में जो दुर्घटना घटती है वहां अभी भी कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है आज १० या १५ दिन हो गये हैं। ६ तारीख से वहां आवागमन के साधन बन्द हो गये हैं। नदी-नाले शुरू हो गये हैं। वहां गरीबों को अनाज लाने और खरीदने के लिये जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन वहां पर राज्य सरकार ने कोई इसके लिये प्रबन्ध नहीं किया। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने उनके लिये क्या व्यवस्था की। आप सड़कों आदि के बारे में यह कह सकते हैं कि अभी सड़क नहीं बन सकी है मगर यहां तो भूखे लोगों को रोटी मिलने का प्रश्न है उनको रोटी कैसे मिलेगी। भारत सरकार, जहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती है वहां हवाई जहाजों से रोटी का प्रबन्ध करती है लेकिन यहां पर हमारे माननीय मंत्री किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करते और आराम से अपने बंगलों में आराम करते हैं। आज भिक्षावृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आपने सप्लीमेंन्ट्री ग्रान्ट का बिल ला कर रखा। यह दो लाख जो आपने बताया है ये तो आपके दौरों में ही चले जावेंगे।

आपने एक रिलीफ कमेटी कायम की थी, उसमें हम भी थे। उसमें जो प्रस्ताव किया था उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजी जाती है। यह कहा जाता है कि २५ प्रतिशत श्रमदान नहीं होगा वहां पर रिलीफ वर्क नहीं खोले जावेंगे। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि भूखे लोगों को पहले रोटी मिलनी चाहिये। जो आदमी भूख से मर रहा है, जिसके तन पर कपड़े नहीं हैं, उसके तन में ताकत नहीं है। जब तक उसको रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा तब तक भूखा आदमी कैसे श्रम करेगा ? आज आपका बहुमत है। आप किस पर राज्य करेंगे। जब लोग भूखे मरेंगे। यह बहुमत आपके काम का नहीं है। श्रमदान की बात कही है वह यह है कि एक आदमी एक परिवार में मजदूरी करने काबिल है। १० या १५ आदमियों का परिवार है। सारे परिवार

(श्री हीराभाई)

में एक ही आदमी मजदूरी करनेवाला है। आपने मजदूरी की दर १२ आना और १४ आना रखी है। मैं यह कहूंगा कि क्यों नहीं माननीय मंत्री महोदय २००) रु० माहवार ही लें। माननीय मंत्री के परिवार में ५ या ७ से ज्यादा आदमी नहीं होंगे। मगर यह कहा जाता है कि यह १२ आना और १४ आना देने का कानून है। यह भारत सरकार का कानून है, ऐसा हम कहते हैं। मैं यह कहूंगा कि हमें अगर न्याय करना है तो यहां की स्थिति से हमें कानून बनाना होगा अगर आप यहां की परिस्थितियों को देख कर नहीं बनाते हैं और भारतवर्ष की परिस्थितियों द्वारा कानून बने उनका पालन करते हैं तो फिर हमारी विधान सभा को खतम कर दीजिये। हम भारतवर्ष में जो कानून बनते हैं उनका पालन करेंगे। आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यहां की परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार से कानून में परिवर्तन कराना होगा। लेकिन आप भारत सरकार को उल्टा ढंग से लिखते रहते है और यह चाहते हैं कि वे प्रसन्न रहें। अगर प्रसन्न नहीं होंगे तो टिकट नहीं देंगे। आप मिनिस्टर नहीं बनेंगे। आप इस तरह से उनके कानूनों के साथ चिपके रहते हैं जैसे मक्खी शहद या मीठे के साथ XXXXXXXXXX चिपकी रहती है.... ...

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उनको सदन में संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिये। उनको ध्यान रखना चाहिये कि जिस तरह के शब्दों का वे प्रयोग करते हैं वे सदन की परम्परा के अनुरूप हों। आपको आवेश में आकर कहना नहीं चाहिये। आपको ठीक तरह से बोलना चाहिये। आपको बोलने का मौका मिल रहा है।

श्री हीराभाई : यह ठीक है। बार बार हाथ जोड़ें और पैर मसलते जावें, यह तो नहीं हो सकता। यहां पर जितनी बातें रखते हैं वे सब हवा में उड़ जाती हैं। तो भूखा आदमी क्या करेगा....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): पैरों में दर्द है क्या ?

श्री हीरा भाई : मगर मनुष्य के पेट में भूख आग की तरह उनको जलाती रहती है। भूखे को भोजन चाहिये। इसलिये जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसके लिये मजबूर होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है।

दूसरी बात यह है कि अकाल का अभी से आपको मालूम हो गया कि कहां कहां अकाल पड़ेगा। मगर होता यह है कि आयन्दा आनेवाली जुलाई या जून में उसके लिये सरकार की तरफ से कदम उठाये जावेंगे। इसका क्या नतीजा होगा ? आज अकाल पड़ा है तो जहां अकाल पड़ा है वहां दिसम्बर तक कम से कम वहां के लोगों को राहत देना जरूरी हो जाता है। मगर जून और जुलाई में देंगे। इससे पैसा बरबाद होता है। यह तो हुई एक बात।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आप कहते हैं कि इतने रुपयों का सामान, धान गरीबों को बांटा गया। मगर वह उनको नहीं बांटा जाता है। यह मानेंगे, किसी भिखारी को बांटा जाता है उस तरह से किसी को

XXXXX अध्यक्ष पी० के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री हीराभाई)

मिलते होंगे। कहीं पर कोई सड़क दो चार मील तक टूटी हुई मिलती है उसकी मरम्मत कराते हैं मगर तालाब नहीं बना सकते। अगर तालाब बनाते हैं तो वह सिंचाई के काम आ सकता है। लेकिन वह नहीं बनाते। जो पंचायत समिति या कमेटी कहेगी वह नहीं करेंगे। आप अपने ढंग से करावेंगे। सड़कों पर चूना और मिट्टी डाल देंगे। उनको १० या १२ आने दे दिये जावेंगे। यह गतिविधि में यह कहूँगा कि कहां तक चलेगी, इसके लिये हमें सोचना होगा। तालाब तो बनवायेंगे नहीं और सड़क पर दो, तीन मील या चार मील तक आप मिट्टी डलाएंगे जो वर्षा होने पर बह कर चली जावेगी।

तीसरी बात यह है कि मनुष्य पर अकाल कब तक रहता है। आषाढ़ में पानी नहीं आए तो अकाल है। उनको अनाज खाने को नहीं मिलेगा। यह दिसम्बर या नवम्बर में मेहनत से दूर हो सकता है। उनको १२ महीने पेट भर मजदूरी देने के लिये आपके पास काम नहीं है। मुश्किल से हम किसी तरह की राहत देते हैं तो वह सड़क का काम या किसी कुएं का काम चलाते हैं जो १५ दिन या महीने भर तक चलता है। १५ या २० दिन में आप साल भर की कमाई उनको नहीं दे सकते। आप १२ महीनों का खर्चा उनको अगर १५ रुपये दें और यह कहें कि आपने उनको बहुत काम दिया तो मैं यह कहूँगा कि नहीं के बराबर है।

अभी माननीय मन्त्री कहेंगे कि हमने चार लाख रुपये बांसवाड़ा में दिये। लेकिन चार लाख रुपये देने से पहले उनको सोचना चाहिये कि वहां पर ऐसे गरीब लोग कितने हैं जिनके लिये रुपया दिया जा रहा है। वहां पर चार लाख की आबादी है और उसमें से ३ लाख गरीब हैं तो उसमें सवा सवा रुपया एक आदमी को पड़ा। आप कहेंगे कि हमने बहुत खर्च किया। एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी ३६० या ३६५ रुपये होते हैं। इतना खर्चा होता है तो एक मनुष्य के पीछे एक रुपया होता है। मगर आप पूरी फेमिली के लिये १० या १५ रुपये खर्च कर सकते हैं, तो क्या यह भिक्षावृत्ति को दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। सरकार खाने को रोटी नहीं दे सकती और जब लोग इसके लिये मांग करते हैं तो पुलिस और सरकार के कर्मचारी हैं वे उनको रोटी के बजाय लकड़ी और बन्दूक लेकर मारने के लिये तैयार हो जाते हैं। जब भूखे आदमी मरते हैं तो उनको जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं मिलती, पैसा भी नहीं रहता और जब भूखे आदमी रोटी मांगते हैं तो पुलिस और सरकार के कर्मचारी, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन उन गरीबों पर, भूखे नंगे लोगों पर लाठी, डंडे और गोली चला कर उनको मारते हैं और अब क्या करें बेचारे भूखे। जब रोटी मांगते हैं तो उनको मारा जाता है। तो फिर क्या वे भूखे मरते रहें और रामदेवजी का पाठ पढ़ते रहें?

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०): कितने लाख गरीब हैं राजस्थान में।

श्री हीराभाई: आपको तो मालूम नहीं होगा लेकिन मुझे मालूम है और मैं वही बात कह रहा हूं।

श्री हरिप्रसाद यादव: मुझे भी सब कुछ मालूम है, कितने आदिवासी हैं और शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। विषय पर आइये।

श्री हीराभाई: मुझे आदिवासी, शिड्यूल्ड कास्ट आदि जातिवाद से मतलब

(श्री हीराभाई)

नहीं है। चाहे जिस जाति का भी हो, चाहे बनिया हो, मुसलमान हो, भांभी हो, चमार हो, आदिवासी हो, कोई भी व्यक्ति हो जो गरीब है और जिसको मजदूरी पूरी तरह से पेट भरने के लिए नहीं मिल रही है मैं उनके लिए ही कह रहा हूं। मेरे सामने तो केवल गरीबों का ही सवाल है, किसी जाति विशेष का नहीं। जातिवाद को कांग्रेस पनपाती है, और जातिवाद को चलाकर पूंजीपतियों को सहारा देती है और गरीबों को हर प्रकार से लूटती है, उनका शोषण करती है। पूंजीपतियों के बल पर ही आज यह कांग्रेस का संगठन है और उसको बना कर चल रहे हैं। हमारे यहां भील, चमार आदि किसी जाति का सवाल नहीं है। हम यह कहेंगे कि जो आदमी पूंजीपति है और यदि वह भील है, चमार है, आदिवासी है, शिड्यूल्ड कास्ट का या बनिया है कोई भी हो, वह गरीबों का शोषण करने वाला है और कांग्रेस की तरफ ये सब हैं। कांग्रेस का तरीका यही है।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : आपकी पार्टी क्या कर रही है ?

श्री **हीराभाई** : हमारी पार्टी तो गरीबों को रोटी दिलाने के लिए हमेशा काम करती है।

डॉ० **बहादुरसिंह** : तो हमारी पार्टी रोटी छीन रही है ?

श्री **हीराभाई** : आपकी सरकार में हमारा कोई विश्वास नहीं होने वाला है।

डॉ० **बहादुरसिंह** : आपके विश्वास से काम नहीं चलने वाला है। जनता का विश्वास चाहिये।

श्री **हीराभाई** : जनता के विश्वास की बात करेंगे तो तीन तीन बार कांग्रेस वाले वहां हार गये हैं चुनावों में। जीत क्यों नहीं गये फिर ?

डॉ० **बहादुरसिंह** : जनता का विश्वास इस हाउस में है।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य को भाषण देने दें।

श्री **हीराभाई** : ये गड़बड़ी करें तो मैं क्या करूं।

श्री **अध्यक्ष** : आप गड़बड़ी की परवाह न करते हुए अपना भाषण देते जाइये।

श्री **हीराभाई** : तो यह निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि सरकार को वहां के लिए साल भर का मजदूरी का इन्तजाम करना चाहिये। तालाब और कुओं पर जहां तक श्रमदान का सवाल है, अकाल के टाइम पर यह सवाल छोड़ दें लेकिन उनको साल भर के लिए मजदूरी मिलती रहे इस प्रकार का कोई इन्तजाम करें। तीसरी बात यह है कि एक साल लाय लगती है और दूसरी साल उनका बुखार का इन्तजाम होता है तो यह एडमिनिस्ट्रेशन को जो लापरवाही है उसको भी माननीय मन्त्री महोदय ठीक करें। सरकार को अपनी नीति सुधारनी होगी। चौथी बात यह है कि जब अकाल का एरिया घोषित होता है तो लगान की व्यवस्था में बड़ी भारी अव्यवस्था होती है। लोगों से दो-दो साल का, पहले का भी लगान वसूल कर लेते हैं। वहां की जमीन के बारे में भी मन्त्री महोदय को मालूम नहीं है कि कितना-कितना अनाज एक फसल पर पकता है, दो फसल पूरी लगाकर लगान ले लिया जाता है। जब कि कपास हुआ थोड़ा

(श्री हीराभाई)

सा, लिख दिया पूरी फसल पक गई, थोड़ा गेहूँ हुआ और लिख दिया पूरी फसल पक गई। कितनी गलत चीजें हमारे लोगों के साथ करते हैं। इस प्रकार के जुल्म और अन्याय के तरीकों से आज वहां व्यवस्था चल रही है। इसलिए पटवारी और सरपंच का रिकॉर्ड अगर गलत है तो माननीय मन्त्री महोदय स्वयं जाकर जांच करें, लेकिन देखते नहीं। इधर अकाल क्षेत्र घोषित किया उधर किया; लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों करते हैं? यदि अकाल सरकार के निगाह में नहीं है तो उसकी जांच करनी चाहिये, माननीय मन्त्री महोदय को स्वयं देखना चाहिये। जब कहते हैं तो हमसे कहा जाता है कि सरपंच ने किया। लेकिन सरपंच ने किया और उसको तो उड़ा दिया और अपना धर दिया। सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की बुराई को बचाने के लिए इस गलत काम के लिए उसकी वकालत और अलग करती है। जनता को भूख लगी है और आप एडमिनिस्ट्रेशन के अन्याय को, जुल्म को जो रात-दिन जनता के ऊपर करते हैं, उनको बचाने के लिए यह करते हैं। ज्यादा कहने से तो बुरी बातें लगेंगी लेकिन जो बातें हुई हैं वे मैं माननीय मन्त्री महोदय के सामने रखता हूँ। वे उन बातों की ओर ध्यान दें। जितना अकाल एरिया घोषित हो जाता है तो फिर बीच में क्यों छोड़ देते हैं।

इसलिए इसकी जांच करवा कर पूर्ण व्यवस्था करावें और अकाल को दूर करावें। बांसवाड़ा में एक तहसील में ४०० गांव हैं। ३२ गांवों को ही अकालग्रस्त घोषित किया है। एक महीना दे दिया और फिर भूखे के भूखे। घाटोल में अकाल की विशेष स्थिति हुई। हमारे माननीय सदस्य जो घाटोल से आये हैं उनका तो ध्यान है नहीं। कांग्रेस के काम में बड़े प्रमुख हैं। माननीय सदस्य मन्त्री महोदय को बतायेंगे कि क्या हो रहा है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की बदनीति और उसके अन्याय को मन्त्री महोदय खत्म नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। लोगों को टाइम पर राहत नहीं मिल सके और मन्त्री महोदय यह कह कर बैठ जांय कि विरोधी तो चिल्लाते रहते हैं। वे तो विरोधी नहीं हैं जो भूखे और गरीब लोग हैं उनकी ओर तो आपको ध्यान देना चाहिये। उनको तो आपको राहत देनी चाहिये। आपके साथ कोई आना चाहे तो मुझे कोई हर्ज नहीं कि कांग्रेस में वोट क्यों गये लेकिन वे भूखे नहीं मरने चाहिये। सोशलिस्ट हैं और विरोधी पार्टी के हैं इसलिए उन लोगों को राहत न दी जाय, यह तो उनके साथ बड़ा भारी जुल्म है और इस प्रकार की भावना उनके प्रति तो कम से कम सरकार को नहीं रखनी चाहिये। १५ साल हो गये उनकी स्थिति ऐसी ही है। मुझे इसका फिक्र नहीं है कि मुझे वोट नहीं मिलेगा। लेकिन आपको तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों की दशा को सुधारने का प्रयत्न करें। विरोध की भावना को नहीं रखें।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री भैरोंसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। राजस्व विभाग द्वारा जितनी सहायता अकाल-ग्रसित एरिया के लिये दी जाती है वह केवल राजनैतिक दृष्टि से दी जाती है। सरकार के पास जो भी पैसा आता है वह राजनैतिक दृष्टि से नहीं आता है, पैसा जितना भी सरकारी कोष में आता है वह सब जनता की जेब से, जनता

(श्री लक्ष्मीचन्द)

की खरी कमाई में से आता है करों के रूप में। इसलिए जिस समय डिस्ट्रिब्यूशन इसका होता है वह फेअर डिस्ट्रिब्यूशन की तौर पर होना चाहिये। अगर फेअर डिस्ट्रिब्यूशन होता है तो जनता को किसी प्रकार की भी शिकायत नहीं रह सकती। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी यह रुपया दिया गया केवल उसमें राजनैतिक आधार को सामने रखकर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं जैसलमेर के इलाकों को ले लीजिये वहां पर लगातार कई सालों से अकाल पड़ता आ रहा है वहां के फीगर्स उठाकर देख लीजिये वहां राहत कितनी दी गई? और इस वर्ष कितनी रकम दी गई। मैं यह नहीं कहता कि वहां इतनी राहत नहीं दी जानी चाहिये। आज जैसलमेर को जो सहायता दी गई वह केवल इस आधार पर कि जैसलमेर के महाराजा श्री हुकमसिंहजी कांग्रेस में शामिल हो गये हैं, इसलिये उनके इस क्षेत्र को इस बार पांच लाख रुपया दिया गया। हम देखते हैं जिस इलाके में लगातार कई वर्षों से अकाल पड़ता आ रहा है उसमें पहले इतनी सहायता नहीं दी गई। दूसरी ओर उसके साथ ही बाड़मेर का इलाका है, वहां भी अकाल है, वहां की स्थिति जैसलमेर से बराबर मिलती-जुलती है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिये, किसी भी मायने में जैसलमेर की अपेक्षा बाड़मेर में कम क्षति हुई हो यह बात नहीं। लेकिन जैसलमेर को पांच लाख की सहायता दी गई और बाड़मेर को केवल एक लाख रुपये की सहायता दी गई। इतना अन्तर क्यों रखा गया? जैसलमेर और बाड़मेर में आपने जो सहायता दी है वह किस आधार पर दी है, क्या आपने इसके लिये किसी कमेटी का निर्माण किया था जिसने जाकर वहां देखा हो और आपको रिपोर्ट दी हो? इस प्रकार के कामों के लिये आपको अलग से कमेटी अपोइन्ट करनी चाहिये, वह निष्पक्ष कमेटी हो और वह जाकर देखे कि यहां कितने पैसे की आवश्यकता है, उसके बाद पैसा दिया जाय। यह पैसा राजनैतिक दृष्टि से फायदा उठाने के लिये है, उड़ाने के लिये नहीं। यह कोई कांग्रेस के फंड का पैसा नहीं है हम लोग भी पैसा देते हैं। सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, कम्युनिस्टों की हो, कांग्रेसी हो, रामराज्य की हो, जनसंघ की हो, सरकार को चाहिये कि वह सभी को समदृष्टि से देखे। आज आप पावर में है हो सकता है, कल के दिन जनता के हाथ में ये अधिकार आ जायेंगे तो वह आपको और हमको सबको निकाल कर फैंक सकती है। आपने जहां बाड़मेर को एक लाख रुपया दिया और जैसलमेर को पांच लाख रुपया दिया, इसमें आपका मापदंड क्या है? इसका तखमीना आपने किस प्रकार से किया? क्या आपने इस दुर्भिक्ष से होने वाली हानि के लिये कोई कमेटी अपोइन्ट की? क्या उन्होंने वहां हुए वास्तविक नुकसान की दृष्टि से सोचा है? जहां तक मवेशियों के नुकसान का सवाल है, जितना जैसलमेर में हुआ उससे कम बाड़मेर में नहीं हुआ। जैसा कि भैरोंसिंहजी ने कहा जैसलमेर का इलाका ऐसा है जहां लगातार कई सालों से अकाल पड़ता आ रहा है, वहां की जो सहायता उन सालों में की गई उसके आंकड़े और इस साल दी जाने वाली सहायता के आंकड़े हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ राजनैतिक पॉइन्ट ऑफ व्यू साफ दिखाई देता है। आज इस प्रकार की सहायता में भी यह देखा जाता है कि इस सहायता से कांग्रेस को कितना फायदा

(श्री लक्ष्मीचन्द)

होने वाला है। जहां से कांग्रेसी उम्मीदवार के आने की आशा रहती है वहां पर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और जहां से विरोधी दल के लोगों के आने की आशा होती है या आये हैं उसमें इस प्रकार की राहत कम से कम देने की कोशिश की जाती है ताकि उससे विरोधी लोगों को फायदा न हो जाय। सरकार चलाने वालों को राजनैतिक दृष्टिकोण से पैसा खर्च करने की जो आदत है उसको त्यागना होगा।

तीसरा अध्यक्ष महोदय, आज केवल मन्त्री गणों का काम उद्घाटन का रह गया है। अगर उद्घाटन के लिये कोई बुलाले तो वे कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। आज जैसलमेर की जिस प्रकार की स्थिति है क्या राजस्व मन्त्री महोदय ने उसको देखा है, उन्होंने स्वयं जाकर देखा है इस अकाल के कारण वहां के लोगों की क्या स्थिति हुई है ? अकाल के समय, दुर्भिक्ष के समय, आपको वहां उद्घाटन के लिये कौन बुलायेगा ? आप वास्तव में अपने आपको जनता का प्रतिनिधि मानते हैं जनता का मंत्री मानते हैं तो आपको इस मुसीबत के समय जनता के साथ में होना चाहिये था। वहां जाकर आप देखते कि वहां के लोगों की क्या स्थिति है। अभी उद्घाटन या चाटन का प्रबन्ध होता, चाहे किसी बिल्डिंग का उद्घाटन हो तो वहां पहुंच जाते हैं। आज उनके पास चाटन का प्रबन्ध करने के लिये समय नहीं न पैसा ही है. आज वे लोग दुर्भिक्ष से पीड़ित हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आप तो केवल भाषण ही कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : हम तो भाषण करेंगे ही, आप सुनते जाइये; आप देने वाले हैं तो नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि वास्तविक काम यह होना चाहिये कि जनता में जाकर देखा जाय, ऐसे समय में जब कि जनता अकाल से पीड़ित हो, उद्घाटन आदि छोड़ देना चाहिये....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : क्या आपका यह फरमाना है कि मैं स्थिति को देखने के लिये वहां नहीं गया ? यदि आपका यह ख्याल है तो गलत है। मैं वहां गया और दो रोज तक दौरा किया। बाड़मेर भी मैं गया हूँ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : बांसवाड़ा में नहीं गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां भी गया हूँ।

श्री लक्ष्मीचन्द : बाड़मेर-बाड़मेर में ही रहे होंगे। आसपास के गांवों में नहीं गये होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आस-पास के गांवों में भी गया हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : शायद आप इनके गांव में इनसे मिले नहीं होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : ये गांव में रहते ही कहां हैं, इधर-उधर सैर करते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : बहुत अच्छा है, आप गये हैं तो आपको जाना चाहिये।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने

(श्री लक्ष्मीचन्द)

इसके लिये फन्ड भी अलॉट कर दिया लेकिन केवल फन्ड वहां पहुँचने से ही वहां, के लोगों को राहत नहीं मिलती जल्दी से जल्दी उन लोगों के पास वह पहुँचना चाहिये। एक आदमी आज भूखा है आज उसे चने भी आप देते हैं तो वह उससे अपनी भूख को शान्त कर लेता है अगर उसको दस दिन बाद हजार रुपया भी दिया जाय तो उससे उसका क्या मतलब रहेगा? आपने किसी समिति को अलॉट कर दिया लेकिन जैसा कि मैंने तनसिंहजी से मालूम किया वहां के लोगों को वह मिला नहीं, तो आपने उनको क्या राहत दी? आज राहत की आवश्यकता तो उस समय है जिस समय लोगों के पास खाने को अनाज नहीं पीने का पानी नहीं; उस पैसे को तिजोरी में बन्द कर दिया जाय तो यह तो एक तरह से यह हुआ....

"बहू बेटा खाजो पीजो मत, घर म्हारो है।"

यह इस तरह से हुआ, रुपया तो तिजोरी में रख दिया लेकिन वह मिला नहीं, उसका उपयोग नहीं हो पाया।

(१. ४८ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा मेरा निवेदन है फेमीन फन्ड्स के माफिक जो मजदूरों को मजदूरी दी जाती है वह बहुत कम है। इस थोड़ी मजदूरी के अन्दर लोग नहीं आते। आपने दस आने और बारह आने मजदूरी के रखे हैं ये समय से चले आ रहे हैं। आज वे रेट्स चल नहीं सकते। उससे ज्यादा मजदूरी उनको दूसरे काम करने पर मिलती है, इसलिये फेमीन के काम में लोग आते नहीं। इसलिये सरकार को चाहिये कि मजदूरी की रेट्स आज जो प्रचलित हैं उनके आधार पर रेट्स बढ़ावें। आप यह भी देखते हैं कि जब मजदूर नहीं आते हैं तो आप यह समझ लेते हैं कि फेमीन नहीं। लेकिन यह बात नहीं, लेबर्स को जो रेट्स दी जा रही हैं वे इतनी कम हैं कि मजदूर उस रेट में आते नहीं। ये पुरानी रेट्स उस वक्त की हैं जब कि रुपये का बीस सेर अनाज मिलता था, आज जब कि रुपये का दो सेर अनाज है, इस भाव में दस आने और बारह आने में कौन मजदूरी करने आयगा? इन रेट्स में आपको परिवर्तन करना होगा और अकालग्रस्त क्षेत्र के लिये जो पैसा दिया जाता है वह समदृष्टि रखकर दिया जाना चाहिये। आपको इन चीजों में राजनैतिक दृष्टिकोण न रखकर मानवता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

(२ म. प.)

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कट मोशन रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मन्त्री महोदय का कोटपूतली के बारे में क्या व्यवहार है। काफी वर्षों पहले भी और गये साल भी जब उस क्षेत्र में अकाल की स्थिति आई तो माननीय मन्त्री जी ने वहां आने के लिये और सारे हाल खुद देखने के लिये १६ तारीख को आने...

श्री उपाध्यक्ष: कितने साल पहले की बात हो रही थी?

श्री रामकरणसिंह : पिछले साल की है।

श्री उपाध्यक्ष : और यह डिमान्ड इस साल की फेमीन की है।

श्री रामकरणसिंह : मैं उसका जिक्र करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बार भी उनका वही रवैया रहा जो पिछले साल था।

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं हो कि आप बहस में पिछले साल का रेफरेंस देने में ही सीमित रह जावें।

श्री रामकरणसिंह : मैं कह रहा हूं कि जो गत साल हुआ वही अब भी हो रहा है। तो जो मेरा अनुभव है वही चीज वे खुद भी जानते हैं। जिस चतुराई और सफाई के साथ वे यहां सदन में जवाब देते हैं, जिस प्रकार से सन्तुष्ट करने की बात यहां वे कहते हैं वे चतुराई से ही, वास्तविक चीजों को छिपाने की कोशिश करते हैं। उस समय क्योंकि अजीब हालत थी, तहसीलदार ने जो पटवारी से आंकड़े लिये उससे यह लगता था कि करीब करीब सात लाख की लागत के मकानात नष्ट हुए थे। पशुओं और फसल के अलावा इतनी क्षति एक तहसील में होती है तो उस समय केवल यह कह देना कि नुकसान हुआ है, हम सन्तुष्ट हो गये।

साथ में आपने यह बताया कि कलेक्टर साहब दौरे पर गये हैं। पर उस समय भी जैसा मैंने बताया अब भी बता सकता हूं कि वे दौरे पर नहीं गये। जब भी दौरे पर जाते हैं उनका रिकार्ड रहता है। वे टी. ए. और डी.ए. लेते हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उस समय जो आपने सदन में कहा था सही नहीं था और उस समय जिस राहत देने की बात कही थी....

श्री उपाध्यक्ष : फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो वाकयात पहले साल गुजर चुके हैं उनका आप यहां जिक्र नहीं करें।

श्री रामकरणसिंह : साथ में आपने जो बात बताई उसका आदर करते हुए मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि जो हालत पिछले साल थी वही इस साल भी रिपोर्ट हो रही है। जिस तरह से पहले किया उन्हीं बातों को फिर वे न दोहरा दें।

पहले साल की तरह इस साल भी तहसील में स्थिति पैदा हुई तो परसों यहां से ट्रन्क भी गया था और इसकी जानकारी केवल एस. डी. ओ. ने अपने हैड क्वार्टर पर बैठे बैठे दी है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि उसके आधार पर बैठे बैठे कलेक्टर कह देता है और उसी पर ऊपर से कार्यवाही होती है। एस. डी. ओ. ने बैठे बैठे कह दिया पांच सात गांवों में पानी भरा है। इसी तरह यह अर्ज करना चाहता हूँ कि टिन शेड वगैरह की राहत आप नहीं देते। आप इसकी एक पैसे की राहत नहीं देने वाले, क्योंकि यह आपके विभाग में आता है कि जिस जगह से आपके समर्थक न हों, आपकी बात मानने वाले न हों, चाहे जायज या नाजायज, उस जगह के लिये हमेशा यह आपका रुख रहता है, राहत के लिए पैसा न दें। राहत देते वक्त आप यह न समझिये कि यह कोई आपके घर का पैसा है। आपके घर का पैसा नहीं है। राजस्थान के हर छोटे से छोटे नागरिक का और गरीब से गरीब नागरिक का उसमें पैसा है। वे टैक्स के रूप में देते हैं और दुर्दिनों में सरकार से राहत की मांग करने का उनको अधिकार है। अगर

(श्री रामकरणसिंह)

इस प्रकार का भेदभाव आपके दिमाग और दिल में है....

श्री हरिदेव जोशी (बांटोल) : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट में कट मोशन में डिबेट का स्कोप इतना विस्तृत है क्या कि जनरल डिबेट के तौर पर हर चीज का जिक्र किया जाय। आप किस चीज के सपोर्ट में बोल रहे हैं क्या इस बात का ध्यान वे रख रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह ध्यान रखना आवश्यक है और इसलिये बार बार मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है। वे पुन: निवेदन करता हूँ कि ये सम्बन्धित प्रश्न पर ही बोलेंगे।

श्री रामकरणसिंह : कोशिश तो यही की है कि बात दायरे में ही कही जाय और सहायता, जो दुर्भाग्यवश दुर्भिक्ष में फंसे हैं, उनको दी जानी चाहिये। मैं बात दोहरा नहीं रहा। मैं तो बता रहा हूँ कि जो सहायता जिन दुर्भिक्ष पीड़ितों को मिलनी चाहिये, उनको नहीं मिलती और दूसरों को मिल जाती है। उस पर मैं विचार करता हूँ कि हमारे मन्त्रीमण्डल में कोई ऐसा नहीं है जिसको इस क्षेत्र पर दया आवे। यह बात जरूर है कि हमारे जिला जयपुर के लिये यही बात नहीं, कि दुर्भिक्ष जहां पड़े वहां पर सहायता न मिले, पर अन्य बातें भी ऐसी देखी गई हैं। तो केबिनेट में यदि कोई है तो न के बराबर और हैं भी तो उनकी तरफ से भी केवल वे बर अपने आपको बनाये रखने के लिये हैं। उस जगह बैठते हैं....

श्री हरिदेव जोशी : क्या सजेशन है फिर आपका ? कितने होने चाहिये, कैसे होने चाहिये, यह भी बता दें ?

श्री रामकरण सिंह : अगर वे चाहें तो मेरे पास आवें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या केबिनेट पर वे कुछ कह रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : केबिनेट में कितने हों, इस पर आपका सुझाव है।

श्री रामकरणसिंह : चीफ व्हिप साहब क्यों अधिक बेचैन हैं ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आपकी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आना कोई सरल बात थोड़े ही है।

श्री रामकरणसिंह : आप आइये, हम समझावेंगे आपको। इस प्रकार से जब कोटपूतली के बारे में बात आई तो जिस प्रकार से मिनिस्टर साहब ने बात बताई वैसी कोई सहायता उसको न देकर उसके पड़ोस में दूसरी तहसील शाहपुरा, जिसके बारे में किसी भी तरह की कोई बात नहीं थी, उसको जो टीनें कोटपूतली के लिये बताई गई थीं उनको कोटपूतली के उन गरीब अकालग्रस्त लोगों को न देकर, जिनके कि घर नष्ट हो गये, खेती नष्ट हो गई, गणेश आइरन नाम की एक फर्जी फर्म के मार्फत शाहपुरा में पहुंचाया गया। तो शाहपुरा के बी. डी. ओ. और प्रधानजी को हमने कहा कि हमें भी ये मिलनी चाहिये। तो मालूम हुआ कि वहां भी एक दिन नहीं पहुंचा। केवल इत्तिला आई थी और जब डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज के यहां से मालूम किया तो वहां से मालूम हुआ कि वह कोटा उठ गया और वहां

(श्री रामकरणसिंह)

साइन भी किये हुए हैं बाकायदा। डाइरेक्टर को और राजस्थान सरकार को इस बारे में लिखा जा चुका पर अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है। यह है हालत आज हमारी इस सरकार की। मुझे यह नहीं कहना कि शाहपुरा में उनके किस प्रकार के इन्टरेस्ट्स हैं। आप अपने इन्टरेस्ट्स रखियेगा। पर साथ में कोटपूतली की जनता भी राजस्थान सरकार की ही जनता है, वह भी टैक्स देती है उसका भी कुछ हक है और जो चीज डिस्ट्रिब्यूशन से मिलती है उसमें भी इसकी निगाह रखनी चाहिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): On a point of information, I wouldlike to know from the Hon'ble member as to what cut motion he supports.

श्री उपाध्यक्ष: It is going to be very difficult for me to control the Hon'ble member.

श्री हरिदेव जोशी: Is it left to us only to control the House?

श्री उपाध्यक्ष: I expect the co-operation of all the Hon'ble members of which I am sometimes deprived.

श्री रामकरणसिंह: इस प्रकार अर्ज कर रहा था कि गये साल की तरह इस साल भी यहां काफी नुकसान हो गया है, फसलें नष्ट हो गई हैं। इसमें किसी प्रकार की ज्यादा राहत देने की पोजीशन में माननीय मिनिस्टर साहब अगर नहीं हैं तो बात दूसरी है, पर कम से कम उनको किसी प्रकार से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये, जो बात हो वे स्पष्ट कहें।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०): यही बहस करने का मौका दिया है।

श्री रामकरणसिंह: यदि परमात्मा ने दुर्भिक्ष और अकाल के रूप में कष्ट दिया है तो आप उसे तो दूर नहीं कर सकते, पर कम से कम जिस चीज की मांग की जावे और जो वास्तव में जायज हो उसमें अपनी चतुराई से झूठ बोलकर, गलत कहकर टाल-मटोल की जावे, यह उचित नहीं है......

श्री हरिदेव जोशी: I protest Sir,

श्री उपाध्यक्ष: I too take exception to the words. मैं बार बार माननीय सदस्य से निवेदन कर चुका और फिर निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न वे कई बार रिपीट कर चुके हैं। जब कि माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब ही नहीं दिया, आप उसको एन्टीसिपेट कर रहे हैं और शब्दों का जाल बिछाये जा रहे हैं जिनको पार्लियामेन्टरी भाषा नहीं कहा जा सकता।

श्री रामकरणसिंह: सब के लिए कहते हैं तो वह सही नहीं है जब कि.....

श्री हरिप्रसाद यादव: माननीय मिनिस्टर साहब तो करें लेकिन आप कितना सहयोग देंगे? मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूँगा कि आप वहां क्या करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: Order! order!!

श्री रामकरणसिंह: इसके साथ ही साथ मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह

(श्री रामकरणसिंह)

निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से यदि जो अकालग्रस्त हैं उनको सहायता देने के बारे में कोई बदनीयती हो तो उसको निकाल देना चाहिए और इस प्रकार से अपनी नीयत साफ करके हर प्रकार से सहयोग देने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से आपका भी भला हो और राजस्थान गवर्नमेन्ट का भी भला हो और इससे जनता भी सुख पा सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय सदस्य ने बाड़मेर और जैसलमेर की जानकारी दी उससे भी आपको भली प्रकार जानकारी मिली होगी। इस प्रकार को यदि बातें हैं और इस प्रकार की कार्यवाही होती है तो मैं यह चाहूँगा कि इस प्रकार की चीज कभी नहीं करनी चाहिए। यदि आप मन्त्री महोदय हैं और इस प्रकार से आप सरलता और सुगमता से एक चीज को न करते हैं और राजनीति में इसको डालना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार का व्यवहार तुरन्त छोड़ देना चाहिए। यही कहते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि जनता को अधिक से अधिक मदद देने की कोशिश करें और जो जनता है वह किसी पार्टी पोलीटिक्स में पड़कर नुकसान न उठावे, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अकाल के सिलसिले में जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने पेश की है उस सिलसिले में श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं, मैं उनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय उपाध्यक्षजी, बात यह है कि आम चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं और इसलिए सब पार्टियां अपने अपने राजनैतिक अखाड़े जमाना चाहती हैं, इसलिए अकाल को लेकर इस तरह की राजनैतिक बातें उस पार्टी की तरफ से, जो कि अपने आपको बहुत जिम्मेदार पार्टी कहती है, उस पार्टी के नेता इस राजनैतिक उल्लू को सीधा करने के लिए सदन का प्रयोग करेंगे, यह मुझे मालूम नहीं था।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : This is the only defence to the Goverment.

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य तो इस बात को सुनकर हुआ कि भारतीय संस्कृति के चलाने वाले और जो कि राजस्थान प्रदेश जनसंघ के सभापति हैं उन्होंने यहां मुसलमानों का पक्ष लेकर अपना राजनैतिक उल्लू सीधा किया और जब कि वह पार्टी स्वयं नहीं जानती कि मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करें, इसके लिए उनकी नीति स्वयं को स्पष्ट नहीं है और वही पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाये कि जैसलमेर में सहायता कार्य इसलिए सरकार नहीं कर रही है क्योंकि वहां पर अधिकांश मुसलमान लोग रह रहे हैं और ऐसा कह कर राजनैतिक उल्लू सीधा करने की चेष्टा करें, तो मुझे एक कहावत याद आती है कि "सूप बोले तो बोले चालनी भी बोलने लगती है जिसमें ७० छेद हैं।" वह पार्टी कहती है कि सरकार मुसलमानों की उपेक्षा करती है। वह पार्टी कहती है और इस बात की दुहाई देती है कि कांग्रेस की ऐसी

(श्री चन्दनमल वैद)

नीति है कि वह मुसलमानों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करती और पक्षपात की नीति बरत रही है और जैसलमेर में इसलिए ही सहायता के कार्य नहीं कर रही है कि वहां की मोस्टली पॉपुलेशन मुसलमानों की है। तो मैं समझता रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि वह शायद नहीं बोल रहे हैं बल्कि आगे आने वाले चुनाव बोल रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह : आपको आगे आने वाले चुनावों का टिकट सता रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आपको तो टिकट मिल जायेगा।

श्री चन्दनमल वैद : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार एक आदमी दो-चार दिनों के लिए जैसलमेर चला जाता है और फिर वह सदन में इस बात का दम भरता है कि मैं तो जैसलमेर की सारी प्रोब्लम्स का एक्सपर्ट हो गया हूँ, वहां पर स्मगलिंग कैसे होता है, अनाज कैसा बिकता है, क्या सहायता कार्य वहां पर हुए हैं; सारी बातों पर अपने आपको एक्सपर्ट समझने लगते हैं तो इस प्रकार से चार-पांच दिन के लिए कोई आदमी कहीं पर चला जाये यों ही सैर करने के लिए, तो श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य का सा फार्मूला यदि लोग एडॉप्ट कर लें तो ३ करोड़ की जनता सारी की सारी एक्सपर्ट हो गयी होती। आप जैसलमेर हो आये और वहां की सारी प्रोब्लम्स के एक्सपर्ट हो गए और उनसे कोई बात छिपी न रही और फिर इसके आगे आपने यह भी कहा कि आप तो वहां गये हैं और राजस्व मन्त्री महोदय जैसलमेर गये भी नहीं, तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपको बताऊं कि उसी पार्टी के माननीय सदस्य एक तरफ तो यह कहते है कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा है और दूसरे माननीय सदस्य १२ महीनों से जी तोड़ कर कोशिश कर रहे हैं कि उनके दो गांव ही अकालग्रस्त घोषित कर दिये जायें। फिर समझ में नहीं आता कि जब उनका यह विचार है कि अकालग्रस्त क्षेत्र में सहायता कार्य ही नहीं होते हैं तो फिर क्यों इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दो गांव अकालग्रस्त घोषित कर दिये जायें? क्यों सारा जमीन-आसमान एक कर रहे हैं और उसके लिए कभी तहसीलदार को बुरा भला कह रहे हैं तो कहीं मन्त्री महोदय को गालियां निकालते है। जब आप जानते है कि कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर जमीन आसमान क्यों एक कर रहे हैं। एक तो जालोर से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, पर पता नहीं कि कौन से माननीय सदस्य सच कह रहे हैं। वे खुद बैठकर तय कर लें और अपनी पार्टी में ही निबट लें। हमारे सामने नहीं लायें कि कौन से आदमी सच कह रहे हैं और कौन से गलत; यह वह खुद निर्णय कर लें। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ इस तरह के राजनैतिक प्रयास किये जाते हैं कि जहां वे रहते हैं वह अकालग्रस्त घोषित कर दिया जाये, जहां आपकी ससुराल या ननिहाल है वह अकालग्रस्त घोषित कर दिये जायें। इस तरह के दबाव पंचायतों में, जिला परिषदों में और विधान सभा में भी डाले जाते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के राजनैतिक प्रयास किये जा रहे हैं कि अकाल को लेकर सरकार को बदनाम किया जाये,

(श्री चन्दनमल वैद)

मुसलमानों के पक्ष में दो शब्द कह कर उनको खुश किया जाये और पता नहीं वे गेहूँ के दाने कहां से उठा लाये, कबूतरों को दाने डाले जाते हैं वे ले आये और माननीय मन्त्रीजी से कह दिया वह उसकी फांकी लें। मैं नहीं कह सकता कि वे गेहूं कहां से उठा कर लाये....

श्री भैरोंसिंह : आपकी तरह से सब गलत कहने वाले हों तो कबूतरों का ही उठाकर लायेंगे।

श्री चन्दनमल वैद : उन्होंने कहा कि मन्त्री महोदय उसकी फांकी लें ताकि उनकी सेहत खराब हो और आपका सिरदर्द दूर हो जाये। यही सोचकर शायद आपने कहा होगा। मैं जानता हूँ जयपुर जिले में जनसंघ का थोड़ा प्रभाव है और जयपुर जिले के जो नेता हैं उनको आप हमेशा कुछ कहते रहते हैं। कभी तो आप हमारे गृह मंत्रीजी को बुरा भला कहते हैं तो कभी हमारे राजस्व मन्त्री महोदय को, क्योंकि दोनों ही जयपुर जिले से आने वाले हैं। पर क्या आप इस बात को नहीं जानते कि जब तक जयपुर में ये दोनों नेता मौजूद हैं तब तक आपकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए राजनैतिक उल्लू सीधा करने की दृष्टि से इनको नहीं तो उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है मुझे टिकट मिले या नहीं, इसकी फिक्र आपको नहीं है लेकिन मेरे क्षेत्र से कांग्रेसी ही जीत कर आयेगा, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, आप राजनैतिक प्रयास करना चाहते हैं, चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, पर उसके लिए अलग जगह है। अभी जयपुर में भी नगरपालिका के चुनाव चलने वाले हैं और जिस चीज को लेकर आप अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं उसके बारे में आप यह भी नहीं जानते कि आपकी पार्टी के सिद्धान्त क्या हैं? आप यह भी नहीं जानते कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहती है। तो मैं यह समझता हूँ कि यह ठीक नहीं होगा। कम से कम जिस समय मानवता का दृष्टिकोण अपनाने का हो उसमें भी अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं तो ठीक नहीं होगा। यही कह कर श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपने कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं उनका विरोध करता हूँ।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी यहां पर हमारे यहां जो अकाल कार्य चले उनकी त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया। जिस प्रकार से अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था मैं भी यह मानता हूँ कि कुछ त्रुटियों पर विस्तार से छाया डाली जा रही है वह खास तौर से आम चुनावों को दृष्टिकोण में रख कर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो अभी अभी कुछ अकाल कार्य चले थे उनसे जो मुझे थोड़ा अनुभव हुआ उनको लेकर मैं राज्य सरकार के सामने फेमीन कोड विषयक और जो अकाल नीति होनी चाहिए, उस विषय में कुछ कहना चाहूँगा।

एक बात तो सबसे पहले यह आती है कि जहां कहीं भी अकाल की परिस्थिति होती है और अकाल कार्य के लिए मांग शुरू होती है तो वहां समय पर अकाल कार्य अगर चालू हो जाते है तो वहां की परिस्थितियां अधिक विकट नहीं होती हैं। A stitch in time saves nine लेकिन हमारी दफ्तरी कार्यवाही

(श्री नारायणसिंह)

का सिलसिला कुछ : इतना लम्बा चौड़ा है कि जिससे कभी कभी स्थानीय कई प्रकार की संस्थाएं और समितियां इत्यादि हैं उनके प्रस्तावों के बावजूद अकाल कार्य चलाने में काफी देर हो जाती है। कभी कभी तो ४-५ महीने देर से वह चालू हो पाते हैं, और उससे बड़ा असंतोष और एक बड़ी हलचल भी हो जाती है। इसका एक कारण तो मैं समझता हूँ, वह यह है कि जो फेमीन कोड के मुताबिक हमारा मापदण्ड रखा गया है कि राजस्व अधिकारी, पटवारी इत्यादि की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी उसके मुताबिक यदि आठ आना फसल कम हो तो उस क्षेत्र को स्केयर्सिटी क्षेत्र माना जाय और उससे कम हो तो अकालग्रस्त माना जाय, लेकिन आज हमारा यह सामान्य अनुभव हो सकता है कि जो निम्न राजस्व अधिकारी हैं व कई कारणों और कई परिस्थितियों में जो फसल का मूल्यांकन करते हैं, उसमें काफी त्रुटियां कर जाते हैं। कुछ तो गिरदावरी की भी गलतियां होती हैं कि रकबा गिरदावरी कस प्रकार से हो और उसके अन्दर फसल में खराबा जितना दर्ज होना चाहिए वह हुआ नहीं और दूसरे भी कई प्रकार के कारण आ जाते हैं जिनसे जो असली स्थिति फसल की होती है वह सामने नहीं आ पाती। फिर भी उसके बावजूद वहां अकाल की स्थिति रहती है। कई जगह ऐसा देखा गया है कि कलेक्टर की कुछ क्षेत्र के लिए एक रिपोर्ट होते हुए भी हमारे फेमिन कोड के अनुसार अगर उस मापदण्ड में वह बराबर नहीं बैठ पाता तो अकाल कार्य छेड़ने में काफी अड़चन आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह देखना होगा कि हम मौलिक मूल्यांकन के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करें। यह तो मैं नहीं कहता कि पटवारी वगैरह की जो गिरदावरी की रिपोर्ट है उस पर आधारित नहीं हो, लेकिन आज जब कि हमारे पास विकेन्द्रित जनतन्त्र की व्यवस्था है तो उस हालत में पंचायतों और समितियों की रिपोर्ट पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि उनकी मान्यता यह हो कि किसी खास क्षेत्र में अकाल हो तो पूरी २ जांच की जानी चाहिए। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि गिरदावरी के तरीके से कुछ भी त्रुटि रह जाती है कि फसल कितनी हुई, उसका असली स्वरूप नहीं आ पाता तो पंचायत और इनकी रिपोर्ट के आधार पर जो क्रॉप कटिंग और सैम्पल-कटिंग के एक्सपेरीमेंट करवाये जाकर वहां अकाल घोषित करने की स्थिति बनानी चाहिए।

इस प्रकार का अभी अभी जो समय निकला उसमें यह देखा गया कि कई जगहों पर जहां २-३ फसलों में काफी वर्षा की कमी रही है और लोगों की वाकई हालत बड़ी गिर रही है केवल मात्र एक विशेष प्रकार के मापदण्ड के अनुसार उनकी पैदावार की रिपोर्ट नहीं होने के कारण वहां अकाल कार्य खोलने में देरी हुई है। तो हमें एक तो शुरू में अकाल घोषित करने के लिए जो मूलाधार इसमें रखे हैं, उन पर विचार करना पड़ेगा, और जो भी उन मूलाधारों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए उन पर आज की जो विकेन्द्रित पंचायतों की व्यवस्था है उसके संदर्भ में विचार करना होगा।

इसके अलावा जो दूसरी चीजें देखी गई हैं वे खास तौर से जहां जहां अकाल कार्य शुरू हुए हैं वहां जो चिट्ठे का भुगतान देर से हुआ उसके बारे में बड़ा भारी असन्तोष

(श्री नारायण सिंह)

हुआ है। मस्टर रोल्स बनाते हैं तो वहां के जो स्थानीय पटवारी हैं यदि उन्हीं के हाथों में यह कार्य दिया जाता है तो अकाल की विशेष परिस्थिति जहां भी पैदा होती है वहां यों ही काफी कार्य बढ़ जाता है। सामान्य राजस्व कार्य पटवारी इत्यादि के पास में काफी होता है तो यह आशा नहीं रखी जा सकती है कि उनके ऊपर एक मस्टर रोल इत्यादि तैयार करने का विशेष कार्य जोड़े जाने से वह बहुत ही शीघ्रता से उस कार्य को कर सकेंगे। देखा गया है कि मस्टर रोल्स तैयार होता है एक हफ्ते में। उसके बाद तहसील में स्क्रीनिंग होने में और जोड़ तोड़ इत्यादि लगाने में दूसरा हफ्ता गुजर जाता है और जब तक कलेक्टर के पास पहुंचता है तीसरा हफ्ता आ जाता है और उस वक्त तक कलेक्टर के पास जो मन्जूरी देने का अधिकार होता है उससे ज्यादा काम हो गया होता है और इसका परिणाम यह निकलता है कि पूरे चार हफ्तों के बाद में चिट्ठे का भुगतान होता है और आगे का और बढ़ जाता है जिसकी पॉवर कलेक्टर के पास में नहीं होती है वह केवल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ देखता है। मैं तो इस विषय में यही कहूँगा कि हमको इस फेमीन कोड में इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए कि जितनी भी अलॉटेड रकम किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए है वह सारी की सारी रकम हम कलेक्टर के हाथ में दे दें ताकि जहां जहां कार्य हों उनमें उसी समय के अन्दर कलेक्टर तुरन्त मन्जूरी दे सके।

दूसरी चीज मैं अभी कह सकता हूं कि नीचे के स्तर में जो मस्टर रोल इत्यादि तैयार होते हैं उनमें देर होती है, उसके बारे में हमें विचार करना होगा। अजमेर के फेमिन कोड के अनुसार अजमेर की जो अकाल व्यवस्था थी उसमें जब भी अकाल कार्य छेड़ा जाता था तो वहां विशेष स्टाफ रखा जाता था। आज उसी राजस्व स्टाफ के ऊपर वह भार डाल देते हैं तो यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार से वह देरी होती है। आज हमारे पास में विशेष प्रकार का कोई स्टाफ फेमीन कार्य के लिए जुटाने की जरूरत नहीं है। हम पास जो समितियां और पंचायतें हैं, एक ऐसी व्यवस्था है जिनसे ऐसे अकाल कार्य के अन्दर बखूबी सहायता ले सकते हैं, और उन्हीं से सलाह मशविरा करके राजस्व विभाग वालों से और उनके अधिकारियों को साथ लेकर यह कार्य किया जा सकता है। फिर भी अगर विशेष स्टाफ की जरूरत हो तो विशेष स्टाफ लगाने में भी हमको हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो यह दूसरी बात हल करने से मैं समझता हूं कि जो नीचे के मस्टर रोल इत्यादि बनाते हैं उनमें विलम्ब होने की आशंका नहीं हो सकती है।

अब तीसरी बात जो आती है वह यह है कि इस प्रकार के अकाल कार्य जो शुरू होते हैं बाकायदा एक फेमीन कमेटी से पूरी तरह से सलाह मिलाकर होने के बजाय कहीं की रिपोर्ट जहां की आ गई वहां शुरू कर दिया जाता है।

इस प्रकार यहां हम फेमिन कोड के अनुसार अर्थ वर्क के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। अब अर्थ वर्क का गये समय में मैंने अनुभव किया, जहां जहां भी स्केअर्सिटी और फेमिन कार्य चला वहां इस प्रकार के गैर मामूली, इस प्रकार के साधारण वर्क चले, ऐसी छोटी-मोटी सड़कों पर काम चला,

(श्री नारायणसिंह)

जहां छोटे-मोटे अर्थ वर्क किये गये, रुपया खराब हुआ फंड्स खराब हुए, वहां आखिर काम किया या न किया, उसका ध्यान नहीं रहा और जो कुछ कार्य किया वह बरसात में धुल कर साफ हो गया। हमें यह देखना होगा कि फेमीन के नाम से रकम जहां कहीं भी खर्च होती है वह पूरे पूरे उपयोग में आ जाय और हमें समितियों से और दूसरी व्यवस्था से पहले राय लेनी चाहिये जो प्रोडक्टिव या उत्पादक वर्क्स हैं, इनकम्पलीट वर्क्स हैं, डेवलपमेंट के सिलसिले के हैं उनको पहले लें, यह जरूरी नहीं कि अर्थ वर्क ही हो, इसके अलावा मेसनरी वर्क का कहीं प्रश्न आ जाय तो उसको गौण न समझें और साथ में लेने का प्रयास करें। यदि ऐसा कई स्थानों पर करते तो कई स्थानों पर ऐसी रपटें और टूटे-फूटे तालाब तैयार हो सकते थे जो आगे उत्पादन में योग देते और जो अर्थ वर्क और कार्य हुए उनकी स्थिति को देखें तो यह अनुभव होगा कि जो कुछ अकाल में खर्चा हुआ वह उस तरह से गया जिस तरह से पुण्य करते हैं और दान की तरह दे देते हैं उसी तरह हुआ होगा; लेकिन वास्तव में जैसा कार्य होना चाहिये वैसा नहीं हुआ। हमें हमारे परिमित साधनों में हर जगह प्रोडक्टिव वर्क की ओर जोर देना है। ऐसे अकाल की स्थिति में इसके फंड्स को खर्च करते समय इन बातों को हल करने की तरफ हमारी दृष्टि रहनी चाहिये। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि हम अर्थ वर्क पर जोर न दें लेकिन समितियों आदि की राय से प्रोडक्टिव वर्क पर ज्यादा ध्यान दें और इसमें भी हम जो कुछ कार्य चलाते हैं उनकी देख-रेख पूरी तरह से पंचायतों, पंचायत समितियों तथा वर्क्स कोओपरेटिव्ज को दें, उनकी मार्फत काम करावें। बाकी जो दूसरे सरकार के कार्य चलते हैं उनमें लोगों की स्वाभाविक शिकायत रह जाती है, काम ठीक हुआ अथवा नहीं। कई जगह देखा गया कि जिस गांव में काम था उस काम को कराने के लिये उस गांव के आदमी कम आये क्योंकि जिस कार्य के लिये उनकी मांग थी वह कार्य नहीं हुआ और दूसरा कार्य शुरू हो गया। तो ऐसी परिस्थिति हुई कि बहुत से बाहर के लोग आये, बारह आने या रुपये रोज की मजदूरी के लिये वहां आकर भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन वास्तविक कार्य नहीं हुआ। मैं तो समझता हूं, वहां की मांग को देखकर कार्य होता तो जैसा श्रमदान के लिये रखा जाता है वैसा काम होता। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि एक गांव में रोक कटिंग का ऐसा काम हुआ श्रमदान के जरिये कि उसे १०-१५ हजार का काम माना जा सकता है। सारे पहाड़ को तालाब की नहर के लिये काट लिया लेकिन सरकार की मंजूरी नहीं हुई। क्योंकि २५ हजार तक की समिति मंजूरी नहीं दे सकती थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं रह सकता था इसलिए वहां के इंजीनियर द्वारा एक लाख का तखमीना बनाकर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर तक पहुँचाया गया और ऐसा लटक गया कि श्रमदान करनेवाले आगे के लिए हतोत्साहित हो जांय तो ताज्जुब नहीं। इसलिए स्थानीय मांग की पूरी तरह जांच करके वहां किसी कार्य की अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए अथवा उत्पादन प्रोग्राम मेंसहयोग देने के लिए इस कार्यको उठावें तो कोई शक की बात नहीं कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग यों ही काम करने के लिए आयेंगे और काम माकूल होगा।

इसके अलावा राजस्थान फेमीन कोड

(श्री नारायणसिंह)

के मुताबिक वर्षा होते ही अकाल के जो काम होते हैं वे बंद कर दिये जाते हैं जैसी कि शिकायत आई थी। वर्षा होने के साथ ही अनाज नहीं होता। पहले के साल की कमी है और इस साल अकाल की दृष्टि से कमी रही है तो यह स्वाभाविक है कि लोगों की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वर्षा होते ही ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हो सकें जिनसे पूरा कृषि का कार्य कर सकें या दूसरे धन्धे में लग जावें। अधिकांश लोगों की ऐसी स्थिति है कि एक कुटुम्ब में ५-७ या इससे भी अधिक मेम्बर होते हैं और उनमें से एक काम करने वाला होता है और बाकी सब उसके डिपेन्डेन्ट्स होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम वर्षा बरसते ही मानलें कि यहां पर जमाना सुधर गया है तो यह गलती की बात होती है। पहले भी अजमेर राज्य में साधारण सिद्धान्त रखा जाता था कि जो अकाल-कार्य होते वे वर्षा के शुरू होते ही खत्म नहीं किये जाते थे बल्कि परिस्थिति को देखकर अगली फसल तक भी जारी रख दिये जा सकते थे। आज भी मैं कहूंगा कि इसी प्रकार की अकाल-नीति होनी चाहिए जिससे केवल वर्षा बरसाना ही माप दंड नहीं रहे, बरसात होते ही खत्म कर दिया जाय, यह नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए कि विशेष परिस्थिति को देख कर आगे भी बढ़ाया जा सके और अगली फसल तक ले जाया जा सके. इसमें रोक नहीं होनी चाहिए और इसमें स्थानीय कलेक्टर या समितियां हैं उनके अंडर में काम होना चाहिए। मैं मानता हूं कि सारा भार समितियों और पंचायतों को दे देते हैं तो हो सकता है कि स्थानीय स्थिति को देखकर सही बात न रखें और अकाल की स्थिति न होने पर ऐसी स्थिति होना बतादें, लेकिन उसके लिए कलेक्टर हैं और दूसरी व्यवस्था है और स्थानीय निरीक्षण भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। एक तो अकाल की मांग है वह टेक्निकल छोटी मोटी बातों से अटकी न रहे और समय पर चालू हो जावे; दूसरी ऐसी व्यवस्था हो कि कलेक्टर्स को फंड्स पूरे पूरे एलोट हो सकें ताकि कोई काम चालू हो वह अटकाव के साथ न हो। तीसरा काम चालू हो पंचायत और पंचायत समिति के निरीक्षण में और उनकी राय में रहना चाहिए और जो भी कार्य हो वह अपूर्ण विकास के कार्य को पूरा करने के लिए तथा उत्पादन आगे बढ़ाने वाला होना चाहिये; यह नहीं कि अर्थ वर्क रख दिया लोगों को राहत पहुंचाने के लिए और संतोष मान लें। आज तो एक एक पाई का पूरा उपयोग हो, इस तरफ ध्यान देना है। जो कुछ बातें मैंने यहां निवेदन कीं उनको ध्यान में रखते हुए फेमीन कोड में जो आवश्यक संशोधन करने हैं या अकाल नीति में आवश्यक परिवर्तन करने हैं वे अवश्य किये जाने चाहिए। मैं यह तो आशा नहीं रखता कि ऐसी परिस्थिति जल्दी से जल्दी आती रहे। अब की वर्षा अच्छी हुई है लेकिन मैं समझता हूं दो-तीन साल में ऐसी परिस्थिति आ सकती है, मैं चाहता हूँ वह भी न आवे। इसके साथ ही हमारे फेमीन कोड में आज की स्थिति में अकाल कार्य को ठीक ढंग से चला सकें, इसके लिये परिवर्तन करने की आवश्यकता है. इस पर बल देता हुआ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) माननीय उपाध्यक्षजी, श्री माधोपुर से आने

(श्री मोहनलाल भटनागर)

वाले माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूँ। मुझे बड़ा खेद है कि उन माननीय सदस्य ने दुर्भिक्ष जैसे विषय को राजनीति का विषय बनाने की कोशिश की है और कई बातें ऐसी कही हैं, जिनका सत्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहले तो जो फेमीन डिक्लेअर किया जाता है उसके बारे में काफी एतराज किया गया। अगर वे माननीय सदस्य नियमों को देख लेते तो उन्हें मालूम हो जाता कि फेमीन डिक्लेअर करने के जो नियम हैं, वे बहुत एलेबोरेट हैं। जो प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण के कारण नई संस्थायें कायम हुई हैं, उनका उसके अन्दर समावेश किया गया है और मेरे ख्याल से उसके अन्दर कोई कमी हो, रुकावट हो, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि नियम हैं कि गिरदावरी की जाय, तो उसके साथ लम्बरदार, पंच और सरपंच वगैरह रहें। उसके अनुसार यदि उनके बीच में कोई मतभेद हो, उनकी राय में फायदे हों, अगर पटवारी कहता है कि अच्छी फसल हुई है और पंच कहता है कि फसल ठीक नहीं हुई है तो तहसीलदार के पास रिपोर्ट की जाय, एस. डी. ओ. को रिपोर्ट की जाय और वे समय पर आकर निरीक्षण करेंगे। इसके अन्दर राजनीति का प्रश्न नहीं है। जो अठारह जिले राजस्थान के अन्दर थे, जिनके अन्दर फेमीन डिक्लेअर किया गया, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन तहसीलों के मैं नाम नहीं लेना चाहता था। उन गांवों के नाम आप देखेंगे तो विदित होगा कि उन तहसीलों के जो गांव हैं, वे जो माननीय सदस्य इधर के बैठने वाले हैं या उधर के बैठने वाले हैं, उन सब सदस्यों के चुनाव क्षेत्र के अन्दर आते हैं। इसके साथ ही इस वर्ष के अन्दर समय पर उन एरियाज या उन गांवों को फेमीन में डिक्लेअर किया गया है। रबी और खरीफ के अकाल के समय को राजस्थान के पिछले तीन-चार साल में देखेंगे तो विदित होगा कि काफी लम्बा समय ले लिया जाता था दुर्भिक्ष डिक्लेअर करने के लिए। इस साल समय पर डिक्लेअर किये गये हैं।

मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो नई संस्थायें हैं उनका सहयोग नहीं लिया जाता। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे वस्तुस्थिति से परिचित नहीं हैं, वर्ना हर तहसील में जो तहसील फेमीन कमेटी बनाई गई थी, उसका जो चेअरमैन था, वह पंचायत समिति का प्रधान बनाया गया था। तहसीलदार पहले उसका अध्यक्ष होता था, वह अब सेक्रेटरी के रूप में काम करता है। तो पंचायत जैसी नई संस्था को काफी महत्व दिया गया है, आज प्रधान उस कमेटी में प्रिसाइड करता है। और जो तहसील कमेटीज अपनी रिकमन्डेशन्स भेजती हैं, उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन होता है। वे निर्णय करते हैं कि कौन कौन से कार्य कराने हैं, कौन कौन से कार्य नहीं कराने हैं और आगे जाकर जो जिला कमेटी है उसके अन्दर जो जिला परिषद् के सदस्य वगैरह हैं वे हैं। इसलिए यह कहना कि फेमीन मनमाने ढंग से डिक्लेअर किया जाता है और यह कहना कि राजनैतिक ढंग से फेमीन वर्क शुरू किये जाते हैं, यह सत्यता से दूर है। जो विरोधी दल के सदस्य अपने इलाके में फेमीन डिक्लेअर कराना चाहते हैं वे नियमों को तो जानते नहीं हैं और समय पर सोते रहते हैं और यहां पर आकर कहते हैं कि फेमीन डिक्लेअर नहीं किया। अगर वे नियमों को नहीं जानते और समय को इस प्रकार खोते हैं तो यहां पर कटौती प्रस्ताव देने

(श्री सोहनलाल भटनागर)

और भाषण देने से फेमीन डिक्लेअर नहीं हो सकता।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष, इसे राजनैतिक रूप देने के लिए कही गई कि फलां फलां क्षेत्र के लिए काफी रुपया दे दिया गया और कुछ जगह फेमीन डिक्लेअर नहीं किया है और वहां पर फेमीन डिक्लेअर इसलिए नहीं किया है कि हमने जिस आदमी को चुना है वह सरकारी दल के लोगों में से नहीं चुना है, इसलिए हमारे क्षेत्र फेमीन डिक्लेअर नहीं किया गया है। आप और हम देखते हैं कि जैसलमेर के लिए कहा गया है। इसके जो आंकड़े हैं वे तो माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे। अगर देखा जाय तो वहां पर काफी तकावी दी गई है और काफी राहत के कार्य खोले गये हैं। वहां की आबादी करीब एक लाख है, उसको देखते हुए जो रकम स्वीकृत की गई है, वह एकदम स्वीकृत की गई है और समय पर स्वीकृत की गई है और समय पर लोगों को राहत पहुंचाई गई है।

दूसरी बात फेमीन कोड के सम्बन्ध में कही गई, वह वहां दी जाने वाली मजदूरी के सम्बन्ध में है। मैं मानता हूँ कि अनाज वगैरह के दाम बढ़े हुए हैं। एक उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने प्रोटेस्ट किया है। मैं समझता हूँ कि बारह आने की दर तो वहां सचमुच नहीं है। उसमें सरकार ने संशोधन किया है। जहां अनाज की दरें बढ़ी हुई हैं, वहां बारह आने की जगह एक रुपया मजदूरी दी गई है। पर यह नहीं हो सकता कि फेमीन रिलीफ वर्क्स में काम करने वाले आदमी को आम तौर पर जो काम होता है, उसमें रकम मिलती हैं, प्राइवेट कामों में मिलती है, वही दी जाय। वैसे भी फेमीन का मतलब यह नहीं है कि उतनी ही रकम उनको दी जाय। फेमीन का मतलब है कि लोगों को भूखा मरने से बचायें, उनको राहत मिले। यह नहीं हो सकता कि जो मजदूरी करते है, उनको वही मजदूरी मिले। उनको राहत देनी है। अगर ऐसी परिस्थिति है कि वे भूखे मर रहे हैं तो वे जरूर आयेंगे और कार्य करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस वर्ष पहले तो बजट में २५ लाख रुपये की रकम रखी गई और उसके बाद अब १६ लाख ५० हजार रुपये की मांग रखी है; इससे पता चलता है कि हमारी सरकार जागरूक है फेमीन रिलीफ वर्क करने में, समय पर सहायता देने में और राजस्थान की जनता को राहत देने में। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्यता से परे है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कटौती का प्रस्ताव श्री माधोपुर से....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह कहिये हमारे नेता ने।

श्री लादूराम सुलाणिया : श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है और जो हमारे दल के नेता हैं, उन्होंने रखा है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि जब किसी प्रस्ताव पर....

श्री रामचन्द्र (इग सु०) : आप नेता के आधार पर न बोलें, सत्यता के आधार पर बोलें।

डॉ० बहादुरसिंह : सत्यता से दूर है।

(डा० बहादुरसिंह)

श्री लादूराम सुलाणिया : जब किसी प्रस्ताव पर बोलते हैं तो इस बात पर दुःख होता है कि सदन के दोनों तरफ बैठने वाले सदस्य इस बात पर जोर देते हैं कि हम ज्यादा ईमानदार हैं और हम इस बात पर जोर देते हैं कि हम सच्ची बात कहते हैं, सच्ची बात बताने पर जोर देते हैं ..

डॉ बहादुरसिंह : आप इस पर जोर मत देना।

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय सदस्य इस बात का दम भरते हैं कि विरोधी दल के सदस्य गलत आरोप लगाते हैं मैं कहता हूं कि हम गलत आरोप लगाते हैं। तो उसकी जांच करें। माननीय सदस्य जो दावा करते हैं कि हम गलत आरोप लगाते हैं, वे गलत सिद्ध हो जायं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : महीने कितने रहे हैं, इस्तीफा मत दीजिये।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं नहीं दे रहा हूँ। वे साबित नहीं करवा सकें तो वे दें। मैं आज ही साबित करने के लिए तैयार हूँ कि जो सरकार के ऊपर आरोप लगाये हैं वे सही हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप कटौती प्रस्ताव पर आ जायं।

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय उपाध्यक्ष, जो अकालग्रस्त एरिया घोषित किये गये और जो राहत दी जाती है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो सरकार की नीति है उसमें थोड़ा फर्क है और वह फर्क क्या है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति की नीति में फर्क है, लेकिन जो सरकार का ढांचा है, जो प्रोसीजर बंधा हुआ है उसमें थोड़ी कमियां हैं....

डॉ० बहादुरसिंह : यह अपने नेता को समझाइये।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं बतलाना चाहूँगा कि जो अकाल की जांच करने वाला व्यक्ति है वह पटवारी है और पटवारी के द्वारा ही अकाल की जांच की जाती है। पटवारी एक गांव में रहता है। मैं निवेदन करूंगा कि एक गांव के अन्दर जो सारे लोग रहते हैं, यह जरूरी नहीं कि वे पटवारी के फेवर के हों। ऐसा नहीं होता है कि सब लोग पटवारी के मित्र हों। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं जो पटवारी को खुश रख सकते हों। कुछ ऐसे होते हैं जो पटवारी से नाखुश होते हैं, कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो पटवारी से खुश होते हैं। एक ही गांव में एक ही जमीन में अक्सर वर्षा होती है और गांव में सारे के सारे जितने काश्तकार हैं, उन सबकी पैदावार पर इसका प्रभाव होता है। किन्तु एक गांव के अन्दर ही इस प्रकार की भिन्नता होती है और दस काश्तकार दुर्भिक्ष में होते हैं और दस काश्तकार दुर्भिक्ष में नहीं होते है, क्योंकि उनके लगान के आंकड़े होते हैं, उनमें पटवारी परिवर्तन कर देता है और जो सही स्थिति होती है उसका वह पता नहीं लगने देता। इसलिए जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। आपको बताऊं कि उधर बैठने वाले एक माननीय सदस्य ने बताया कि विरोधी दल के लोग नियमों को नहीं समझते हैं, लिख नहीं पाते हैं और भाषण देने के लिए यहां पर टाइम निकाल कर आ जाते हैं। मैं उनकी जानकारी

(श्री लादूराम सुलाणियां)

के लिए बता दूं कि नियम मैं जानता हूँ....

डॉ० बहादुरसिंह : आपके नेता तो शिकायत कर रहे हैं कि नियम बताये नहीं जाते ।

श्री लादूराम सुलाणिया : जो कमेटी होती है वह अपने प्रस्ताव सरकार के सामने भेजती है । उसके बाद उन पर जांच होती है । लोग कलेक्टर के घर पर जाते हैं या जब वह दौरे पर जाता है तो वह पटवारी के काम में गलती निकालता है और लोग बताते हैं कि उसके खिलाफ यह शिकायत की है, उसने यह गलती की है; लेकिन आज तक एक भी पटवारी को सस्पेन्ड नहीं किया गया । मुझे अफसोस है कि कई पटवारियों के खिलाफ शिकायतें आई सरकार के पास कि हमारे गांव में अकाल था, उस पर पटवारी ने रिपोर्ट नहीं की । उनकी सरकार जांच करती है और जांच करने पर यह साबित हो जाता है तब भी उसको घोषित नहीं किया गया है । किसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसे घोषित करवाया भी तो उस पटवारी को सर्विस में रखने का कौनसा कारण है, उसको सर्विस में क्यों रखा जाय, उसको फौरन सर्विस से अलग कर देना चाहिये ताकि अन्य लोगों पर वे इस प्रकार के अत्याचार करने वाले हैं वे लोग इस प्रकार के अन्याय से बच जायें। जिन लोगों के यहां पर अकाल है वहां पर अकाल घोषित नहीं होता है और जिन लोगों के यहां पर अकाल नहीं है वहां पर अकाल घोषित हो जाता है । हमारे यहां सब कुछ पटवारी के आंकड़ों पर निर्भर करता है, पटवारी के आंकड़ों पर हमारी सरकार, कलेक्टर, तहसीलदार निर्भर करते हैं । जो कुछ पटवारी लिख देता है, तहसीदार से लेकर कलेक्टर तक और हमारी सरकार भी उसी को सही मानती है । माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पटवारी जो रिपोर्ट करे उसकी जांच के लिये हर गांव में मन्त्री महोदय जायं यह नहीं हो सकता । कलेक्टर और तहसीलदार भी हर एक गांव में जाकर जांच करें यह भी नहीं हो सकता । पर इस प्रकार की गलत रिपोर्टों को रोकने के लिये एक ही दण्ड इस प्रकार का हो सकता है कि जिससे भविष्य में सभी रिपोर्टें सही आ सकती हैं । ऐसी स्थिति कोई एक दो गांवों में ही हो, ऐसी बात नहीं है; बल्कि पचासों गांवों के लिये पटवारियां ने गलत रिपोर्ट की हैं । जब जनता ने कई शिकायतें कीं तो दुबारा जांच कराई गई और दुबारा जांच करने पर पटवारी की रिपोर्ट गलत साबित हुई और जनता की शिकायत सही साबित हुई । पर इस प्रकार की गलत रिपोर्ट करने वाले पटवारियों को किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं दिया गया ।

मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि अकाल घोषित एरिया है उसमें सरकार सहायता देती है, एक काश्तकार को ५०) रु० सहायता देती है, पर सरकार के सहायता देने के नियम ऐसे बने हुए हैं कि जब तक उस काश्तकार के १००) रु० खर्च नहीं हो जाते तब तक ५०) रु० उसे मिलते नहीं हैं । गांव और तहसील के बीच में उसे ५० चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी सरपंच को तस्दीक करानी पड़ती है और कभी उसे पटवारी की तस्दीक कराने के लिये कहा जाता है, कभी कहते हैं कल आना; इस तरह उसे ५० चक्कर कटवाये जाते हैं । इस सबका दोष सरकार पर है । जो सरकार इस जिम्मेदारी को नहीं निभा

(श्री लादूराम सुलाणिया)

सकती उस सरकार के लिये बार बार कहना पड़ेगा कि उसका ढांचा ढीला है, वह सरकार कमजोर सरकार है। इस पर भी कोई माननीय सदस्य चाहें कि सरकार पर ये आरोप मत लगाओ तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी व्यवस्था को सुधारिये, अपने ढांचे को मजबूत बनाइये फिर भी अगर अपने ढांचे को मजबूत नहीं कर सकते तो जहां अकाल घोषित हो वहां के काश्तकारों को मनीऑर्डर करके रुपये भेजिये। पर आप रिलीफ के नाम पर काश्तकारों को परेशान क्यों करते हैं? रिलीफ स्वीकार हो जाने के बाद की जो आपत्तियां रुपया लेने में काश्तकार को आती हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा सकती तो कौन निभायेगा? आपको रास्ता मालूम नहीं हो तो इसका रास्ता हम बताने के लिये तैयार हैं, विरोधी दल वाले हमेशा रास्ता सिखाने के लिये तैयार हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : पहले तो नेता को सिखाओ रास्ता।

श्री लादूराम सुलाणिया : सदन के सामने २८ लाख रुपया बांटने का सवाल है। सरकार पैसा किसी को दे दे, हम विरोध नहीं करते कि नहीं दे, पर हमारा विरोध यह है कि २८ लाख में से १४ लाख रुपया भी जनता को नहीं मिलेगा, काश्तकारों को नहीं मिलेगा। चाहे कांग्रेस के काश्तकार को दो या जनसंघ के काश्तकार को दो. किसी भी काश्तकार को दो, वे राजस्थान की जनता हैं, उनको रुपया मिलना चाहिये। जिनके यहां अकाल है उनको दे दिया जाय। पर हम सरकार के नियमों से और सरकार का जो ढांचा आज बना हुआ है उसको अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं यह कह सकता हूँ कि २८ लाख में से १४ लाख भी काश्तकारों को नहीं मिलेंगे यह यहां पास करेंगे पर सही ढंग से यह सारा पैसा उन इलाकों के काश्तकारों को मिलना चाहिये, जहां पर कि अकाल घोषित किया गया है और इसका फायदा उनको किस प्रकार से मिलेगा, इस चीज को यहां कहना हमारा फर्ज है, इस काम को सतर्कता से पूरा करना हमारी ड्यूटी है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहना चाहूँगा कि रिलीफ की इतनी बड़ी रकम गांवों में बांटेंगे...

डॉ० बहादुरसिंह : बांट चुके हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : देंगे तो अब?

श्री उपाध्यक्ष : Yes, yes. आरम्भ रखिये।

श्री लादूराम सुलाणिया : राजस्थान के जिलों में से जयपुर जिला ऐसा है, मिनिस्टर जाकर देख लें, जितना अकाल जयपुर जिले में है, उतना और कहीं नहीं है....

डॉ० बहादुरसिंह : जैसलमेर से भी ज्यादा अकाल जयपुर में है?

श्री लादूराम सुलाणिया : जयपुर से ४० मील दूर चल कर देखिये, वहां लोगों के पीने के लिये भी पानी नहीं है, सौ-सौ फीट नीचे भी पानी नहीं है। ऐसे इलाकों के लिये सरकार कभी भूले-भटके आश्वासन दे देती है कि बोरिंग करके यह सुविधा देंगे, तो यह आश्वासन सदन तक ही रह जाता है, कभी बाहर निकलता है तो अखबारों में छप

(श्री लादूराम सुलाणिया)

कर रह जाता है। तो यह तरीका अच्छा नहीं कि आश्वासन सदन में ही रह जाय, सदन से बाहर निकल कर अखबारों में छप जाय और पुलिंदों में बन्द होकर अलमारियों मे बन्द हो जाय। हम चाहते हैं कि जिनके यहां पीने के लिये पानी नहीं है उन लोगों को सरकार पीने को पानी दे, जिनको रोजगार नहीं मिलता उनको रोजगार दे, जिनको खाने को खाना, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता उनको सरकार खाना दे, रोजगार दे। सरकार इन लोगों के आंकड़े तैयार करे कि कितने लोग राजस्थान में भूखे सोते हैं, कितने भूख से तड़प कर सोते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : तड़प कर सोते हैं ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सोते हैं, पर नींद नहीं आती है।

श्री लादूराम सुलाणिया : सरकार का रवैया देख कर वे भूखे लोग बेहोश हो जाते हैं और उनकी आंखें बेहोशी में भी टिमटिमती हैं, वे सरकार की तरफ देखती हैं कि वह हमारी नौकरी का, खाने का, इन्तजाम करे पर, वे जानते हैं कि सरकार कभी इन्तजाम नहीं करेगी। यदि किसी डेढ़ मन बोझा उठाने वाले पर तीन मन का वजन रख दिया जाय तो वह गिर जायगा, गांठ के वजन के नीचे वह खुद दब जायगा। इस सरकार का भी ढांचा इसी प्रकार का है, इससे चला नहीं जाता, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग दुहाइयां करते हैं; गांव गांव में, गली गली में सरकार के मन्त्री आकर देखें कि जनता कितनी बेचैन है, लोग दुखी हैं और कलेक्टरों के दरवाजे पर ठोकरें खाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह भी दुर्भिक्ष में है क्या ?

श्री लादूराम सुलाणिया : वे कलेक्टर के दफ्तर में आकर कहते हैं कि हमारे यहां अकाल की सहायता नहीं मिलती हैं, कोई कहता है बिल पास नहीं हुआ, कोई कहता है बिल पास हो गया पर कैंसिल हो गया। कैंसिल इसलिये हो गया कि टेलीफोन आया था इसलिये कैंसिल हो गया। सरकार की यह अव्यवस्था है, उसको मिटाने के लिये हम मन्त्री महोदय से भी कहेंगे। जितने लोग पीड़ित हैं उनके लिये एक गुप्त कमेटी बैठायें, वह कमेटी सच्ची जांच करके लाये और मैं तो यह भी कहूँगा कि यदि सरकार में ईमानदारी हो तो विरोधी दल का उस कमेटी का चेयरमैन हो।

एक माननीय सदस्य : आपको ही चेयरमैन बना दिया जाय।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसके लिये कहा गया है कि :

निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय।
बिन पानी साबुन के, सारो मैल धुपाय॥

डॉ० बहादुरसिंह : आप हमारे नियरर ही हैं।

(३.०० म० प०)

श्री लादूराम सुलाणिया : राज्य सरकार को चाहिये कि अगर वह कार्य करना चाहती है और ईमादारी रखती है तो हम रास्ता बतावेंगे उस रास्ते पर चलें। जैसा एक माननीय सदस्यकह रहे थे कि वहां से कांग्रेस ही आवेगी। लेकिन मैं यह कहूँगा कि इस बात

(श्री लादूराम सुलाणियां)

का दावा करना ठीक नहीं है। यह दावा करना न आपके लिये उचित है न हमारे लिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात पर मत बहिये, आप मुद्दे पर आ जावें।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ।

एक माननीय सदस्य : इनको तो टिकट ही नहीं मिला है।

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय सदस्य इस बात की हामी न भरें कि वे ही आवेंगे और हम भी नहीं भरते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : आप दंभ भर ही नहीं सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मांग पर आवें।

श्री लादूराम सुलाणिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुर्भिक्ष पर बताता था कि लोगों को किस प्रकार की सहायता मिलती है इसलिये जो सहायता मिलने के नियम हैं उन नियमों में परिवर्तन होना चाहिये। उनको सस्तेपन से रिलीफ मिल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

जैसा अभी हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने बताया था कि कम्बल बांटने और घास बांटने के बारे में प्रबन्ध किया गया, लेकिन इनकी भी व्यवस्था ठीक तरह से नहीं हो सकती है। हमने लाखों रुपयों के कम्बल भी बांटे, लेकिन वे कम्बल उन लोगों को नहीं मिलते जिनका नुकसान हुआ है या जिनको जरूरत है कम्बलों की, यानी जो लोग कम्बल लेने के लायक हैं उनको कम्बल नहीं मिलते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इसके आंकड़े इकठ्ठे कर लें कि सारे राजस्थान में कितने दुर्भिक्ष ग्रस्त लोग हैं, उनको पूरी सहायता दी या नहीं, तो आपको बड़े दुख के साथ मंजूर करना होगा कि जितने लोगों को सहायता मिलनी चाहिये नहीं मिली। आपको मालूम होगा कि उनमें से दो पर्सेन्ट हो सकता है। ५० पर्सेन्ट लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत न होते हुए मिला होगा। गरीबों को दो धक्के अधिक लगाये जाते हैं इसलिये उनके लिये कमेटी बैठाई जावे और आयन्दा अकालग्रस्त लोग हैं उनकी जांच करने के लिये एक कमेटी बैठाई जावे, उसमें एम. एल. एज. भी हों और कांग्रेस के और दूसरे लोग भी हों।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कमेटी के लिये कहा था।

श्री लादूराम सुलाणिया : वह इसमें शामिल करना है। मैं यह नहीं कहूँगा कि पटवारी इलाके में रहे ही नहीं, पटवारी सदस्य हो सकता है। इसका चैयरमैन कलेक्टर होना चाहिये। तहसीलदार या पटवारी नहीं होना चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर : हर एक गांव के लिये कमेटी हो?

श्री लादूराम सुलाणिया : जिन लोगों को सहायता मिले उनको आसानी से मिले। इन शब्दों के साथ मैं श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह कट मोशन सदन के सामने रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख का विषय है कि सदन के अन्दर अकाल जैसी समस्या पर भी भाषण सुनें, उसके अन्दर हजारों लोगों को जो एक दैवी प्रकोप के शिकार होते हैं राजस्थान में इस दैवी प्रकोप के लिये जो सरकार अपने सीमित साधनों में कर पाती है उसके प्रति जिस तरह से यहां सदन में कहा गया है उससे ऐसा लगता है कि कि लोग, और विशेष कर विरोधी पक्ष के लोग दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति के बजाय उनके इस दुख की मखोल उड़ा रहे हैं।

(विराम)

मैं बड़े अदब के साथ उन लोगों से कहूंगा कि वे इन बातों पर संयम और संजीदगी से विचार करें।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): यह तो सीखा ही नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : असल में बात यह है कि कहर कोई नई बात नहीं है और न यह किसी सरकार के या दुनिया के बसने वालों के हाथ में है कि कहर कहां से आता है, यह तो दैवी प्रकोप है। यह आज से नहीं, लेकिन पुराने इतिहास को देखा जावे तो मालूम होगा कि बहुत अर्से से चला आता है। जो इससे दुखी भाई हैं उनके लिये इस प्रकार कहना मैं समझता हूं कि हलके ढंग से कोई भी विचार नहीं करते हैं।

मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज से १४ या १५ वर्ष पहले बंगाल में अकाल पड़ा था, आजादी से पहले। उस समय अंग्रेजों का जमाना था; अबके शासन वर्ग के लोगों का नहीं और कभी कभी सदन में यह भी कहना पड़ता है कि आपके लिये चर्चिल को दुबारा नहीं बुलाया जा सकता। क्या हुआ ? यह हुआ कि आदमी घरों के बाहर भूख से तड़प तड़प कर मर गये और उनको कुत्ते भी खाने वाले नहीं मिले। उस एरिया को घेर लिया गया और अखबार वालों को वहां जाने नहीं दिया और उस अकाल में लोगों को खाने को नाज नहीं मिला। सही तौर से वे लोग भूख से मरे, उस समय कोई जनतन्त्र नहीं था। उस समय कोई पार्टी नहीं आई थी। उस वक्त जनसंघ नहीं आया, उस वक्त अंग्रेजों को चैलेंज किया था तो कांग्रेस ने किया। उस समय अंग्रेजों की हकूमत थी, उसमें भी कांग्रेस ने आवाज उठाई कि अंग्रेज भारत छोड़ो। उस समय उनके खिलाफ आवाज उठाने वाली कांग्रेस थी। आज १४ वर्ष बाद हम दावे के साथ और फक्र से कह सकते हैं कि आज देश में पैसा अमेरिका और दूसरी जगह से भी आता है, वह योजना में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि सन् १९४९ के बाद राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में इस प्रकार का दैवी प्रकोप हुआ और सरकार ने प्रबन्ध किया। सन् ५६ के अकाल में सैकड़ों आदमी शिकार बन गये। इस प्रकार से बराबर दैवी प्रकोप समय समय पर इतिहास में आते हुए मिलते हैं। राजस्थान में हमें मानना होगा कि अकाल एक दैवी प्रकोप है और यहां यह एक रेगुलर फीचर है जो ५ या ६ वर्षों में एक दफे पड़ता ही रहता है। अब हम आपके असंतोष को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

समझ सकते हैं और सरकार के भी असंतोष को समझना चाहिए। मैं यह कहूँगा कि जितने असंतोष की बात कही गई वह सही हो सकती है। इसके लिए मैं दावा नहीं कर सकता कि दुख के साथ असंतोष हो। मगर आप वहां जाते हैं और वहां दुःख की बातें करते हैं। आपको चाहिए कि सरकार के निश्चित साधन हैं सरकार के उन साधनों में गलती हो रही हो तो उस चीज को सरकार के सामने लावें और जो अधिकारी हैं उनके सामने लावें और सुधारने की कोशिश करें। लेकिन आप अपना दृष्टिकोण लेकर जैसलमेर जावें या भगवान के घर जावें, आप वहां पर कटे हुए पर नमक डालने जाते हैं. उनकी जलती हुई चिताओं में आप अपनी रोटियें सेकना चाहते हैं तो वह इन्सानियत से दूर है। मैं जनसंघ के नेता से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा तख्मीना रखने की कोशिश की है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप वहां पर ५ या ६ रोज रहे, आपने उनको किसी प्रकार की सान्त्वना देने की बात कही ? हमारी सरकार के पास सीमित साधन हैं और हमारी सरकार के साधन नहीं कि इतने बड़े दैवी प्रकोप का मुकाबला कर सकें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि मैंने वहां संतोष और सान्त्वना के शब्द ही नहीं कहे, लेकिन पैसा भी इकट्ठा करके भेजा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप पैसा इकट्ठा करके भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपने वहां पर असंतोष को भड़काने की बात कही या वहां के लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमारे साधन निश्चित रूप से ऐसे हैं और हम बराबर १४ साल से लोगों की जान बचाने की ओर जा रहे हैं, मगर इनको यह तकलीफ है। ये सारी बातें हम सरकार की निगाहों में लावेंगे। यह जनसंघ का प्रश्न नहीं, न यह कांग्रेस का प्रश्न है।

जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने दावा किया है, तब भी चुप बैठे हैं, इन्कार नहीं कर सकते। सदन के सामने यह मान लिया कि उन्होंने जनता को भड़काने के लिए ये शब्द काम में लिए। यह एक दुःख का विषय है और जितने सम्माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने उद्‌गार जाहिर किए हैं, दैवी प्रकोप के कारण जो जनता को दिक्कत हुई है, उनको सरकार नोट करेगी और उन चीजों में कहां तक सच्चाई है इसको देखेगी, क्योंकि यह केवल सेन्टीमेंट्स का सवाल नहीं है। राजस्थान में हमेशा इस प्रकार से लोगों को सामना करना पड़ता है। हमारी पंचवर्षीय योजना हो, हमारे इन्डस्ट्रियल प्रोग्राम्स हों, हम मानते हैं कि आज हमको उनकी काफी जरूरत है, लेकिन मैं सरकार से जोर देकर अपील करूंगा कि जब इस प्रकार के दैवी प्रकोप राजस्थान में आते हैं तो उनके लिए पहले व्यवस्था करें। दैवी प्रकोप जब इस प्रकार से आते हैं, बड़े बड़े तूफान उठते हैं, पेड़ उखड़ गये हों उस प्रकार से फेमिलीज की फेमलीज अपने बच्चों को गोद में लिये तूफान के साथ चलते हैं, जमी हुई फेमिलीज उखड़ उखड़ कर चली जा रही हैं हवा के साथ, तो इस प्रकार की बातों को देखना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में रचनात्मक सुन्दर व्यवस्था, एक निश्चित् व्यवस्था बननी चाहिये जिससे अकाल का सामना कर सकें,

(श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा)

हम हमारे पूरे साधनों से इस प्रकार के अकाल और दैवी प्रकोपों का सामना कर सकें। लेकिन साथ साथ विरोधियों को भी यह समझना चाहिए कि जो हमारे सीमित साधन हैं और जिस प्रकार के दैवी प्रकोप आते हैं, निश्चित रूप से हमारे पास लिमिटेशन्स हैं, हम उनसे अधिक नहीं बढ़ सकते। हम तुमसे ज्यादा देखते हैं, तुमसे हम पर ज्यादा दुख आता है, अंग्रेजों के समय में भी वे मदद नहीं करते थे लेकिन हम घर घर जाकर मांग मांग कर कपड़ा और खाना पहुंचाते थे, हम जार जार हो जाते थे। जितना सरकार कर सकती थी, कर रही होगी, जिस तरह की आज डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसको देखते हुए सरकार की ओर से पूरी कोशिश की गई होगी। पूरी से, मैं नहीं मानता कि सब को संतोष दिला सकती। असंतोष की बात आप करें, उसको सुनना चाहिए। जिम्मेदार हुकूमत सीमित साधनों में जिम्मेदारी के साथ ऐसी चीजों का सामना करती है। हो सकता है कि उनमें बहुत सी गलतियां भी हो जांय, उनकी ओर इशारा करें तो इस रूप में करना चाहिए कि जिससे इस प्रकार के देवी प्रकोपों से जनता को बचाने के लिए सही तरीके से रिलीफ पहुंचाया जा सके और तैयारी के साथ पहुंचाया जा सके।

एक सम्माननीय सदस्य कह रहे थे, वहां ५ लाख रुपया दिया और यहां इतना कम। उनके पास कोई गवर्नमेन्ट मशीनरी नहीं, कागज नहीं. वे कहते हैं कि जैसलमेर से हमारे यहां अकाल अधिक पड़ा। हो सकता है कि एक गांव में मकान के मकान ढह गये हों। लेकिन सरकार के पास सही खबरें आती हैं, उनके पास मशीनरी हैं; लम्बरदार, पटेलों की, चाहे आप बुराई करें लेकिन सही रूप में वे सरकार को लिखते हैं कि किन किन गांवों में इस प्रकार से नुकसान हुआ है और उस गांव की खबर निश्चित रूप से एक तखमीने के रूप में सरकार के पास आती है और सरकार को इस प्रकार की ऑथोराइज्ड रिपोर्ट पर फैसला करना पड़ता है और उन फैसलों में मुमकिन हो सकता है कि कहीं कुछ गलतियां हो जायं, मैं केवल गलतियों की बात नहीं करता कोई भी सदस्य हो, कितने ही उनके पास साधन हों, उनके पास इस प्रकार की मशीनरी नहीं है जैसी कि सरकार के पास है। सरकार सीमित साधनों को देखते हुए इन्तजाम की व्यवस्था कर सकें और यह अन्दाज और तखमीना लगा सके कि फलां जगह फलां जरूरत है और उनकी पूरा करने के लिए सीमित साधनों को देख कर कि किन गांवों को पहले लेना है पड़ोस वालों को भी देखते हैं, यदि पूरे साधन हों तो वहां भी पहुंच सकते हैं,--इस प्रकार से वे व्यवस्था करते हैं। ये आंकड़े सरकार के सामने आते हैं सरकार को सीमित साधनों में कोशिश करनी पड़ती है। कहीं दैवी प्रकोप ज्यादा है तो उस हालत में भी सीमित साधनों को देखते हुए रिलीफ पहुंचाना होता है। मैं यह कह सकता हूं कि कहते हैं कि पचास क्यों मिले, और मांगना क्यों पड़ा। कोई आदमी पंडे, पुजरी और पैसे वाला कोई भी चला जाय, थैली लेकर बांटता चले और मिनिस्टर साहब से कहे कि ३ लाख बांट आया। अगर इस तरह सरकार का पैसा हो और बांट दिया जाय तो आप ही कहेंगे कि उसको क्यों नहीं जेल भेज दिया जाय। मिनिस्टर साहब भी दूर नहीं कर सकते। सबूत नहीं है। मुमकिन है ऐसा आ जाय राज्य, डिक्टेटर बन जाओ

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तुम अयूब खां आकर। सुबूत हो तो केस चलाने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में व्यवस्था की बात बार बार करना कहां तक उचित है, यह तो सीमित साधनों को देख कर सोचना होगा। सदन को इस बारे में जरूर बताया जाना चाहिये कि इस प्रकार के दैवी प्रकोप के लिए क्या सोचा गया है जिससे निश्चित व्यवस्था हो सके, क्योंकि यह केलेमिटी हर साल आती है। यू. पी. में इस बात का सवाल आता है तो वहां पर विशेष रूप से ध्यान देकर एक पक्की योजना बनाई जाती है और उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां योजनाओं की ओर ध्यान नहीं है। राजस्थान नहर है क्या फिर? अकाल और दैवी प्रकोप से बचाने के लिए यह सब आयोजन है। जब दस साल में यह होने वाली है तो जिस प्रकार से एक-दो साल में राजस्थान को अकाल और दैवी प्रकोप से सामना करना पड़ता है सरकार सरकार को आश्वासन देना चाहिए। इस प्रकार से उसके लिए सोच रहे हैं पार्टीबाजी के साधनों पर सरकार के साधन न हो जांय। यदि भैरोंसिंहजी भी उनकी जगह बैठ जांय तो भी ताल-मेल नहीं बैठेगा। एक जिम्मेदार आदमी बात कह सकता है उस तरह होना चाहिए। एक बात कहने की होती है और दूसरी बात हंसी में उड़ाने की भी होती है। वे हंसी में उड़ाते हैं। करने को मौका नहीं देते। यह मुल्ला बने हुए हैं कि हम ही सब कुछ कहने वाले हैं। सत्यता से चलना चाहिए। आपकी तकरीर का वह हिस्सा पसंद नहीं आया, बोलने का इरादा नहीं था; कहा कि मुसलमानों की बस्ती में सरकार ध्यान नहीं देती। तुमने यह माना कि हिन्दू है वहां झगड़ा नहीं रहा। तुम्हारी भाषा का यह मतलब लगायें कि हिन्दुओं के गांव में अकाल पड़े तो दामोदरजी ने कमाल किया और और सबको संतुष्ट कर दिया?

आं तो यह प्रिजम्प्शन ठीक है। सिर्फ इतना टुकड़ा कि मुसलमानों को मेम्बर बनाने की बात मान लो वह भी एक आक्षेप से बचने के लिये, ताकि आपकी पार्टी को कम्युनल न कह सकें। मजबूर होकर कागजों पर आपने मुसलमानों को अपनी पार्टी का मेम्बर बनाया है। आज आपकी संस्था के मुसलमान भी मेम्बर हैं और हो सकते हैं। इस वजह से एक को जहां रिप्रजेन्टेशन करते है तो जनाब आप चाहते क्या हैं? जैसे नया मुल्ला होता है वह जोर जोर से बांग मारता है, इसी तरह से आपका फरमाना है कि वहां पर मुसलमानों की बस्ती है इसलिये कांग्रेस ने इस तरह का व्यवहार किया है, मैं समझता हूँ यह जनता को भड़काने की बात है।

एक बात और माननीय सदस्य ने कही वह कहां तक सही है, यह मैं नहीं कहता। यह कहा गया कि वहां पल्लीवालों के मकान है उनके मकानों पर बहुत सुन्दर कारीगरी की हुई है उनको सुरक्षित मोन्युमेन्ट डिक्लेयर किया जाय तो लोग टोंक नहीं जावें और वहां देखने के लिये जावें। टोंक का नाम दामोदरजी की वजह से लिया है....

श्री भैरोंसिंह : दामोदरजी मोन्युमेन्ट हैं टोंक के?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं नहीं समझता कि दामोदरजी में ऐसी क्या खूबसूरती है जो उनको मोन्युमेन्ट में डिक्लेयर किया जाय, उनमें क्या खूबसूरती नजर आ रही है? ऐसे सजेशन्स

(श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा)

से क्या होने वाला है।

मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जहां तक लोगों को अकाल से बचाना है वहां हमारे माननीय सदस्य का जो भाषण हुआ वह उनके दुख-दर्दों को प्रगट करने वाला नहीं, यह तो उन्होने उनके दुखों की मखौल की थी, अगर उनके भाषण को अच्छी तरह से देखा जाय तो यही प्रतीत होगा। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मसले को नोन पोलिटिकल ढंग से सोचना चाहिये, इन्सानियत के तरीके से सोचना चाहिये। आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि जहां पर इस प्रकार के अकाल आयें उनके लिये हमारे पास काफी साधन होने चाहिये। मैं यह भी मानता हूँ कि यदि इकोनोमिक सोर्सेज की कमी मालूम होती हो तो मैं विरोधियों की तरफ से भी सरकार को यह विश्वास दिलाता हूँ कि उनको भी इस प्रकार के कार्य के लिये किसी भी प्रकार से कितनी भी रकम देने में कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, राज्य सरकार के पास जो साधनों के आधार पर जितनी भी सहायता इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये सरकार निश्चित करेगी वह हम स्वीकार करेंगे। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I move that the question be put now.

श्री उपाध्यक्ष : Are you moving a ctosure ?

श्री भैरोंसिंह : Yes, Sir.

मैं निवेदन यह कर रहा था कि आज हमें तीन डिमान्ड्स पास करनी हैं; एक फेमीन, दूसरी सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय, तीसरी राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम, इन तीनों पर हमें बहस करनी है। इस समय एक ही डिमान्ड पर १॥ बज चुके हैं, मैं समझता हूँ बाकी मांगों के लिये टाइम रहा नहीं इसलिये माननीय मंत्री महोदय जवाब दे दें, उसके बाद बाकी की डिमान्ड्स ले ली जायं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : आपकी छोटी सी पार्टी के पांच-छ : सदस्य बोल लिये और आपने क्लोजर मूव कर दिया, दूसरे भी बोलना चाहेंगे।

श्री रामचन्द्र (डग-मु०) : आपकी पार्टी ने इतना समय ले लिया....

श्री मोतीलाल : बेकार ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष : I think, I shall have to accommodate one or two members more.

श्री चन्दनमल वैद : It is strange that this is coming from the opposition.

श्री भैरोंसिंह : Then there will be no time for the other demands.

श्री उपाध्यक्ष : We proceed with the debate to accommodate one or two more members.

श्री भैरोंसिंह : It is a recommendation of the Business Advisory Committee that three demands are to be discussed, and it should be complied by the House. We have to speak on two other demands also.

श्री उपाध्यक्ष : I will have to accommodate.

श्री भैरोंसिंह : It means that for the rest of the demands guillotine will be applied.

श्री उपाध्यक्ष : We shall see.

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मांग संख्या ५४ पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं विरोध इसलिये नहीं करता कि जो बताया, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, गलत हो, यह बात नहीं, वह बिल्कुल सही है, राजस्थान में दुर्भिक्ष पड़ता है और उससे लोगों को बहुत कष्ट होता है. उन दुर्भिक्ष पीड़ितों के साथ यह तमाम हाउस सहानुभूति प्रगट करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दुर्भिक्ष से पीड़ित लोगों का जो चित्र आज सदन के सामने रखा उसमें उन्होंने केवल अपनी एक आंख का प्रयोग किया और रखा, अगर वे दूसरी आंख का भी प्रयोग कर लेते तो मैं समझता हूं आपको इस प्रकार से यहां कहने का साहस ही नहीं होता। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आपने जाकर जैसलमेर के इलाके में वहां के लोगों की हालत देखी, आपने कोटा डिवीजन, उदयपुर डिविजन में जाकर देखा है जहां हजारों लोग जो दुर्भिक्ष से पीड़ित हालत में अपने पशुओं को लेकर आते हैं वहां के लोग किस प्रकार से उनकी सहायता कर रहे हैं? वहां जाकर आप यदि देखें तो आपको पता चलेगा कि राज्य सरकार के अधिकारी, वहां के स्थानीय लोग और अन्य संस्थाएं किस ढंग से उन लोगों की सहायता कर रही हैं, आप झालावाड़ जिले में जाइये कोटा जिले में जाइये जहां पर कि इन लोगों ने शरण ले रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में जब यह मालूम हुआ कि जैसलमेर और अन्य दुर्भिक्ष पीड़ित इलाके के लोग वहां आ रहे हैं तो वहां के राज्य अधिकारी, वहां के कलेक्टर वहां की समितियां, वहां की जनता ने उन लोगों की पूरी तौर से मदद की है और जहां तक हो सका है रिलीफ देने का प्रयत्न किया है। मैं विश्वास के साथ जानता हूं कि कलेक्टर महोदय का यह डेली प्रोग्राम था ऑफिस से छूटने के बाद हमेशा जीप में बैठकर उस एरिया का चक्कर लगाते थे, उन लोगों से बातें करके जिस तरह की आवश्यकता होती थी उसी प्रकार के आदेश देते थे। इसके अलावा जब कभी हमारे पॉवर मिनिस्टर साहब झालावाड़ पधारते थे, कभी ऐसा मौका नहीं हुआ जब कि इन्होंने उन लोगों के बीच जाकर उनसे राहत के कार्यों के बारे में बातचीत न की हो। मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार ने दुर्भिक्ष पीड़ितों के वास्ते जो भी राहत वह दे सकती है उसमें किसी प्रकार भी कसर उठा नहीं रखी है। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार राज्य के विकास के वास्ते, राजस्थान के लोगों की

(श्री रामचन्द्र)

बहबूदी वास्ते, जो रकम खर्च करती है, वह देखा जाय तो असल में हमारे यहां जो दुर्भिक्ष पड़ता है उसको रोकने के लिये ही खर्च हो रहा है; जैसे इर्रिगेशन की योजनायें, एनीमल हस्बेंड्री आदि में जो भी रुपया खर्च हो रहा है वह ऐसे लोगों की सहायता के लिये ही हो रहा है। कोटा डिविजन, जिसको एक अच्छा जिला कह सकते हैं, वहां दुर्भिक्ष का मौका कम आता है। उस क्षेत्र की जनता के लिये जितना रुपया खर्च करते हैं अगर हम पपुलेशन के हिसाब से विचार करें तो दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों के लिये जहां प्रति व्यक्ति ३ रुपया खर्च है वहां कोटा आदि इधर के लोगों पर एक रुपया प्रति व्यक्ति हम खर्च कर रहे हैं। यह कहने से मेरा मतलब यह नहीं कि वहां आप ज्यादा खर्च न करें। जहां ज्यादा आवश्यकता हो, वहां ज्यादा खर्च होना चाहिये। राजस्थान केनाल पर हम करोड़ों रुपया व्यय कर रहे हैं, यह भी तो दुर्भिक्ष को मिटाने के लिये ही है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार जिस जिले में भी दुर्भिक्ष आता है, मुसीबत आती है उसको दूर करने के लिये किसी से पीछे नहीं है।

मैं साथ ही साथ अपने अनुभव के आधार पर राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के मौके जब कि एक दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्र के लोगों के सामने आते हैं तो कोटा-झालावाड़ के लोगों के लिये मैं निवेदन करूं सरकार से कि वहां कई ऐसे बीड़ पड़े हैं जिनको सरकार प्रतिवर्ष ठेके पर उठा देती है। मैं उनके लिये कहता हूँ कि उनमें से अकाल पीड़ित परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये पांच पच्चीस बीड़ जंगलात विभाग को संभलायें जो उनको काट कर उनको एक जगह स्टोर करें। सरकार को साल के मध्य में फरवरी के महीने तक मालूम हो जावे कि किस भाग में कहीं दुर्भिक्ष नहीं है। अगर कहीं हो तो उस घास को उस क्षेत्र में बिकवा देना चाहिये। तो सरकार को इस योजना को अमल में लाने से दो फायदे होंगे। दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों को सहायता मिलेगी और घास से वहां के लोगों को राहत मिलेगी। अगर कहीं दुर्भिक्ष न हो तो उसे पंचायत समितियों को दे दिया जावे ताकि उनको मुनाफा हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Honble Minister will please make a reply.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कट मोशन श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस डिमान्ड पर रखा है और जिस प्रकार वे इस कट मोशन के पक्ष में बोले हैं उससे उन्होंने अपने आपको यह साबित करने की कोशिश की है कि वे अकाल के मामले को राजनैतिक दृष्टि से देखते हैं, जब कि उनका कथन यह रहा कि अकाल के मामले को राजनैतिक दृष्टि से वह नहीं देखते और केवल वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य के सारे भाषण से उनके दिल और दिमाग में जो सारी बातें चल रही थी उनका पूरा नतीजा निकल गया।

मैं कई बार सदन में निवेदन कर चुका हूँ कि जहां अकाल हो, जो अकालग्रस्त लोग हैं, उनकी स्थिति को इस दृष्टि से कभी नहीं सोचना चाहिये कि यह जनसंघ का सपोर्टर है, या चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उनका

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सपोर्ट किस तरह लिया जावे, इस दृष्टि से इसे कभी एक हथियार नहीं बनाना चाहिये, यह मैंने कई बार कहा है। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भीमावोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस अपने रवैये को तब्दील नहीं किया और बार बार जैसा उनका अपना कहने का तरीका है जैसलमेर को लेकर बातें बतला गये। बतलाते हुए कह गये कि वहां अकाल सहायता का कोई काम नहीं हुआ और यह बताने की कोशिश की है कि वास्तव में राजस्थान में जितने अकाल पड़ते हैं सरकार की तरफ से वहां कोई काम होता ही नहीं है। वे अपने ख्याल से खुद अपना आंकड़ा भूल गये और उनके अधिकार में जितनी बात है उतनी बात न कह कर बहुत अधिक बातें कह गये। ठीक है। उनके कहने का मतलब सब समझते हैं। हम सब जानते हैं कि किस बात को किस मकसद से किस प्रचार की दृष्टि से कहते हैं। परन्तु यह ठीक है कि जितनी बातें उन्होंने बतलाई हैं उनमें कई बातें ऐसी हैं कि जिनमें सरकार की भी गलती रही हो, अगर सरकार की कमी रही है तो मैं तुरन्त उसको स्वीकार करूंगा इसमें दो रायें नहीं हैं। पर जहां बिल्कुल वास्तविकता के खिलाफ बातें कहते हैं तो बहरहाल मुझे भी यह बात रखनी पड़ेगी कि वहां अकाल के दिनों में सरकार ने कितने काम किये हैं।

जहां तक जैसलमेर का प्रश्न है मैं अर्ज कर देता हूँ कि माननीय सदस्य अकाल के दिनों में उधर कभी नहीं गये। वे अब गये हैं जब फ्लड वहां आया है और आने के बाद वे पहुंचे हैं वहां। इसके पहले नहीं गये और फिर यह बताने की भी कोशिश की है कि मैं तो वहां गया ही नहीं। उनको मालूम नहीं है कि मैंने अकाल के दिनों में उधर का दौरा किया है। तहसीलों और गांवों का भी दौरा किया है। मैंने वहां काफी जानकारी की है और जितनी आवश्यकता वहां सहायता की हुई दी है और इसके लिये मौके के मौके हर फैसले किये हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेरे साथ थे और हमारे मुख्यमन्त्रीजी भी वहां गये हैं। वहां कोई अकाल सहायता नहीं की, यह उनका कहना बिल्कुल गलत है और उनकी जानकारी में या तो बात है नहीं या जिस दृष्टिकोण से वे बातें कहते हैं उस दृष्टि से कह देते हैं कि गये नहीं।

जहां तक अकाल सहायता का सम्बन्ध है मैं अर्ज करूंगा, जैसलमेर में पिछले साल में क्या किया। यह मैंने सदन में भी बतलाया था और साथ ही यह भी बतलाया था कि वहां हमारी बहुत सी दिक्कतें भी हैं और वे ऐसी हैं जो वहां के इलाके को देखते हुए अनिवार्य हैं। एक तो वह ऐसा इलाका है जहां पीने के लिये पानी की दिक्कत है, फोडर की दिक्कत भी आ सकती है। यह भी कहा गया कि फोडर का इन्तजाम किया। इस बात से तो वे मना नहीं कर सकते थे। वास्तव में जितनी फोडर की उनको आवश्यकता थी सरकार ने दिया है। बल्कि इतना दिया कि बाज-वक्त खरीदने वाले नहीं मिले। इसके अन्दर सरप्लस रहे, और भी जितनी जरूरत होती तो भेज सकते थे। सप्लाई का जहां तक सम्बन्ध है, घास की सप्लाई कम नहीं रही। खरीद नहीं सके वे, या यह कि खरीदने की आवश्यकता नहीं रही तो यह दूसरी बात है। इसके लिये यह कहना

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि पशु केवल इसी ही वजह से तड़प कर मर गये, यह कहना बिलकुल गलत है और अकाल में बराबर घास-पानी का इन्तजाम किया गया। अब माननीय सदस्य ने यह कहा कि तकावी का एक पैसा भी नहीं दिया....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह नहीं कहा।

श्री दामोदरलाल व्यास : घास की तकावी के लिये एक पैसा नहीं दिया, यह कहा है।

श्री भैरोंसिंह : जी, यह कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपकी जानकारी के लिये कहूंगा कि यह आपने गलत कहा है। सिर से पैर तक गलत है यहां घास के डिपोज खोले गये और इसके साथ साथ ४४ हजार रुपये इस बात के लिये भेजे कि घास की तकावी दी जावे और चुनांचे सारे रुपये तकावी में वितरित हो गये। यह बात नहीं कि नहीं हुआ। कोई रकम कलेक्टर ने सरेन्डर नहीं की। वे कहते हैं, तकावी के लिये पैसा नहीं दिया, राहत कार्य तो जैसलमेर में था ही नहीं, होगा तो कहीं जमीन के अन्दर होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उनके बोलने के तौर-तरीके ऐसे हैं कि केवल अपने चुनाव और अपनी पार्टी की दृष्टि से वे दुनियां की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। कहते हैं, वहां अकाल में राहत-कार्य नहीं किया। मैं बताऊं वहां राहत कार्य कितना किया गया है और कितनी लेबर एन्गेज की गई है। मैं अर्ज करता हूं, जो स्टेटमेन्ट मैं दूंगा उसको गलत साबित करने को कोशिश करें तो वह भी कर देखें।

श्री अर्जुनदास : (अजमेर-पश्चिम) : Challenge without any results? There should be counterpart of the challenge also.

अगर साबित कर दें तो क्या होगा? काउन्टर पार्ट आपने बताया नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : It will be known, then as to who speaks lies in the House.

श्री अर्जुनदास : इसका मतलब यह है कि कहने के लिये चैलेन्ज है, आपका चैलन्ज नहीं है। How can there be a challenge without its counterpart?

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसलमेर में १२ तालाब, ५० नाडियां टोटल ६२ काम हुए हैं और ६०,६०७ आदमी उनकी मजदूरी पर आये हैं। माननीय सदस्य कहते हैं, राहत कार्य कहीं जमीन के नीचे हुआ होगा।

श्री भैरोंसिंह : रुपया कितना खर्च हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो नोट कर लीजिये। वहां की पॉपुलेशन १,५०००० है। ६० हजार आदमियों को एन्गेज किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : वहां की आबादी कितनी है?

श्री दामोदरलाल व्यास : टोटल नम्बर ऑफ लेबर्स बताया, टोटल नम्बर ऑफ वर्क्स बताये।

श्री भैरोंसिंह : आपकी बात सही है या भैरोंसिंह सही है, यह सदन अपने आप समझ लेगा। आप कहते हैं १,१०,००० में से ६०,००० को एरेन्ज कर दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आबादी के लिये नहीं कहा है। टोटल नम्बर ऑफ लेवर्स एम्प्लोय हुए ६०,६०७। यह तो मैंने रिलीफ वर्क्स थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के बारे में कहा है। इसके अलावा पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा कई सड़कों का निर्माण हुआ है और यह पचास हजार रुपया तो एक वक्त इस काम के लिये दिया गया है पी. डब्ल्यू. डी. के लिये। इसके अलावा जो रिलीफ वर्क्स हैं ३६ हजार का एक वक्त, १.२५ हजार दूसरे वक्त में।

श्री भैरोंसिंह : १ वर्ष में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ८ महीने में। इसके अलावा ग्रेचुस रिलीफ के लिए एक बार २ हजार रुपया दिया है और एक वक्त में ५ हजार रुपये और दूसरे वक्त में ८०० रुपये दिये हैं। कैटल कन्जर्वेशन के के लिए २० हजार रुपया दिया है एक वक्त में। यह तीन महीने और ६ महीने के अलग अलग हैं। ४० हजार रुपया वाटर सप्लाई अरेंजमेन्ट्स के लिए दिये गये हैं और इस तरह से तकावी के लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी फिगर्स दे दी हैं। तो यह कहना कि जैसलमेर में रिलीफ वर्क्स नहीं हुए, न वहां घास आई न कुछ आया; तो मैं ये फिगर्स दे चुका हूं, इससे आप ही पता लगा लीजिए कि आप कितना सही बोल रहे हैं और मैं कितना सही बोल रहा हूं। आप जैसलमेर का दौरा करके बड़े नाजो-अन्दाज से कह रहे हैं ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह नाजो-अन्दाज क्या होता है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं जवाब दूंगा तो आपको सारी स्थिति का पता लग जायेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, आप जवाब देना।

इसके अलावा आपसे अर्ज करना चाहता था कि जहां तक पीने के पानी का सम्बन्ध है मैं पीने के पानी के इन्तजाम के लिए माननीय सदस्य से कहूंगा कि शायद माननीय सदस्य को मालूम होगा कि पिछले वर्ष भी मैंने बराबर स्थिति को स्पष्ट किया था कि हमने इसका बराबर इन्तजाम किया है। यह बात ठीक है कि जैसलमेर के लिए जो पीने के पानी का इन्तजाम है वह गडेसर का एक तालाब है और इसके अलावा एक और कुआ है गढ़ के ऊपर, वह ट्यूब वैल पहले से ही है और उससे हमेशा पानी मिलता रहा है। इसके अलावा हमने जैसलमेर में ट्रक्स के द्वारा भी पीने का पानी ले जाने का इन्तजाम किया था। यह बात नहीं है कि पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं किया गया। बल्कि मैं कहता हूं कि और सालों के मुकाबिले में इस साल पानी का इन्तजाम और भी अच्छा हुआ है और लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई वहां पर। डावला और फतहगढ़ के कुओं से पानी भेजने का इन्तजाम किया गया। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि वहां पर पुराना ट्यूब वैल मौजूद है और उससे पानी बराबर लोगों को मिलता रहा और उसका पानी हमेशा की तरह सप्लाई होता रहा। इसके अलावा आपने कहा कि कि वहां चांदन का कुआ बन गया है और

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दूसरे ट्यूबवैल्स भी बन गये हैं, लेकिन सरकार उनका उपयोग नहीं करती है और आपने बड़ी लम्बी-चौड़ी भूमिका बनाई। आपको पता है कि उस कुए से और दूसरे कुओं से सरकार के सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं? कभी सोचा आपने इसके लिए? कभी कोशिश की आपने जानने की? आया उसके मुताबिक मशीनरी अवेलेबल भी है या नहीं, इसको जानने की कोशिश की? आपने कहा कि मैं जैसलमेर का दौरा करके आया हूँ तो मैं आपको बताऊं कि मैं भी उस इलाके को देखकर आया हूँ और मैं इन्तजाम करके आया हूं और कुओं के बगल में नये तालाब बनवाकर मवेशियों के पानी पीने का इन्तजाम करके आया हूं। हमने नहर भी खोदकर पीने के पानी का इन्तजाम किया है। आप देख कर जरूर आये होंगे। लेकिन आप तो यही कहें कि सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया। उस कुए से, ट्रक्स के जरिये जैसलमेर को पानी की सप्लाई का इन्तजाम किया, यह आप न कहें। आप यह न कहें कि वहां की आबादी को ट्रक के जरिये से, ऊपर वाले ट्यूब वैल के जरिये से और मीठे पानी का जितना इन्तजाम किया जा सकता था वह किया गया।

श्री भैरोंसिंह : कस्बे में?

श्री दामोदरलाल व्यास : कस्बे में भी हुआ है। मैंने अभी अभी आपको कहा है कि जहां जहां तालाब बनवाये हैं उनको भरवाया है....

श्री भैरोंसिंह : जैसलमेर कस्बे के अलावा पानी के ट्रक्स जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां गये, वह भी बता दें?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं बता रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : बता ही नहीं सकते आप।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको मालूम है कि कहां कहां इन्तजाम किया गया?

श्री भैरोंसिंह : आप मुझे यह बता दें कि पानी के कितने ट्रक्स गये?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो अभी जैसलमेर की पैरवी कर रहे थे।

श्री भैरोंसिंह : जैसलमेर कस्बे के अलावा और बाकी के भी गांव हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको पता ही नहीं कि फतहगढ़ तहसील से जनता के लिए और सरकारी मुलाजिमों के लिए ट्रक्स और ऊंट के जरिये पानी भेजने का इन्तजाम किया है। आपको इसकी जानकारी होते हुए भी आप इसको नहीं कहेंगे, आप तो कहेंगे कि वहां कोई इन्तजाम नहीं है। आप माननीय सदस्य यह समझते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए ही आप मुझसे गलत सवाल पूछ लेते हैं। आपको शायद यह पता नहीं है कि यह मेरा विभाग है और मुझे इसकी जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह : यह विभाग तो आपके पास है लेकिन जानकारी नहीं है। यह तो आप पटवारियों की इन्फॉर्मेशन विधान सभा के सामने रख रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : पटवारियों से तो आप पीड़ित हैं, लेकिन उसके लिए मेरे पास इलाज नहीं है। जैसलमेर के बारे में आपने जितना कहा, उन्होंने एक गेहूं की

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बात बताई और एक पुड़िया लेकर आये हैं और वे जानते हैं कि सरकार ने उस गेहूं के ऊपर पहले ही एक्शन ले लिया था.....

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल गलत बात है। मैं चेलेन्ज करता हूँ; माननीय मन्त्री जो कहते हैं वह बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon' ble member, I will request that the debate should not be interrupted.

श्री भैरोंसिंह : But he should not make such replies which are not true.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is your version. Let me have my say, तो मैं आपको यह अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहां के फूड कमिश्नर ने गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को लैटर लिख दिया था कि उस अनाज को हम यहां नहीं बिकने देंगे और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को उसे वापिस लेना पड़ेगा क्योंकि यह अनाज बहुत खराब है। यह अनाज जो आता है यह गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से आता है और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का गेहूँ यहां बिकने के लिए आता है। उसको हम स्केयरसिटी इफेक्टेड एरिया में या उस जगह जहां कि उसकी आवश्यकता होती है बिकवाते हैं। हम डीलर्स मुकर्रर करते हैं और वह डाइरेक्ट, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के इम्पोर्स होते हैं उनसे खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। वहां से कुछ अनाज खराब आया और हमारे फूड कमिश्नर ने गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को तुरन्त लिख दिया कि जो अनाज खराब है और ह्यूमन कन्जम्पशन के काबिल नहीं है, हम उसको नहीं बिकने देंगे। इस तरह से यह मामला गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को रेफर कर दिया। माननीय सदस्य एक पुड़िया लाते हैं और वे कहते हैं कि मैं लोगों को जहर खिला रहा हूँ.....

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्रीजी तारीख बता दें कि कब लिखा गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके बहुत पहले।

श्री भैरोंसिंह : बिक रहा था वह गेहूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तरीका है किसी बात को रखने का।

श्री भैरोंसिंह : गलत बात को भी रखने का तरीका है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब फूड मिनिस्टर ने कन्डेम कर दिया तो दूकान पर कैसे पहुंच गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दूकान के ऊपर तो इस तरह से पहुंचा कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से यहां के डीलर्स डाइरेक्ट इम्पोर्ट करते हैं। इसके बीच में गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान कहीं नहीं आती है। जब वहां के ऑफिसर्स के पास शिकायत आई तो दुकानदार ने बन्द कर दिया और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को मामला रेफर कर दिया। इसलिए दूकानदार के पास पहुंच गया वह गेहूं। राजस्थान गवर्नमेन्ट न तो बेचने वाली है और न खरीदने वाली।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने कुछ बात यहां की लेकर, हालांकि कट मोशन से

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कोई संबध नहीं था, मगर उनको एक मौका लेना था इस बात का, कहा कि फ्लड के अन्दर इतने पशु मर गये....

श्री भैरोंसिंह : मैंने नहीं कहा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जो कुछ बात कही है उसके लिए कहूँगा ।

तो उन्होंने कहा कि पशु इतने कमजोर थे, पानी का और चारे का कोई इन्तजाम नहीं था । तो मैं अर्ज करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है, पहले भी सदन में कह चुका हूँ किसी सवाल के जवाब के अन्दर कि पशु वहां जरूर मरे हैं । उसके लिए उनको तकावी दी है, कुछ रिलीफ भी दिया है । पंचायत समितियां और पंचायतों के मार्फत तकावी तकसीम कराई गई है । मुफस्सिल तौर से मैं स्टेटमेंट रखूंगा जिस वक्त कि इस पर डिस्कशन सदन के अन्दर किसी दूसरे कट मोशन के जरिये से होगा । परन्तु जहां तक पशुओं के मरने का प्रश्न है आपने कहा कि मैंने एक डॉक्टर से पूछा, और डॉक्टर का नाम धाम कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेडिकल आफिसर और वेटरनरी ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को रिपोर्ट देते हैं, वे शायद समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास डॉक्टर्स की रिपोर्ट नहीं आती है, और जो कुछ आता है वह उन्हीं के पास पहुंचता है, और इसलिए उन्होंने कह दिया कि एक डॉक्टर से उन्होंने पूछा था तो उसने बतलाया, उन्हें पता नहीं ...

श्री भैरोंसिंह : मैंने कभी किसी डाक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा । आप किसका जवाब दे रहे है, मुझे पता नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कहा है । आप अपने भाषण को देख लें । आपने कहा है और लिखने वालों ने लिखा है सब, लेकिन यह बात नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अगर गलत कहा है तो वापिस ले लें ।

श्री भैरोंसिंह : जब मैं गलत बात कहता ही नहीं तो वापिस लेने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : हर बात के लिये इनकार नहीं करें । भाषण आपने पब्लिसिटी के लिए दिया । अब हर बात से आप रिट्रीस करते हैं तो वह आपका अधिकार है । मैं चैलेन्ज नहीं करता । आप प्रोसिडिंग्ज देख लें कि जरूर कहा है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मंत्री महोदय को ध्यान नहीं रहा कि वह मैंने कहा था । वह उन पर कह रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : वे तो हमेशा ऐसी ही बात कहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जब कहा नहीं तो आपने ऊपर कैसे लिया ?

मेरी अर्ज यह है कि जब यह ट्रैजेडी हुई तो मेडिकल और वेटरनरी युनिट्स गई । उन्होंने जांच की है कि क्यों ऐसा हुआ है ? जांच करके सरकार को रिपोर्ट दी है । जब कि वह समय आयेगा और जिस वक्त सदन में इस पर डिस्कशन होगा उस वक्त पूरी रोशनी डालूंगा ।

फेमीन कोड के लिए माननीय सदस्य ने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कहा। पिछले सदन में मैंने कहा था कि फेमीन कोड को प्रकाशित करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बड़े तोड़-मरोड़ कर बात कही है। परन्तु शायद आपको मालूम है कि उसके बाद में गवर्नमेन्ट ने निश्चिय किया है कि फेमीन कोड में डिसेन्ट्रलाइज्ड की जितनी आर्गेनाइजेशन्स हैं उनको एसोसियेट करके सारा काम उन एजेन्सियों के मा त कराया जाय इस वजह से दुबारा रीकास्ट करने की आवश्यकता होगी। इसलिए फेमीन कोड को पब्लिश नहीं किया जा रहा है.. ..

श्री भैरोंसिंह : नहीं किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : और वजह क्या हो सकती है? उसको प्रिन्ट नहीं कराने का कारण क्या हो सकता है? जितने भी टीनेन्सी के रूल्स हैं वे पब्लिश करा रखे हैं कि कि इतना नुकसान हो तो इतना रिलीफ मिलेगा। फेमीन कोड को पब्लिश नहीं कराने का सवाल पैदा नहीं होता। यह आवश्यक है कि बदलती हुई स्थिति के अन्दर फेमीन कोड को इस तरह से रीकास्ट करें जिसमें पंचायत समिति और जिला परिषद् के जरिये से, उन एजेंसियों के जरिये से, उनकी राय, सलाह से फेमीन वर्क्स को ऑर्गेनाइज किया जाय और फेमीन रिलीफ वर्क्स के व्यू से जहां जहां आवश्यकताएं हैं उनके जरिये से पूरी की जाय, इसलिए रीकास्ट करने के लिए लॉ डिपार्टमेन्ट को भेजा है।

बांसवाड़ा से आए हुए माननीय सदस्य, खास तौर से जब कभी अकाल का सवाल पैदा होता है....

एक माननीय सदस्य : कुशलगढ़ से।

श्री दामोदरलाल व्यास : कुशलगढ़ से आए हुए माननीय सदस्य ने बहुत ज्यादा जोश में आकर सब कुछ, जो कहा जा सकता कहा है। न उन्हें यह पता है कि अकाल क्या है उन्हें यह पता है कि अकाल सहायता पर क्या खर्च होता है। जब जब वहां अकाल होता है तो मैं दौरा करने के लिए जाता हूं, तब तब माननीय सदस्य ने वहां अकाल-पीड़ित क्षेत्र का दौरा नहीं किया। वे विधान सभा के माननीय सदस्य होते हुए कभी एक रोज भी अकाल-पीड़ितों की तरफ से बात लेकर नहीं आये। यही नहीं जिस गांव के अन्दर मैं गया हूँ तो यदि मैं पूर्व की तरफ से गया हूँ तो वे पश्चिम की तरफ से चले गये हैं

(विराम)

वे भी इस बात को जानते हैं कि मैं कई गांवों के अन्दर गया हूं तो वे वहां से बाहर निकल कर चले गये हैं। मैं अर्ज करूंगा कि उनको दरअसल में न राहत की जरूरत है न किसी बात की। उन्हें जरूरत इस बात की है कि भाषण दे दिया जाय।

मैं आपको यह अर्ज करूंगा कि बांसवाड़ा के अन्दर इसमें कोई शक नहीं है कि अकाल है, परन्तु वहां अकाल के सिलसिले में हर मुमकिन सहायता दी गई है। बांसवाड़ा के अन्दर मैं अर्ज करूंगा कि आप कह नहीं सकते कि सहायता नहीं दी गई है। वहां शायद शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है, बेकवर्ड एरिया है उस लिहाज से काफी रिलीफ वर्क्स का काम किया गया और तकावी, तावान और ड्रिंकिंग वाटर के लिए काफी रुपया दिया गया है। और इसका सुबूत यह है कि आज तक माननीय सदस्य कोई भी बात

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मेरे नोटिस में नहीं लाये हैं। मैं अर्ज करूंगा कि फेमीन के मसले को मानवता की दृष्टि से देखना चाहिये और जब मैं यह कहता हूँ कि राजनैतिक नहीं है तो माननीय सदस्य का यह कर्तव्य है कि जहां कहीं कमी मालूम हो फेमीन रिलीफ के अन्दर, किसी बात के लिये तो उनका पहला कर्तव्य हो जाता है मानवता की दृष्टि से कि सम्बन्धित मन्त्री के नोटिस में लायें। अगर मन्त्री के नोटिस में नहीं लाना चाहें तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी के नोटिस में यह बात लानी चाहिए कि इस बात की कमी है।....

श्री हीराभाई : यह गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक इसका ताल्लुक श्री माधोपुर से आए हुए माननीय सदस्य से है मैं अर्ज करूंगा कि न वे नोटिस में लाये....

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके नोटिस में नहीं लाऊँगा क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि आपके नोटिस में लाने से कोई फायदा नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह दूसरी बात है। आप राहत थोड़े ही पहुँचाना चाहते हैं। आपको जनता की तकलीफ की परवाह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने जो आॅफिशियल्स हैं, कलेक्टर, उनको सारी बात बतलाई। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि आप कोई काम करने वाले नहीं हैं। I refrain from putting a complaint before you.

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री हीरा भाई : आपने....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह ठीक है कि जिनका जनता को राहत पहुँचाने का इरादा नहीं है वे नोटिस में नहीं लायेंगे वे नहीं लायें, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपना कर्तव्य करता हूँ। मैं दौरा करके जानकारी करता हूँ। माननीय सदस्य जो सब इधर बैठे हुए हैं वे सब अपने इलाकों की बराबर जानकारी देते हैं।

अब रहा बीकानेर से आए हुए माननीय सदस्य का सवाल। मैं अर्ज करूंगा कि पहले तो वे भी ऐसी जानकारी मेरे सामने नहीं लाई। जब आप बता रहे थे, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, यह सदन में बताने की कोशिश की गई कि जहां अकालग्रस्त एरिया है वहां एक तरफ तो तकावी वितरण करते हैं और दूसरी तरफ वसूली भी करते हैं, यह बात कानून में ठीक नहीं है। कानूनी दृष्टि से जिस जिस एरिया को फेमीन एरिया या स्केर्सिटी एरिया घोषित किया जाय वहां सस्पेन्शन आॅफ प्रोसिडिंग्स एक्ट फौरन लागू हो जाता है। उसमें हर प्रकार की वसूली चाहे वह लगान हो, चाहे तकावी हो, चाहे तावान हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जिसमें डिक्री, इजराय सब बन्द हो जाते हैं। कानूनी तौर पर बन्द हो जाते हैं।....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहना चाहता हूँ कि यह हुआ है, आप इन्क्वाइयरी करवाइये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मै नहीं कहता कि आपने गलत कहा है। आप एक बात मेरे नोटिस में लाये हैं। यह पता नहीं है कि कब की बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : २ महीने पहले की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कानूनी दृष्टि से बता रहा हूँ कि कानूनी तौर से सरकारी या गैरसरकारी जितनी भी लेनदेन की बकाया हो, चाहे वह सरकारी डिक्री का अमाउन्ट हो वह कानूनी तौर पर सस्पेन्ड हो जाता है। इसलिए किसी को वसूली करने का अधिकार नहीं है और जिस तरीके से माननीय सदस्य ने इस सदन में इस बात को बतलाया कि इतने लोगों से तकावी की वसूली की जा रही है, कुर्की की जा रही है मैं नम्रता से अर्ज करूंगा कि इतने गरीब लोग थे, परेशान थे और आप खुद जानते थे कि यह एरिया अकालग्रस्त घोषित हो चुका है। तो मुझे समय पर इत्तिला देते तो आप उनको राहत पहुंचाते। अब तो सारी कुर्की हो गई, नीलाम हो गया। तो आप समय पर सूचना देते तो लोगों को राहत पहुँचाते। इतनी देर से सूचना देकर आपने उन लोगों को राहत नहीं पहुचाई है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब हो चुकी थी इस प्रकार की वसूली तो आकर क्या कहता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक है। आपने मुझे एक बात बतलाई है, उसकी जानकारी करूंगा। मगर मैंने कानूनी स्थिति आपको कही है।

(४. म. प.)

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात को बतलाने की कोशिश की, खास तौर से कोटपूतली के लिये श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य वकालत करते हैं कोटपूतली के मामले को लेकर बताने की कोशिश करते हैं कि कोटपूतली में नुकसान हुआ और अकाल ग्रस्त एरिया घोषित नहीं हुआ। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किस तरह से अकालग्रस्त एरिया घोषित होता है, स्केयर्सिटी किसको कहते हैं, यह समझने की जरूरत होगी। किसी जगह ओले गिर गये और उनसे मकान टूट गये या छतें टूट गईं तो उस एरिया को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया जा सकता, अकालग्रस्त उस एरिया को घोषित किया जाता है जहां फोडर की स्केयर्सिटी हो और फूड की स्केयर्सिटी हो, वहां अकाल घोषित किया जाता है। आप बार बार कोटपूतली के बारे में कहते हैं, मुझे याद है कि मैंने जवाब दिया था कि वहां पर मकान टूट गये थे, छतें टूट गई थी लेकिन सदन में कभी यह नहीं बताया उन्होंने कि आठ आना से ज्यादा फसल का नुकसान हो गया था; यह नहीं बताया, इसलिये अकालग्रस्त कैसे हो ? मकान टूट सकते हैं, छतें टूट सकती हैं, मकानों से लाखों रुपयों का नुकसान हो सकता है, लेकिन यह नहीं कि इस कारण से उसको अकालग्रस्त घोषित किया जाय। अकाल ग्रस्त घोषित करते हैं उस स्थान को, जहां पर अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण फूड और फोडर की स्केयर्सिटी होती है। इस बात को समझ लें तो कोटपूतली की स्थिति का जिक्र बार-बार सदन में नहीं आयेगा यह मैं उनसे नम्रता से अर्ज करूंगा।

कुछ माननीय सदस्यों का ख्याल है कि अकाल-ग्रस्त होने की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आती,

Page No.98

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पटवारियों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। मैं अर्ज करूंगा कि इसके लिये जो प्रोसीजर बनाया है इतना इलोबोरेट है कि उसमें माननीय सदस्यों और पंचायतों का सहयोग मिले तो कोई वजह नहीं कि किसी वक्त दिक्कत पड़े कि जहां अकाल घोषित होना चाहिये, वहां घोषित न हो। मसूदा के माननीय सदस्य ने कहा था प्रोसीजर के लिये। मैं अर्ज करूंगा कि ऐसा प्रोसीजर है कि पटवारी गश्त गिरदावरी करता है और नुकसान की रिपोर्ट तहसीलदार को देता है, तहसीलदार नोटिस लगाता है कि इतना नुकसान दर्ज किया है, जिसको ऐतराज पेश करना हो कर दे। जो ऐतराज आते हैं उन पर कार्यवाही करते हैं। एस. डी. ओ. पर लाजमी है कि वह इन्क्वायरी करके फैसला करे, कलेक्टर पर भी लाजमी है कि वे इन्क्वायरी करें। इसके अलावा पंच और सरपंच को भी देखना चाहिये।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि प्रोसीजर तो अच्छा है, अगर फोलो कर लिया जाय तो दिक्कत नहीं है; लेकिन फोलो नहीं होता है। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि फोलो नहीं होता तो जिस वक्त तवज्जोह देनी चाहिये उस वक्त दिलानी चाहिये थी....

श्री भीमसेन : समय पर ही तवज्जोह दिलाई।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिन जिन ने तवज्जोह दिलाई है मैंने वहां पर ठीक किया है। मिसाल के तौर पर नागौर डिस्ट्रिक्ट में मैंने खुद ने मौका देखा, मुझे कमी मिली उसे ठीक किया गया। ह्यूमेनिटेरियन दृष्टि से भी करना लाजमी हो जाता है; दो पैसा कम हो या ज्यादा हो। आप गजट में देख सकते हैं। कई जगह हमने जांच करके पता लगाया, जहां कमी मालूम हुई वहां बढ़ाया है। लेकिन प्रोसीजर ऐसा है कि किसी भी हालत में फॉल्टी नहीं है। लेकिन बात यह है कि समय पर ऐतराज करना चाहिये। किसान खुद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और माननीय सदस्य ध्यान रखें और समय पर सूचना दें तो मैं समझता हूं प्रोसीजर अच्छा है। पटवारियों पर छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। वे तो इनीशियल स्टेज पर आते हैं, लेकिन उन पर इतना चैक है कि गलती नहीं हो सकती....

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री दामोदरलाल व्यास : पता नहीं, गश्त गिरदावरी हो गई, नोटिस आ गया; मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि वास्तव में जहां अकाल है वहां अकाल घोषित करना हमारा कर्तव्य है, इंसानके नाते भी जहां पर इन्सानों को तकलीफ है वहां उनको राहत देना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन चुनाव आ गया है, आपका एरिया अकाल ग्रस्त घोषित हो गया है, वहां के लोगों को राहत दिला दी है, वहां हमको यह भी देखना होता है कि गलत एरिया घोषित नहीं हो जाना चाहिये। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जहां वास्तव में अकाल है वह एरिया अकालग्रस्त घोषित होने से बचना नहीं चाहिये और जहां पर स्केअरसिटी नहीं है वह एरिया अकालग्रस्त घोषित नहीं होना चाहिये। इस बात की हम कोशिश करते हैं। जहां जहां से शिकायत आई है हमने वहां पर जांच करवाई है, खुद कलेक्टर से करवाई

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है, छोटे दर्जे के अफसरों से नहीं करवाकर कलेक्टर खुद गये हैं. फूड कमिश्नर खुद गये हैं, जांच करने की कोशिश की है, वास्तव में ऐसा एरिया नहीं है जिसमें स्केयर्सिटी की स्थिति थी और वहां जांच करने के बाद सरकार ने उचित निर्णय नहीं लिया हो जहां जहां की शिकायत आई है। ऐसा नहीं है कि हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया हो या इन्क्वायरी नहीं कराई हो, सिर्फ यह कहना कि घोषित नहीं किया, काफी नहीं है। वक्त पर प्रोसीजर को फोलो करना चाहिये ऐतराज नहीं करना चाहिए क्योंकि साबित करना भी लाजमी होता है। बाद में यह कहना कि देरी हो गई, फसल काटने के बाद चेतते हैं तो पता लगाना मुश्किल होता है कि ६ आना था या ८ आना।

कैटल माइग्रेशन होता है। जोरदार शब्दों में अभी झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि कैटल जो मारवाड़ से माइग्रेट होती है मध्य प्रदेश में उसके लिये सरकार ने इन्तजाम नहीं किया। वहां जाकर देखते कि इन्तजाम हुआ, या नहीं, यह कह देना कि इन्तजाम नहीं हुआ कहां तक उचित है; बल्कि बहुत जोर से मेरा त्यागपत्र मांग लिया। इसका उनको अख्त्यार है या नहीं, लेकिन उन्होंने मांग लिया ताकि कल अखबारों में आ जाय कि जनसंघ के नेता ने राजस्व मन्त्री का त्यागपत्र मांगा....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या आप समझते हैं कि राजस्थान के समाचार-पत्र इतने सस्ते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : पर आप त्यागपत्र मांग सकते हैं या नहीं ? इस तरफ बहुत से लोग बैठे हैं उनकी तरफ पहले आप देख तो लें....

श्री भैरोंसिंह : उनके दिल से पूछिये कि वे क्या चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : दिल से पूछने की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ठहरिये....

श्री मुरलीधर व्यास : लालबहादुर शास्त्री....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री दामोदरलाल व्यास : एक माननीय सदस्य ने बहुत जोर से कहा कि बाड़मेर और जैसलमेर में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बाड़मेर को ज्यादा दिया जाता है और जैसलमेर को कम दिया जाता है, I am sorry, उन्होंने कहा कि जैसलमेर को ज्यादा दिया जाता है और बाड़मेर को कम दिया जाता है। क्योंकि वे बहुत जोश में बोल रहे थे इसलिये मैं उनसे ठंडे दिल से कहूँगा कि वे समझते हैं कि जैसलमेर को ज्यादा दिया जाता है; इसलिये मैं फिगर बताऊंगा कि बाड़मेर को रिलीफ फंड में से ३,००,५०० दिये जब कि जैसलमेर को २ लाख ४२ हजार दिये, इसी तरह से बाड़मेर को तकावी में ३ लाख १५ हजार दिये और जैसलमेर को केवल ४४ हजार दिये गये। इसके बाद कैटल कंजर्वेशन का चाहें तो वह भी लिस्ट तैयार कराई जा सकती है सदन की जानकारी के लिये। जहां बाड़मेर और जैसलमेर में डिस्क्रिमिनेशन करने का चार्ज था इससे आप अंदाजा लगा लीजिये कि किस

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किस नुक्ते नजर से सदन में बहस कर रहे हैं । बाड़मेर वाले समझें कि माननीय सदस्य ने उनकी पैरवी की लेकिन सही स्थिति मुझे तो पेश करनी पड़ेगी आपके सामने ।

इसके अलावा माननीय सदस्य जो जोबनेर-दूदू से आये हैं, इसमें शक नहीं कि वे तजुर्बेकार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के । मैं उनकी बात से इन्कार नहीं करता कि उनका एरिया अकालग्रस्त एरिया था, शुरू में घोषित नहीं हुआ था; मैं खुद गया, मैंने पंच, सरपंचों को इकट्ठा किया, कलेक्टर को भेजा, जांच करवाई और जितने गांवों में अकाल की स्थिति साबित हुई उनको मैंने घोषित करवाया है । वे इस बात को मानेंगे । उसमें राहत कार्य कराकर और तकावी देकर वहां के लोगों को राहत दी है, महरूम नहीं रखा है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा घास के बारे में कि जिस जमाने में अकाल नहीं होता उस जमाने में घास की बागर लगानी चाहिये । असल में घास के बागर लगाने का हमारा तरीका है । वह यह है कि फोडर बैंक हमारी है जिसके लिए हम जंगलात के अन्दर से घास कटवाते हैं और उस घास को स्केयर्सिटी के वक्त स्केयर्सिटी वाले इलाके में काम में लाते हैं । जिस समय हमारे यहां से कैटल माइग्रेशन हुआ उस वक्त जगह जगह पर डिपोज खोले और घास को काम में लिया था । इसलिए यह मतलब नहीं है कि हम घास कटवाते नहीं हैं । हां, बागर लगवाने का जो तरीका है, उस पर सरकार विचार करेगी । जो पुराना तरीका है बागर लगाने का, हो सकता है उसमें कमी हो । मैं भी ठीक समझता हूँ कि आपका जो सुझाव है, उस पर विचार किया जाय ।

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस अकाल के अन्दर जो काम राजस्थान में हुए, राजस्थान के अकाल-ग्रस्त एरियाज में, उसके सम्बन्ध में अर्ज करना चाहूँगा जिससे माननीय सदस्यों को मालूम हो जाय कि हमने कितने आदमियों को केटर किया है, कितने आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया है और रेवेन्यू एजेन्सीज के द्वारा कितना अमाउन्ट खर्च किया गया है । यह सही बात है कि आज जो अकाल के समय में कार्य करते हैं और पहले जो अकाल के समय में कार्य करते थे उसमें फर्क है । फर्क यह है कि प्लानिंग पीरियड चल रहा है और दूसरी और तीसरी पंच-वर्षीय योजना में....

श्री भैरोंसिंह : बाकी की डिमान्ड्स और हैं; उन पर भी कुछ कहना है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I must have my own time.

श्री भैरोंसिंह : कम टाइम है ।

श्री उपाध्यक्ष : I will try to adjust the remaining demands.

श्री चन्दनमल बैद : आप जो चार्जेज लगायें, उनका जवाब नहीं होना चाहिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He has taken an hour, so I don't think he has any right to curtail my hour.

श्री भैरोंसिंह : You will take more than an hour ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा था कि थर्ड फाइव इयर प्लान में जो कुछ आइटम्स नेक्स्ट इयर में लेने वाले हैं, उनको इस साल ले लिया है ताकि फेमान

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रिलीफ के लिए कुछ वर्क्स खोले जायं जिससे लोगों को काम मिल जाय, उनको राहत मिल जाय और अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाय। इसलिए जो वर्क्स अगले साल खोलने वाले थे वे इस साल खोल दिये गये हैं क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इस दृष्टि से काम की दृष्टि से और एम्प्लायमेंट देने की दृष्टि से। मगर उसके साथ ही साथ यह भी देखना है कि हमारे जितने प्लान पीरियड के वर्क्स हैं, उनको ज्यादा जल्दी ले सकें तो ज्यादा अच्छा है। परन्तु दिक्कत हमारे सामने यह आई कि गांवों में गांवों में स्केयर्सिटी थी और इस बार जो अकाल पड़ा तो हमको फेमीन वर्क्स खोलने पड़े। लेकिन लोग दूर जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए यह सवाल सामने आया कि रेवेन्यू एजेन्सी की मार्फत जितना काम हो सके करवाया जाय। जो काम करवाया है वह इस बात को ध्यान में रखकर करवाया है कि सर्टेन एरिया में वह काम करवाया जाय ताकि रिलीफ वर्क्स में वह आ जाय। और जो रिलीफ वर्क्स में पैसा खर्च होता हुआ है वह एम. एल. ए., एम. पी. और इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट के मार्फत हुआ। मैंने जैसा कहा यह व्यवस्था कोऑर्डिनेट करने के लिए लोगों को ज्यादा काम देने की दृष्टि से की थी।

दूसरी बात है, जो खास बात है, कि जो रिलीफ वर्क्स में तकावी डिस्बर्समेंट का सवाल है, इसमें हमने प्राथमिकता दी है पंचायत और पंचायत समिति को। यह ठीक है कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की एजेन्सी इस डिस्बर्समेंट के लिए थी, कितना डिस्बर्समेंट हो, कितने वर्क्स खुले, कितना लेबर आया उसके मस्टर रोल, उसकी हाजरी का, पेमेंट का काम उसका था। लेकिन हमने एसोसियेट किया पंचायत और पंचायत समितियों को और उनकी मार्फत यह इन्तजाम करवाया था। पंचायत समिति के जो प्रधान हैं, उन प्रधान की अध्यक्षता में जो एम. एल. ए., एम. पी. हैं, उनको एक एडवाइजरी कमेटी बनाई। जिनकी राय से, सलाह से, मशविरे से रिलीफ वर्क्स, तकावी डिस्बर्समेंट, केटल कंजर्वेशन, ड्रिंकिंग वाटर आदि के कामों में खर्चा किया जाय। तो इस तरह इनकी मार्फत यह काम करवाये हैं। इसलिए करवाये हैं कि रेवेन्यू एजेन्सी पर यह काम न रहे और पंचायत और डेमोक्रेटिक बॉडीज के मार्फत काम हो। इसके साथ ही थोड़ा सा मैं अर्ज कर सकता हूँ कि किसी इलाके से जब भी यह बात नोटिस में आई है कि वहां अमुक अमुक बात की कमी है, तो मैंने खुद ने पहुँच कर वहां की स्थिति देखी है और मैं एक एक जगह कई कई बार गया हूँ और मैंने देखा है कि कोई कमी न रहे और मौके पर ऐसे आदेश जारी कर दिये हैं कि काम हो जाय, फाइनेन्स की मंजूरी बाद में होती रहेगी। यहां सारा इन्तजाम किया था। ड्रिंकिंग वाटर के लिए डीपनिंग ऑफ वेल्स और पुराने कुओं की मरम्मत के काम के अलावा रेलवे टेंक्स से पानी भिजवाया है, और नम्बर ऑफ टेंक्स इन्क्रीज करने की कोशिश की है ताकि पीने का पानी पहुँच सके। राजस्थान केनाल हैं, उसके जरिये कोशिश की है कि रूरल एरियाज में पानी पहुँच सके। उसके लिए कोशिश की है गवर्नमेन्ट एक्सपेंसेज से। और गवर्नमेन्ट एक्सपेंसेज पर पाली जिले के अन्दर पानी दिया है। वहां भी आप देखियेगा कि हर लेवल पर हमने रिलीफ देने की कोशिश की है। जो रिलीफ वर्क्स

(श्री दामोदरलाल व्यास)

खोले, उस एरिया में ऐसे लोग थे जो अपाहिज और गरीब थे, जो वहां आने में असमर्थ थे, उनको तकावी देने के लिए, मुफ्त रिलीफ देने के लिए, काफी रुपया दिया और उन लोगों को रिलीफ दिया।

इसके अलावा एक और बात है। एक इन्तजाम हमने और किया कि जहां तक मुमकिन हो सके, जिन लोगों को रिलीफ वर्क्स पर लगाया जा सकता है, उनको लगाया है। लेकिन जहां यह सम्भव नहीं है, कुछ लोग जो ज्यादा उम्र के लोग थे, ओल्ड एज के थे, उनको इस दृष्टि से उनके घर पर काम देने के लिए खादी बोर्ड की ओर से प्रबन्ध कराया था और चर्खे और तकली हर गांव में दिये और उनको सूत कातने का काम सौंपा। उसके लिए सब्सीडाइज किया है। इसमें जो साढ़े तैंतीस परसेन्ट हैं, वह रिलीफ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से मिलेगा और करीब दो हजार के करीब गांवों के अन्दर ये वितरण हुए हैं। जो लोग रिलीफ वर्क्स में नहीं जा सकते और मुफ्त रिलीफ नहीं लेना चाहते हैं, वे लोग घर पर बैठ कर काम करें और बेरोजगारी का मसला उनके सामने नहीं आये। इस तरह हमने हर तरह से कोशिश की है लोगों को रोजगार मिले और लोगों की दिक्कतें दूर हों। मैं आपको कुछ बातें, जो खास हैं, वह बताता हूं। वैसे होल राजस्थान के अन्दर, आप जानते हैं, १८ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो अफेक्टेड हैं। ५६ तहसीलें हैं जो अफेक्टेड हैं। रबी के अन्दर ३६ तहसीलें अफेक्टेड थीं, खरीफ के अन्दर ३६९५ गांव अफेक्टेड थे और रबी के अन्दर १२७८ गांव अफेक्टेड थे। इसके अलावा पॉपुलेशन के लिहाज से इस ओर देखें तो खरीफ के अन्दर २१,६६,१७८ की पॉपुलेशन अफेक्टेड हुई और रबी के अन्दर की पापुलेशन अफेक्टेड हुई और इन तमाम तहसीलों के अन्दर, मैंने जैसा आप से कहा, सस्पेन्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के साथ साथ स्केयर्सिटी की स्थिति के ख्याल से हमने सस्पेन्शन ऑफ प्रोसीडिंग्ज भी किया और जो प्रोसीडिंग्ज होकर मतालबा और वसूली का सिलसिला था वह सस्पेन्ड हो गया। जहां तक लेबरर्स को एम्प्लॉय करने का सवाल है, मैं समझता हूँ ज्यादा फिगर अलग-अलग देने की आवश्यकता नहीं है। हमने १६,६६,०३६ को रेवेन्यू एजेन्सी के थ्रू रिलीफ वर्क्स में काम पर लगाया है। जो पी. डब्लू. डी. और इर्रिगेशन के वर्क्स थे वे इसके अलावा हैं। इसके अलावा और जो इन्फोर्मेशन है, और जो बहुत सूचना है, मैं समझता हूँ उन सबको बताने में इस सदन का समय मुझे नहीं लेना चाहिए, परन्तु कुछ मोटे मोटे आंकड़े मैंने आपको बताये हैं।

इसके अलावा, जैसा मैंने आपको बताया, जैसलमेर में पानी का प्रबन्ध करने के लिए और इसके अलावा जहां जहां भी पानी की दिक्कतें थीं वहां हमने पानी का इन्तजाम किया है। फतहगढ़ में इन्तजाम किया। रेलवे से टैंक्स का नम्बर ज्यादा बढ़वाया। इसके अलावा जहां तक रिलीफ वर्क्स के अन्दर टोटल अमाउन्ट खर्च करने का सवाल है, मेरे ख्याल से जो डिमान्ड पेश हुई है, उससे मालूम हो जाता है कि टोटल अमाउन्ट कितना खर्च हुआ, उसमें से तकावी के लिए कितना खर्च हुआ है। इसके अन्दर, जैसा मैंने अर्ज किया, थर्ड फाइव इयर प्लान के अन्दर जो अगली साल के लिए वर्क्स थे, उन वर्क्स को इस साल ही ले लिया है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उस लिहाज से अगर आप टोटल देखेंगे तो मालूम होगा कि काफी खर्चा किया है और काफी तकावी का खर्चा किया है।...

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : इस सदन का समय इसलिए नहीं होता है। अगर आपको बोलना है तो पहले से तैयार होकर आइये।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा मुझे अर्ज करना था कि जहां तक फोडर का सवाल है, वह पाली डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : थोड़ा टोटल बता दें; टोटल तकावी कितनी दी है?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : They are interested in the figures.

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर आप इन्टरेस्टेड हैं, तो मैं बता देता हूँ।....

श्री भैरोंसिंह आप : इसलिए अधिक समय ले रहे हैं जिससे जैसलमेर के फ्लड की डिमान्ड पर चर्चा नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : I don't think this is the intention of the Hon' ble member.

श्री दामोदरलाल व्यास : इस डिमान्ड के आने का सवाल ही नहीं है। Because there is already a demand in between them.

श्री भैरोंसिंह : वह आवे तो आपकी पोल खुल जाय, जो आंकड़े आपने दिये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप क्या चाहते हैं, तकावी कितनी दी है?

डॉ० बहादुरसिंह : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, गुलेटीन एप्लाई करता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश है कि चार बजे के बाद गुलेटीन एप्लाई होगी।

डॉ० बहादुरसिंह : वह चार पैंतालीस है।

श्री दामोदरलाल व्यास : १ लाख ८५ हजार का फर्स्ट इन्स्टालमेंट है, दूसरा २७,०२९ का है। करीब ३० लाख के करीब तकावी हो जाती है इस तरह से।

डॉ० बहादुरसिंह : एरिया और बता दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : एरिया और बता दूँ, ३०४७,६७। उपाध्यक्ष महोदय, ये सब बातें मैंने....

श्री उपाध्यक्ष : Not the number of persons who have received.

श्री दामोदरलाल व्यास : Not the number of persons? I have enough material to speak.

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन और तैयार कर लें, तब तक टाइम पूरा होता ही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : बोलने के बहुत मौके हैं, आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे। आपके बोलने से कोई डरता नहीं है और न किसी पर असर होता है, कहीं आपको गलतफहमी हो गई हो कि आपके बहुत बोलने से....

Page No.104

श्री भैरोंसिंह : आपके बोलने का असर न जनता पर होगा न मुझ पर।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पर नहीं होगा, मैं जानता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : न जनता पर ही होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कुछ और कहना नहीं है, माननीय सदस्य बोलने के लिये बहुत उत्सुक हो रहे हैं। पर मैं फिर कहूँगा कि फेमीन के मामले को वोट कैचिंग डिवाइस के लिये चुनावों की दृष्टि से न देखा जाय कि राजस्थान के लोग पीड़ित हैं, आपको हमको मिल कर उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिये, उनकी इमदाद करनी चाहिये इस दृष्टि से नहीं कि उनको जनसंघ की तरफ डाइवर्ट कर लें और उनको यह कहें कि हम यह करेंगे वह करेंगे, सरकार कुछ नहीं कर रही है, वह नहीं कर रही है, इससे राहत नहीं मिलती। राहत इससे मिलती है कि आप हमको उनकी बात कहें, उनकी हालत कहें और हम उनकी इमदाद करें, उनको राहत पहुँचायें। हम नहीं करें, तो फिर आप कह सकते हैं। पर आपने राजस्थान के किसी काम के लिये, राहत के काम के लिये, कहा होगा तो हमने बराबर रेस्पोन्ड किया होगा, आपने कहा तो हमने किया है, पर राजनैतिक दृष्टि से कहें कि मैं फलां फलां जगह खुद जाकर आया हूँ, मैंने देखा है कि लोगों की हालत ऐसी है, वहां की हालत ऐसी खराब है, मैंने लोगों से कहा कि सरकार निकम्मी है और झट एक भाषण ठोक दिया। राहत देना है तो तरीके से उनकी बातें हमें कहें, हम ईमानदारी से राहत देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २८,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इस पर मेरा कट मोशन है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : डिमान्ड पास हो जायगी तो कट मोशन्स खत्म हो जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : डिमान्ड वैसे पास होगी।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. Bhimsen, are you withdrawing the cutmotion ? You are withdrawing I presume.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : Yes, Sir, I beg leave to withdraw my cut motion.

श्री भैरोंसिंह : Should I take as this instructions from the Chair that Shri Bhimsen should withdraw ?

श्री श्री मानसिंह (बयाना) : On a point of order......

श्री उपाध्यक्ष : He has sought leave to wtthdram,

प्रश्न यह है कि जो कट मोशन श्री भीमसेन ने प्रस्तुत किया उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसेन : मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : What about my point of order ? An Hon'ble member just said, is it a direction of the Chair for Mr. Bhimsen to withdraw This amounts to imputing motives to the Chair. Therefore, the Hon'ble member should be asked to withdraw his words.

श्री भैरोंसिंह : There was nothing like imputing...

श्री उपाध्यक्ष : The intention of the Hon'ble member is clear.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble member should be asked to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : I don't take it so serious.

श्री श्रीभानसिंह : The House should like to...

श्री भैरोंसिंह : Why should the House take trouble ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ! प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २८,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५४ स्वीकार की गई।

शशस्त्र परिचारक का पुलिस वेश में होने के कारण औचित्य प्रश्न

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : On a point of order and information Sir.

श्री उपाध्यक्ष : But how these two points of order and information can be raised at a time ?

श्री नारायणसिंह : On a point of information, is it according to the traditions and decorum of the House that the Sergeant-at-arms should be in the police uniform...

श्री उपाध्यक्ष : Pardon, the voice was not audible.

श्री नारायणसिंह : Is it according to the traditions and decorum of the House that the Sergeant-at-arms should be in the House in police uniform ?

श्री उपाध्यक्ष : No. I would like to say that it is a matter which may be referred to the Hon'ble Speaker when he is in the Chamber. It is not so material.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : I may inform the Hon'ble member......

श्री उपाध्यक्ष : I have clarified......

(४. २५ म. प.)

मांग संख्या ५२ मुख्य शीर्षक ४७ का—सामुदायिक विकास परियोजना इत्यादि

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ४७ का- सामुदायिक विकास परियोजना में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाये वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २६,००,०००)रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(इस मांग पर निम्नलिखित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री भैरोंसिंह : मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ४७-का- सामुदायिक विकास परियोजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्यमें १) रुपये की कटौती की जाय। (इस मांग में सामुदायिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के द्वारा स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के कराये जाने में धन के अत्यधिक दुरुपयोग किये जाने की कार्यवाही की रोकथाम के उपायों पर बहस करने के लिये)

श्री भीमसेन : Demand No. LII, Major Head 47-A Community Development Projects, National Extension Services and Local Development works be reduced by Rs. 100 (To discuss failure of the Goverment to allot sufficient funds for pletion of various local development works in Bikaner and Lunkaransar Panchayat Samiti areas)

Demand No. LII, Major Head 47-A- Community Development projects, National Extension Service and Local Development works be reduced by Rs. 100. (To discuss the failure of the Government to transfer Rs. 2000/- to P. S. Lunkaransar for construction of a Water Tank at village Goplyan Tehsil Lunkaransar. The amount was deposited with the Collector, Bikaner in the year 1959-60 as public contribution.)]

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं चाहता हूँ कि इस डिमान्ड पर थोड़ा स्पष्टीकरण कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : स्पष्टीकरण कोई कायदे से नहीं होता है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : The Hon'ble member is entitled to say some thing.

श्री उपाध्यक्ष : I have not allowed any clarification.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ५२ के सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव....

Page No.107

डॉ० बहादुरसिंह : वे स्पष्टीकरण कर दें तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Not necessary......

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a point of information. Which cut motion the Hon lele member is moving ?

श्री उपाध्यक्ष : He has only one cut motion at his credit.

श्री श्रीभानसिंह : No. He cannot.

श्री भैरोंसिंह : कट मोशन नं० ७।

श्री श्रभानसिंह : No 7. oyes

श्री भैरोंसिंह : कहिये, कैसे नहीं पेश कर सकता ?

(विराम)

तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके पीछे भावना यह है कि आज जिस विषय को लेकर सारी रकम खर्च करने की स्वीकृति प्राप्त कर रहे हैं पहले उसके इतिहास की जानकारी हासिल कर लें। उपाध्यक्ष महोदय, यह रकम वह है कि सरकार के जितने विकास के काम पिछले थे उन कामों को पूरा करने के लिए खर्चा करने के बारे में कुछ व्यवस्था सरकार कर रही है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इन सारे रुपयों को खर्च करने की स्वीकृति चाहती है, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस संबन्ध में जितने मामले लोकल ऑडिट फंड के द्वारा रेकर्ड किये गये हैं उनमें गबन, धन का दुरुपयोग आदि इसी प्रकार की घटनाएं रिपोर्ट में प्रकाशित की गई हैं। इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि आज का कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्क्स अभी तक आया, उस स्थिति में आया है या नहीं कि वह अच्छी तरह से काम कर सके। मैं यह कहूँगा कि उनमें सामूहिक भावना पैदा नहीं हुई है। मैं यह कहूँगा कि जहां पर किसी एक क्षेत्र में किसी प्रकार के विकास कार्य करने का प्रश्न आता है तो वहां के लोगों में इस प्रकार की भावना रहती है कि सरकार मदद देगी तो काम होगा इसके लिये ऑर्गेनाइजेशन मुकर्रर हुआ था। उसने जो रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की उसको देखने से मालूम होता है कि लोगों में उस प्रकार की रुचि पैदा नहीं हुई है जिस प्रकार की रुचि उनको कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के कार्यों में रखनी चाहिये; जिस प्रकार की रुचि हम चाहते हैं कि उन लोगों में पैदा हो, वह अभी तक लोगों में नहीं बन पाई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पचायतों में जो पहले लोगों का कॉन्फीडेन्स पंचों और सरपंचों में था उसमें भी दिनो दिन गिरावट आती जा रही है। इसका एकमात्र कारण यह भी बताया गया है कि जितने पढ़े-लिखे सरपंच हैं उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया और इस कारण लोगों में उनके प्रति विश्वास नहीं रहा। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि उनको किसी प्रकार से सरकार पर आश्रित होकर न चलना चाहिए जिस प्रकार पहले करते थे। मगर आज यह बात नहीं है। जो बात पहले लोगों में श्रमदान पैदा करने की और काम करने की थी वह आज नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

पाई जाती है। लोगों में यह भावना पैदा हो गई है कि जब तक सरकार रुपया नहीं देगी तब तक विकास का काम नहीं करेंगे और वास्तव में होता यही है कि जब तक सरकार रुपया नहीं देती है जनता के लोग उस कार्य को अपने हाथ में टेकअप नहीं करते। इसका सीधा मतलब यह होता है कि वे बगैर सरकार की सहायता के विकास के कार्य को नहीं पनपाना चाहते।

अब देखना यह है कि सरकार की स्थिति क्या है। अब तक गांवों में छोटे छोटे कामों के लिये सरकार की सहायता की राह नहीं देखते थे और वहां के लोग श्रमदान से काम कर लेते थे। पहले जो सरकार की सहायता पर छोटे छोटे कार्यों के लिये आश्रित नहीं थे वे आज इस बात को देखते हैं कि सरकार की तरफ से कितने हजार रुपये मिलते हैं। वे श्रमदान नहीं देते और उसमें भी गबन कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि श्रमदान होना चाहिए और मैं श्रमदान का विरोध नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार का श्रमदान करते हैं उसको देखना है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले जो श्रमदान गांवों में होता था और आज जो श्रमदान होता है उसमें बहुत गिरावट होती जा रही है। आज यह होता है कि कोई भी गांव विकास के कार्य के लिये सरकार की सहायता के बिना हाथ में लेने को तैयार नहीं होता, इस प्रकार की भावना लोगों में उत्पन्न हो गई है। मगर पहले विकास के कार्य इसलिए करते थे कि गांवों में उस कार्य की जरूरत होती थी और छोटा छोटा काम वहीं श्रमदान से करा लिया जाता था। मगर आजकल क्या होता है कि कहीं ५ रुपये का काम भी होता है तो लोगों की दरख्वास्त लगेगी कि सरकार तीन रुपये हमको दे। हर कोई यह चाहता है कि सरकार की तरफ से ५) रु० के काम में भी तीन रुपये मिलें। इस प्रकार से इसने लोगों के दिलों में एक अजीब प्रकार की भावना पैदा की है कि सरकार का रुपया खा लिया जाय। सरकार जो रुपया देती है उसका सदुपयोग नहीं होता। आप उसको रोक नहीं सकते। अगर रोक सकते हैं तो रोकें। लोगों के दिमाग में, एब्यूज़ ऑफ पॉवर से उनके दिमाग में, यह स्थिति पैदा हो गई है कि सरकार का रुपया दुरुपयोग करने के लिए ही होता है। वे लोग गांव के लोगों का रुपया खाते हुए डरते हैं और यह समझते हैं कि गांव का रुपया अगर खा गये तो गांव के लोग नाराज हो जावेंगे। अगर सरकार का पैसा, जो सहायता के रूप में दिया जाता है खा जाते हैं तो उसका कुछ नहीं होता है। वे समझते है कि ज्यादा होगा तो सरकार हिसाब ही तो मांगेगी। अगर हिसाब मांगती है तो गलत हिसाब दे देते हैं और अगर पकड़े जावेंगे तो माननीय मंत्री से हाथाजोड़ी कर लेंगे।

मैं थोड़े से शब्दों में यही निवेदन करूंगा और कहूंगा कि इसमें सुधार करने के लिये सरकार को कुछ इस प्रकार के प्रयोग करने होंगे कि जिससे उनके कैरेक्टर सुधर जावें। अगर पंचायत समिति के सदस्य या और कोई पंचायत का सरपंच अपने पावर का मिसयूज़ करता हो तो उसमें भी सुधार करना होगा। आपको उनकी भाषा, भावों में समावेश करना होगा। आज उनमें बहुत सी कमियां हैं। वे लोग विकास के कार्य के लिये स्कूल बनावें, कुंए खुदवावें तो कुछ काम करवा कर कह देते हैं कि काम हो गया। तो यह कहूंगा

Page No.109

(श्री भैरोंसिंह)

कि कुआं बना है उसमें ५ या ४ हजार रुपया लगा है तो वह सरकार का ही लगा है । सरकार ने ४ या ५ हजार की उसको तकावी दी है जनता का सहयोग उसमें कुछ नहीं दिया गया है ।

मैंने इन्हीं बातों को सरकार के ध्यान में लाने के लिए कटौती का प्रस्ताव पेश किया है । मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर विचार करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं; एक तो बीकानेर और लूणकरणसर पंचायत समिति एरिया में लोकल डेवलपमेंट वर्क्स के काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा कराने हेतु और दूसरा मेरा प्रस्ताव है गोपल्यान गांव, तहसील लूणकरणसर के लोगों ने आज से साल भर पहले दो हजार रुपया पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन का जमा कराया था तालाब बनाने के लिए, उसे पंचायत समिति को ट्रान्सफर नहीं किया, उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाने के लिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर और लूणकरणसर दो पंचायत समितियां हमारे बीकानेर में हैं जिनका एरिया हम ध्यान में रखें तो वह ४ हजार वर्ग मील का है । वहां पीने के लिए पानी की जो समस्या है वह बहुत गंभीर है । वहां पानी बहुत गहरा मिलता है और कुएं बहुत गहरे मिलते हैं, पानी के लिये लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और बहुत खर्च करना पड़ता है । राजस्थान सरकार वाटर सप्लाई के लिए रुपये देती है वह बहुत थोड़ी मात्रा में देती है जिससे वे काम पूरे नहीं हो सकते । इस साल बीकानेर और लूणकरणसर के लिये १० हजार और १२ हजार रुपये क्रमशः दिये गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, १० हजार और १२ हजार में एक छोटा सा टैन्क भी नहीं बन सकता है, अगर एक कुआं भी बनाना चाहें तो वह नहीं बन सकता । इसलिए वहां की सारी स्थानीय दिक्कत है उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कटौती का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है । दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है पंचायत समिति में कई स्कूल और कहीं कुएं का काम अधूरा पड़ा हुआ है । जब जल बोर्ड बना था उस समय से वे काम अधूरे पड़े हैं । कुछ कुएं और बावड़ियों का काम अधूरा पड़ा हुआ है । अगर सरकार उन अधूरे कामों को पूरा करावे तो मैं समझता हूँ कि एक-दो लाख रुपयों की आवश्यकता होगी । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे पंचायत समिति को यह डाइरेक्शन दें कि जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करा दें और जनता का जो श्रमदान हो उसका सही ढंग से उपयोग हो ।

दूसरा छोटा सा प्रस्ताव है दो हजार रुपया गांव के लोगों ने पब्लिक कान्ट्रीब्यूशन दिया है और वह गांव का पैसा दो साल से कलेक्टरेट में रखा है उसको ट्रान्सफर करा दिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) I don't want to move.

श्री उपाध्यक्ष : Now the Hon'ble Minister to please make a reply.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो कटमोशन इस मांग पर पेश हुए हैं उन पर श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि लोगों में सामुहिक भावना पूरी पूरी तरह नहीं हो पाई है। मैं इस बात को मानता हूँ कि बावजूद सरकार की कोशिश और दूसरी कोशिशों के सामुहिक भावना प्रत्येक ग्रामीण और नागरिक में पैदा नहीं हो पाई है क्योंकि अभी दो ही साल इस योजना को चलाये हुए हैं। अगर उनकी इस बात की तरफ ध्यान दिलाने की मंशा है तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। सरकार की यह मंशा है कि यह काम हो, मगर यह काम मानस परिवर्तन का है और यह जादू की तरह से नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूँ कि जहां सरकार भरसक इस सम्बन्ध में प्रयत्न करती है वहां हाउस के सदस्यों का भी यह कर्तव्य है कि वे हाउस में और बाहर जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से काम करें तो यह कमी जल्दी से जल्दी दूर हो जायेगी। दूसरा माननीय सदस्य ने लूणकरणसर और बीकानेर के विषय में कहा कि उसमें २ हजार रुपये ट्रान्सफर का सवाल है तो मैं उसको देखूँगा कि किस कारण इसमें रुकावट आई है। अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आपने ध्यान दिलाया है तो यह वाजिब बात है और इसमें मतभेद नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : जब स्पेसिफिकली कट मोशन में है कि दो हजार रुपये नहीं मिल रहे हैं तो फिर माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि देखूँगा तो क्या देखेंगे ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप चाहते हैं कि आपको मिल जाय।

श्री चन्दनमल बैद : स्पेसिफिकली कट मोशन में है तो फिर क्या देखेंगे है

श्री हरिभाऊ उपाध्यक्ष : दो हजार रुपये कैसे दे सकते है ? क्यों नहीं दिये गये, यह सब जानकारी करने की बात है।

श्री चन्दनमल बैद : जब स्पेसिफिकली कट मोशन में माननीय सदस्य ने रखा है कि २ हजार रुपये नहीं मिल रहे हैं और माननीय मन्त्री महोदय के पास इसकी सूचना पहले ही पहुँच चुकी है तो इसका उन्होंने अब तक क्यों नहीं पता लगा लिया कि ये इस कारण से रुके हुए हैं, अब क्या देखना रह गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपके ख्याल से क्या उत्तर होना चाहिये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : स्पेसिफिकली 'देख लूँगा'।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रिकार्ड यहां मौजूद नहीं है और देख कर ही जवाब दिया जा सकता है।

आज माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया कि गबन और दुरुपयोग के मामले हैं, पंचायत समितियों के बनने से पहले के हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी मेरे पास शिकायतें आती हैं तो उनमें जो गबन के मामले होते हैं उनको बहुत सीरियसली लेता हूँ और इस मामले में डिपार्टमेन्ट भी देरी नहीं कर रहा है। १५ के करीब का ध्यान दिलाया तो उनके लिए

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ध्यान दिया जा रहा है। गबन के मामलों को लाइट हार्टेड होकर नहीं देखना चाहिये; नहीं देखे गये हैं और न ही देखे जावेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : स्पष्टीकरण जरा डिमान्ड का नहीं किया गया है, वह चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : डिटेल्स क्या हैं ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कौन सा रूल है जिसके कारण स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो बड़ा डिटेल का प्रश्न है।

डॉ० बहादुरसिंह : किस डिस्ट्रिक्ट में गबन के केसेज ज्यादा हैं ?

श्री चन्दनमल वेद : आंकड़े ही बता दें कि कुल कितने केसेज हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जितने हैं उनको ठीक किया जावेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो प्रश्न का विषय है। जानकारी ले सकते है प्रश्न करके कि कितने होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गबन की जानकारी आ गई है।

श्री उपाध्यक्ष : This is a question of the convenience of the Hon'ble member.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन स्पष्ट नहीं दिया है; फिर भी मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने के लिए आज्ञा चाहता हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : फिर क्या आश्वासन चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मान लिया है

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री भीमसेन ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसको उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसेन : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैं भी, चूंकि माननीय मन्त्री महोदय ने आज पहली बार अच्छा आश्वासन दिया है और स्वीकार किया है, इसलिए अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह : He has withdrawn...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५, मुख्य "शीर्षक ४७-का-सामुदायिक

(श्री उपाध्यक्ष)

विकास परियोजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६२ तक व्यय किये जाने के निमित्त श्रीमन् राज्यपाल महोदय को २९,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५२ स्वीकार की गई।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि राजनैतिक दृष्टिकोण से अकाल पंक्तियों के बारे में विचार न करके जो २ लाख जानवर मारे गए हैं उनके बारे में जो मांग है वह ले ली जाय। जिससे राजस्व मन्त्री श्री दामोदर-लालजी ने जो सचाई प्रस्तुत करने की कोशिश की है उसका दिग्दर्शन भी यहां हो जायगा कि किस प्रकार उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में सचाई है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : I now operate guillotine for the rest of the demands.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सहानुभूति मालूम हो गई।

शेष अनुपूरक मांगों पर मुख-बन्ध

मांग संख्या ४७ वा--राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक वा--राज्य सरकारद्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३५,८५,०० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४८--वाहनों पर कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ४८, मुख्यशीर्षक १२ वाहनों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,००० रुपये तक की राशि प्रदान को जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४९--न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५०--वैज्ञानिक विभाग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक ३९ वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

Page No.113

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय को ३,५४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५० स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ५१-विविध विभाग

प्रश्न यह है अनुपूरक मांग संख्या ५१, मुख्य शीर्षक ४७-विविध विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,५१,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५१ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ५३-नागरिक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण-कार्य' के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,१५,००० रु० तक की राशि और प्रदान को जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५३ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ५२-नागरिक निर्माण-कार्य-भवन और सड़क (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य-भवन और सड़क (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५२ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ५५—विविध

प्रश्न यह है अनुपूरक मांग संख्या ५५, मुख्य शीर्षक "५७ विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,८१,७२००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५५ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ५६-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी-लेखा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५६-का-मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५६ स्वीकार की गई ।

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६६१ (पुरः स्थापन)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(नं० ४) बिल, १९६१ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के पुरःस्थापन से पहले मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : But we have operated guillotine for the rest of the demands.

श्री भैरोंसिंह : It does not cover......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Guillotine does not apply to the passing of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : This Bill is coming for consideration tomorrow. You will have a right...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a Point of information, how can Bill be taken for consideration tomorrow when the Honse is discussing today the supplementay grants, The Governor must have fixed a date for discussion of supplementary grants and the excess grants. Both the Bills cannot be passed same day. Therefore definilt dates must have been fixed to pass them separately. The House is not authorised to change them.

श्री उपाध्यक्ष : Can you enlightun me with some provision to support this ?

श्री श्रीभानसिंह : These are the two demands. One is supplementary and the other is excess. But the dates for their discussion and passing must have been fixed by the Gouernor. And Probably the Governor has fixed 18th for the supplementary grants, so the Appropriation Bll cannot be taken on 19th and cannot be passed the same day. One is supplementary aud the other is excess and, therefore, these two cannot be taken on the same day and the Governor must have fixed some separate dates. On financial matters the House has to discuss them under the directions of the Governor. Therefore we must know which dates were fixed by the Governor for the introduction of the supplementry grants and for the Bill. If it was fixed, then supplementry grants must have been fixed for 18th and 19th for Appropriation Bill. The House cannot change the dates.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय को केवल यह अधिकार है कि वे डाइरेक्शन देते हैं कि किस तारीख को एप्रोप्रियेशन बिल इन्ट्रोड्यूस किया जाय, किस

Page No.115

(श्री भैरोंसिंह)

तारीख को सप्लीमेन्टरी और एक्सेस ग्रान्ट्स ली जाय। ऐप्रोप्रियेशन बिल के पास करने के बारे में वे किसी प्रकार भी डाइरेक्शन नहीं दे सकते। हाउस चाहे कभी भी एप्रोप्रियेशन बिल पास कर सकता है, उसके लिये डेट वे फिक्स नहीं करते। इसलिये इस बिल को कल लेने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I am just ascertaining the issue.

(विराम)

The date 18th has been fixed. where is the hitch? It is only fixed for 18th.

श्री भैरोंसिंह : There is no hitch.

श्री उपाध्यक्ष : So we will take it tomorrow and we now adjourn to meet tomorrwat 11a. m.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४.५५ बजे दिनांक १९ सितम्बर, १९६१ के म. पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, १८ सितम्बर, १९६१)

	स्तम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	११७८
कोटा (quota) के माल की चोर बाजारी।	
सांचोर-रानीवाड़ा सड़क।	
पब्लिक लाईब्रेरी, बीकानेर की पुस्तकें।	
कोटा नगर में बिजली की दर।	
ग्राम खवासपुरा के भूमिहीनों को भूमि।	
जौहरी मल्टीपर्पज हायर सेकन्डरी स्कूल लाडनू।	
सांगानेर से सोढ़ाला होकर अजमेर रोड को मिलाने वाली सड़क।	
जयपुर-भरतपुर सड़क।	
एडीशनल कमिश्नर।	
उनियारा हाई स्कूल की नई इमारत।	
मैसर्स एमरी स्टोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, कुचामन रोड।	
घासमारी टैक्स की वसूली।	
निधियों का नियतन।	
नीम का थाना-पाटन रोड।	
ग्राम शिवडूंगरी के बीड़-तहसील चाकसू।	
सड़क का विस्तार।	
सूकड़ी एवं चन्द्रावती पर दीर्घ क्रोस ड्रेनेज कार्य।	
चुरू जिले के चौधरियान को पिचोतरा।	
चकबन्दी का कार्य।	
सूरतगढ़-लूणकरणसर सड़क।	
रतनगढ़-फतहपुर सड़क के मोड़।	
देवस्थान विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन।	
प्रतिवेदन का उपस्थापन	१२४६
श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति (Business Advisory Committee) के तेईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया। तत्पश्चात् प्रतिवेदन पर सदन द्वारा अपनी सहमति भी प्रकट की गई।	
अनुपूरक एवं अधिक अनुदानों, मांगों का उपस्थापन	१२४८
श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, ने निम्नांकित अनुपूरक	

एवं अधिक अनुदानों की मांगों के विवरणों का उपस्थापन किया :---

(i) अनुपूरक अनुदानों की मांगें (प्रथम खण्ड), १९६१-६२, तथा ।

(ii) अधिक अनुदानों की मांगें १९५७-५८ ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष १२४८

उपरोक्त मांग श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत की गई । इस मांग पर ३ कटौती प्रस्तुत किए गए । वाद-विवाद के पश्चात् २ कटौती-प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार किए गए एवं एक वापस ले लिया गया ।

मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

(२) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ४७-- का- सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य १३८८

उपरोक्त मांग श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत की गई । इस मांग पर कुल तीन कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए ।

वाद-विवाद के पश्चात् तीनों कटौती-प्रस्ताव वापस ले लिए गए ।

मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

निम्नांकित अवशेष मांगो पर मुखबन्द (Guilotine) का प्रयोग किया जाकर उन्हें सदन द्वारा स्वीकार किया गया :—

क्र. सं.	मांग संख्या	मुख्य शीर्षक
१	२	३
१	५७	ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम ।
२	१८	१२-वाहनों पर कर।
३	१९	२७-न्याय प्रशासन
४	५०	३६-वैज्ञानिकविभाग
५	५१	४७-विविध विभाग
६	५३	५०-नागरिक निर्माण कार्य तथा नागरिक
७	५३	५०-निर्माण कार्य भवन और सड़क (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय
८	५५	५७-विविध

६	५६	८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६६१

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६६१ को पुरःस्थापित किया।

सदन की बैटक ४ बजकर ५५ मिनट पर मंगलवार, दिनांक ११ सितम्बर, १६६१ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

मगलवार, दिनांक १६ सितम्बर, १६६१ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६६१-विचार विमर्श एवं पारित।

(२) अधिक अनुदान की मांग संख्या ७४ मुख्य शीर्षक २१-पुलिस-कटौती प्रस्तावों की प्रस्तुति एवं मांग की स्वीकृति।

(३) राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६६१-पुरःस्थापन विचार विमर्श एवं पारित।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५३ का उत्तर देखिये)

सूची जिन जिन व्यक्तियों व फर्मों द्वारा कोटे का माल सही व ठीक उपयोग न करना पाया गया और जिनका कोटा बन्द कर दिया गया

१. आलोक इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, भगत भवन, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर

२. लक्ष्मी आइरन गैस व माइनिंग वर्क्स, मुंशीमहल रामगंज बाजार, जयपुर

३. इलेक्ट्रिक एसोशियेशन मैन्यूफैक्चरिंग कं. शिव सदन का रास्ता, जयपुर

४. गुप्ता मेटल इन्डस्ट्रीज, जम्वा रामगढ, जयपुर

५. अग्रवाल मेटल इन्डस्ट्रीज, जम्वा रामगढ, जयपुर

६. हिन्दुस्तान मेटल वर्क्स, दौसा

७. गनेश आइरन, जयपुर

८. शाहपुरा आइरन एन्ड स्टील वर्क्स, शाहपुरा

९. आदर्श उद्योग सहकारी समिति, जयपुर

१०. जयपुर ओटोमोबाइल इन्डस्ट्रीज, भगतसिंह मार्ग, सी स्कीम, जयपुर

११. बजाज एन्ड कं० जयपुर

१२. ब्लेकस्मिथ कोआपरेटिव सोसाइटी, घाट गेट, जयपुर

१३. आदर्श उद्योग सहकारी समिति, जयपुर

१४. गुगेज एन्ड वॉयज मैन्यूफैक्चरिंग कं० जयपुर

१५. अग्रवाल आइरन इन्डस्ट्रीज, भरतपुर

१६. माधोप्रसाद एन्ड सन्स, भरतपुर

१७. शिव हर आइरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज, भरतपुर

१८. भारत आइरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज, जयपुर

Page No.120

१९. महावीर इन्जीनियरिंग वर्क्स, भरतपुर

२०. किशनलाल श्यामलाल, भरतपुर

२१. राकेश इम्प्लीमेन्ट वर्क्स, भरतपुर

२२. विजय आइरन फैक्ट्री, भरतपुर

२३. हरमन इन्डस्ट्रीज, डीग

२४. जैन आइरन इन्डस्ट्रीज, भरतपुर

२५. खन्डेलवाल ट्रेडिंग कं०, भरतपुर

२६. अशोक आइरन इन्डस्ट्रीज, भरतपुर

२७. शामलाल टीकमचन्द, कोठारी, भरतपुर

२८. शर्मा आइरन वर्क्स, भरतपुर

३०. मानूराम मदन मोहन, भरतपुर

३१. कालूराम छोटेलाल, डीग : भरतपुर :

३२. फूलचन्द राजेन्द्र प्रसाद, डीग, भरतपुर

३३. मुन्नालाल मदनलाल, डीग

३४. बाबूलाल विश्वम्भर दयाल, डीग

३५. हरी शंकर ब्रा० एन्ड कं० कुम्हेर

३६. नारायणदास एन्ड कम्पनी, कुम्हेर

३७. आदर्श इन्डस्ट्रियल कोरपोरेशन, धौलपुर

३८. सुरेन्द्र इन्डस्ट्री, धौलपुर ।

१४१६

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५५ का उत्तर देखिये)

LIST OF BOOKS AND BOOK NO. SHOWING DUE IN THE REGISTER AGAINST BORROWER NO. NOTED.

S. No.	Name with No.		Book No.	Due Date
1.	Shri R. K. Chaturvedi	95	823/H128	17-1-57
2.	,, Nanami Shanker	2338	891.433/AV550	12-7-56
3.	,, Rajavi Roop Singh	335	622/B738	12-1-57
4.	,, Lal Mohan Lal Motha	520	4835	24-3-58
5.	,, Deva Ram	600	541.2/G444	26-3 56
6.	Left. K. Jai Singh	646	236.2/H56M	20-6-57
7.	Dr. Chhagan Lal Mehta	884	6262	12-11-59
8.	,, Jagdiah Prasad	843	4200	23-12-60
9.	Dr. Chhagan Lal Mehta	884	5269	21-11-59
10.	,, Dhokir Noor Singh	894	03633	5-12-60
11.	—do—	—	37702	—do—
12.	,, M. Man Data Singh	902	891.22/RA25/A	23-3-56
13.	,, Sohan Singh Bhati	914	0416	11-11-47
14.	,, Bhim Sen Modi	975	7831	20-7-49
15.	,, Raj Narayan Acharya	1004	03012	21-1-49
16.	,, Thakur R. Gur Baksani	1010	8990	[illegible]-12-60

Page No.122

1	2		3	4
17.	,, Shree Kishan Bhatnagar	1075	4440	3-12 47
18.	,, Nathmal Damani	1123	920/Dro5150	28-11-56
19.	,, Prem Ratan Rathi	1161	912	24-9-48
20.	,, —do—	—	7433	—do—
21.	,, Rirhmal Dan	1165	4385	20 11-59
22.	,, Ved Prakash	1172	3201/367G	4-4 58
23.	,, Narain Dass Daga	1191	02618	22-11-48
24.	,, Durga Purusarthi	1202	01497	15-8 49
25.	,, Hukam Chand	1250	891.433/SU6514	25-9-61
26.	,, Singhar Singh	1291	954/B71Bha 791 1C	9-3-58
27.	,, Bhoopendra Singh	1312A	891.432/Bhal18 ovc	20-8-55
21.	Miss Bimla Rani	1340	7603	30-11-50
29.	,, S. M. Telang	1385	823/8650	15-10-56
0.	Shri Parma Nand	1439	891.53/Cha 41 Vol. I	3.3.56
31.	,, Shankar Lal	1561	2823·2/phi710a	17.8.59
32.	,, Jagmal Singh	1479	04027	8.9 50
33.	,, Om Prakash Bhatnagar	1510	891.433/K665 Ank	24.1.51
34.	,, Capt. A. G. Singh	1524	8295	20.11.60
35.	,, Rajendra Prakash	1554	891.433	6.6.52
36.	,, J. Bhagirta	1617	323.41/T128	9.5.56
37.	,, Mahandra Singh	1631	793.8/D49	6.11.33

1	2		3	4
38.	„ D. C. Kirwan	1708	909/W488	24.12.56
39.	„ Karan Singh	1711	901/R58IT	11.5.52
40.	„ Shyam Lal	1727	192/891C	9.5.56
41.	„ Kedar Mal Binani	1734A	891.433/De6710	26.11.56
42.	„ Deo Ratan Singh	1736A	891.433/R6 Chal	10.6.57
43.	—do—	—	Vol. II	—do—
44.	„ Govind Sharma	1788	891.433/Re 65	9.3.56
45.	„ S. Kailash Narayan	1789	891.433/Re 65 Lay	—do—
46.	„ Shri Narayan	2361	891.433/ S 63 say	31.7.55
47.	„ Satya Gopal Mundhra	2181	08789	2.1.61
48.	—do—	—	06497	—do—
49.	„ Mohd. Abhrahim	2223	391.439/ Pre 59 pa	7.10.55
50.	—do—	—	7400	—do—
51.	„ Om Prakash Srivastava	2324	891.433/Re 67A	25.10.55
52.	„ Satya Narayan	2476	891.433/201 W65	2.11.56
53.	„ Shankar Lal	2644	133.6/61 2	11.11.55
54.	„ Saiyad Asamdani	2650	823W586C	6.10.57
55.	—do—		—do—	—do—
56.	„ Jagmal Singh	2723	982/VS67	23.5.59
57.	„ C. B. Shah	2807	10672	20 9.59

1	2		3	
58.	Shrimati Santosh	2944	10970/D7P	8.5.59
59.	Shri Chattar Singh	2990	891.433'RS16 pre	15.5.58
60.	—do—	—	—do— Shri 402 pre	—do—
61.	,, Prag Chand	3026	320 D45P	19.8.58
62.	,, Nek Ram	3060	6761	20.11.59
63.	,, Krishna Kumar	3114	133.5/Ka 31A	14.2.59
64.	Krishan Kumar	3114	891.245/Ra 594 gen	14.2.59
65.	Vishweshar Swaroop	3135	954/A. b. Ak. Vol. 13	9 6.59
66.	—do—	—do—	Vol 2	—do—
67.	Smt. Shanta Verma	3160	03900	11.9.59
63.	—do—	—do—	0509	—do—
69.	Shree Shri Lal	3192	8136	6.4.60
70.	—do—	—do—	3689	—do—
71.	Udai Shanker	3206	02345	6.2.60
72.	—do—	—do—	04432	—do—
73.	Thawar Mal Soni	3205	3559	5.2.60
74.	—do—	—do—	4253	22.2.60
75.	Pratap Singh	3313	02963	17.2.60
76.	—do—	—do—	03360	—do—
77.	Bachhraj	3386	03214	29.2.60
78.	Chandra Shekhar	3387	10642	7.3.60

1			4
79. Shri Deo Kishan	3388	7331	28.11.60
80. ,, Attar Singh Nagpal	3143	11303	13.3.60
81. ,, Goverdhan Lal	591	891.133/Cu 65 pa	7.6.59

LIST OF CARDS OR BOOKS AGAINST BORROWER No.

S. N.	Account No.	Name of Book	Author	Due Date	Borrower No.
1.	04571	Kan Pakrey	Shokatthanvi	13.5.59	3152
2.	04787	Akhiri salam	Faster E.M.	18.4.60	2529
3.	05864	Dhooplatá	Elachand Joshi	-do-	-do-
4.	505	Desperata Ramedies	Hardy Thomas	17.5.60	1688
5.	08754	Toophan ke Bad	Rajandra Kumar.	4.6.60	3297
6.	1625	Louise Dela Valli-era.	Dumas	29.6.60	3359 A
7.	6947	Wide House	Cold well	-do-	-do-
8.	11241	Suffering of young	Wenthern Goethe	18.7.60	412
9.	10770	In the shadow of guillatine	Sabotine, R.	22.7.60	-do-
10.	1556	Cultural Heritage India.	of Ramkrishan	-do-	2928
11.	3506	Ordeai of Richard	Meredith	25.7.60	3338
12.	8162	House of Shivaji	Jodunath Sarkar	26.7.60	3669
13.	07394	Girha vigyan	Hanh Sen	27.7.60	3253
14.	7326	Govt. of Europe	Munro, W.B.	2.8.60	1994
15.	10626	International Politics	Schuman F.Z.	-do-	-do-
16.	0185	RamCharita Manas	Tulsidass	-do-	-do-
17.	06195	Yatrartha Aur Kalapnal	Viraj	3.8.60	3484

1	2	3	4	5	
18.	05007	Aurangzeb	Yadunath Sarkar	-do-	3050
19.	010015	Kautilya	Bandyopadhyaya	-do-	P.C. Jain
20.	1655	Arthsastra	R. Shamshastry	-do-	
21.	4962	Minister as Kind Moker	Ishwara	-do-	
22.	4329	History of Dharam Shastra.	Kene P.V.	-do-	

LIST OF BOOKS ISSUED TO VARIOUS OFFICERS AS ORDERED BY THE LIBRARIAN.

S. no.	Account No.	Title.	Author	Officer's Name.
1.	10447	Sexual Behaviour in human female	Kinray	M.G. Tiwari Asstt. D.E.S.E.
2.	1581	Rajatarangini	Kalhana	Principal D.College.
3.		Art and Architecture of BKN	Goet, H.	Sh. Venktacharya,
4.		Gamestar.	Sobotine, R.	Harisrivastwa.
5.	10923	Theory of Biding	Squire	B. Sinha.
6.	11568	Guide to Bridge Conbebtion.	-do-	Returned on 31.8.60
7.	11567	Winning of devence.	Brown	-do-
8.	8966	Corryon Jee vas	Woodhouse	Collector.
9.	11389	Reserve Bank of India and Monetary management	Gupta. G.P. D.E.	Sexena,
10.	11140	Rural University	Tavakar N.G.	-do-
11.	0776	10 Yrs entertainment	Queen Ellery	Collector.
12.	7719	Sred Harrdings.	Sayers, D.L.	-do-
13	9900	Jeeves	Woodheuse.	-do-
14.	06022	Haha Dhah	Sharat Chandra.	-do-
15.	9545	Geopoltics.	Gyorgy, A	S.Venkatacharyya.
16.	8911	Ape and Essence	Huxley, aldets	-do-

1	2	3	4	5
17.	954.7/SA 72	Sivaji and His Times.	Sarkar	S. Makhan Singh
18.	8749	History of Maratha	Sardesai G.S.	-do-
19.	R.954.7./BSM	Militiry system of Maratha	Sen,S.	-do-
20,	294/S/F23/M	Modern Rel. Mouts in india	Tarquarker, J.N.	Principal Sud. College.
21.	9757	New China.	Grillain.	Srivastava.

१५२५]   परिशिष्ट

LIST OF DOUBTFUL CARDS AS NOTED AGAINST NAME.

S. No.	Account No.	Title.	Author	Mamber's Name.
1.	11414	Banking in India.	Panandilen, S G,	Sexcna.
2.	10809	Reading in physical Policy	Keynes,	Shri. Gajrajsingh
3.		Comb Host. of Eng. Literature		Dr, Laxminaraya
4.	10419	General knowledge.	Guiz.	R G. Gupta.
5.	3707	Office Management,	Liffingwell	R K. Pandey.
6.	9837	Text Books & Syllabus of folty if arts. Part 1	University of Rajputana.	S. Bhagasingh
7.	9467	Winuing your way with people	Ingram K.	Srivastaua.
8.	9053	Sexual Life of Savages	Malinowski, B.	Kapoor.
9.	10771	Early adventures of Roger Brolk.	Wheetlay, D.	Sh. Shivnath.
10.	8135	Arith. for engin eerers	Clapham, C.B.	Makhan Inderjit.
11,	823/B94R	Returns of Terzen	Burroughs, E.R.	Anil
12.	10774	Kings General.	Maurier, D.	Naeg.
13.	843/m44	Oliver orchard.	Manpassant.	Thapper.
14.	7730	Comes the reckonning	Lockhart.	R.P. Srivastava, DE
15.	9564	Autobiography	Keitha	Sh. Venkatacharyya
16.	05052	Seedhae Chadbay	K.M. Munshi	D.E.
17.	06091	Sagar Legreta ur Manushya	Bhtt.	-do-
18.	06641	Adhkhili	Deveshdass	R.S. Nag.
19.	6090	Ludhkatey Pathar.	Gurudutta.	Prof. Sahney.

1	2	3	4	
20.	4607	Saral Vigyan	Syamsunder	Miss Satu.
21.	05610	Ala:ngeer	Chatursen	Dr. Auri.
2?.	04013	Kavi Tavali	Tulsi Dass.	Mrs. Mehta.
23.	10305	Aple Tree	Demeaurier	Bhagat Singh.
24.	03547	Jhuj jar Teja.	Lajjaram.	R.K. Gupta.

LIST OF BOOKS WHICH ARE WITH THE EX-LIBRARIAN.

S. N.	No. Class	Account No.	Title.	Author.
1.	020/B61 N	3499	Manual of Lib. Economy.	Brown, J.D.
2.	321P4/M96F.	8415	From the Leauge to U.N.	Murray, Q.
3.	320.1/L330.	9601	Grammer of Politics,	Looki, H.J.
4.	341.1/L4321	3638	International Law	Lawrence.
5.		11000	India in World affairs.	Keruanak aram, K.P.
6.		11408	British foreign Policy	Foot, M K.D.
7.	320.9/SAIM	10860	History of Political theory	Sohine, G.H.
8.	320/166R.	8779	Recent political thoughts,	Coker framics.
9.	1/J71M	11006	Masters of politicel thoughts	Jones. W.T.
10.		07246	Rajniti shastra ke Mool sidhant	Iqbal Narayan.
11.	342.64/Kri51	05661	Saral Rajya vigyan -to.	A.M.Babmw 61.
12.	950/Sa41A	05753	Asia ka Adhunik Etihas.	Satyaketu.
13.		07272	Antrarastriya sambandh	Haridutta.
14.		07274	Europe ka Adhunik Etihas.	Satyaketu.
15.		06712	Rajntik Vichardharayen	Ganeshprasad.
16.		07268	Arthsastra sindhanta Aur Vishleshan	Kapil deo
17.	342/Bii Vi	05140	Vishwa Ke Vidhan	Equbal Narayan
18.	540/Fhoo 65	0631	Sadharan Rasayan	Phooldeo Sahai
19.	K770	04612	Samajik Gyan.	Kesri Mal.

(नोट :— सूची की मूल प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५६ का उत्तर देखिये)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No RSEB/PS/CH/F. (63) D. 1778.   Jaipur 18th August, 1961.

NOTIFICATION

The Rajasthan State Electricity Board has, with the concurrence of the Government of Rajasthan, approved the Low Tension and High Tension Tariffs for energy to be supplied in the Chambal area as per Schedule A (For Low Tension) and Schedule B (for High Tension), subject to the following conditions:—

(i) These tariffs are provisional pending fixation of permanent tariff for the supply of power from the Chambal Project.

(ii) These tariffs will be applicable with effect from the Ist July, 1961 and only in these places where hydel-power from the Chambal Project is supqlied.

(iii) In the case of High Tension Tariffs;

(a) It will be up to the consumer to opt to take power either according to the two part tariff or slab tariff.

(b) As it will take some time for the special equipment necessary for metering supply of power on the basis of a two part tariff to be procured and installed, a flat rate tariff of 9.5nP per unit is sanctioned till such time as metering equipment etc. are arranged.

(iv) The general conditions normally applicable in respect of supply of High Tension and Low Tension power shall apply in the case of supply of power from the Chambal Project as well.

(v) These rates are without prejudice to any special arrangements tha may be made, including special rates, in respect of any particular industry or class of industries by the Electricity Board in consultation with or at the instance of the Government in pursuance of Government's industrial policy.

By Order

Sd/-V. Mudgal

Secretary,

LOW TENSION TARIFF FOR SUPPLY OF HYDRO ELECTRIC POWER FROM THE CHAMBAL PROJECT.

System of supply ; A.C. 400/230 Volts, 3 phase, 4 Wire 50 cycles

Class of Consumer.	
A-Domestic.	
(1) Lights. fans and Radios Minimum charges.	37 np. per unit. Rs. 2/- per service per month for lighting.
(2) Heat and Power. Minimum charges.	19 np. per unit. Rs. 5/- per service per month for power.
B-Commercial & General Purposes ;	
(1) Light and fans Minimum charges.	37 np per unit. Rs. 2/- per month per service for lighting.
(2) Heat & Power Minimum charges.	19 np per unit. Rs. 5/- per service per month for power.
C-Small Power L.T.) (Upto 20 KW M.D.)	12,5 np per unit. 30 units per month per BHP connected as minimum charges.
D-Medium power (L.T.) (Above 20 KW upto 100 KW M.D.)	12.5 np per unit. 30 units per month per BHP connected as minimum charges.
E-Street Lighting Tariff.	25 np for 10% of the total consumption during the month and 22 np for the remaining 90% minimum wattage of lamp permitted being 40 watts. Provided that where the present rate is lower than the above tariff those rates will continue during the interim period.
F-Public Water Supply : (High Tension or Low Tension)	16 np per unit.
C-Irrigation :	

(High Tengion or low Tension)	12 np per unit duing peak hours and 10 np per unit during slack hours (10.000 p.m. to 7 00 a m.) Rs. 5/- per month per service minimum charges. For agriculture land asseseed to Land Revenue,

Temporary Supply.

(1) Temporary supply shall be distinctly wired on a separate circuit.

(2) Maximum period of temporary supply three months, but can be extended at the discretion of the competent authority upto six months over all for any one consumer.

(3) Rates :

(i) Light & Fans	As per tariff for A&B (Domestic and Commercial) Except minimum of Rs. 10/- per service per month or part thereof.
(ii) Power	As per Tariffs for A&B (Domestic and Commercial) except minimum payment of Rs. 15/- per fortnight or part thereof.
4) Service connection charges.	Actual plu 10 per cent.
(5 Meter Hire	According to the standard schedule ot rates. Part of a month will be reckoned as full month for purposes of billing.
(6) Advance.	Estimated energy consumption charges and service connection charges are payable in advance before taking up the work, subject to replenishment from time to time and abjustment as per final bill after disconnection.

SURCHARGE :

The following surcharge will be payable in addition if the L.T. Bill Sare not paid by the consumers within the period prescribed.

(i) In the case of Street Lighting Tariff, a surcharge of neep ro

cent of the bill per month shall be levied if the bill is not paid within thirty days of the date of the bill.

(ii) In case of other tariffs if the bill is not paid within 17 days from the date of the bill surcharge will be payable at the following rates:

For L.T. Tariffs A&B	3 np. per unit.
For L.T. Tariffs C,D,F & G	1 np. per unit.

HIGH TENSION TARIFFS FOR SUPPLY OF HYDRO ELECTRIC POWER FROM THE CHAMBAL PROJECT

These Tariffs are applicable only for loads with M.D. in excess of 100 KW.

System of supply : 11,000 or 33,000 volts A.C., 3 phase 50 cycles.

Class of Consumer.

I. INDUSTRIAL TARIFFS.

(1) Two-part Tariff

Demand charge per KW. of M.D :—

First 500 KW	Rs. 7.50 per KW per month.
Next 1,000 KW	Rs. 7.00 -do-
Above 1,500 KW	Rs. 6.50 -do-

plus

Energy charge :—

First 50,000 units p.m.	5.98 np per unit.
Next 1,50,000 units p.m.	5.82 np per unit.
Next 3,00,000 units p.m.	5.51 np per unit.
Over 5,00,000 units p.m.	5.20 np per unit.

Tariff Minimum

The maximum demand charge on the billing demand or on the contract demand, whichever is higher is a monthly minimum charge whether energy is consumed or not.

(2) Slab Tariff.

First 5,000 units per month	11.45 np per unit.
Next 20,000 units per month	10.82 np per unit.
Next 75,000 units per month	9.89 np per unit.
Over 1,00,000 units per month	8.32 np per unit.

Tariff Minimum

The tariff is subjetc to payment for a minimum annual consumption of 600 units per KW of highest recorded maximum demand over the year or the contract demand (which shall in no case be less than 50 KW whichever is higher. If the actual consumption falls short of the minimum stated above, the deficit units shall have to be paid for at 11.45 np per unit.

NOTE: Supply of power under the Industrial Tariff is intended for Industrial motive power only. However, the consumer is permitted to use the electric energy supplied upto to 5% of the monthly consumption for purposes of providing lighting and ventilation etc. within the premises for which the supply is given.

POWER FACTOR CLAUSE:

The Demand charge mentioned in the two part tariff will be increased by 35 np. per KW for each one per cent by which the averege monthly power factor of the consumer falls below 85%. Should the P F. fall below 70% the installation will be disconnected till steps are taken to improve the same to the satisfaction of the B ard.

o -

For this purpose the average monthly power factor is defined as the ratio of the sum of all the KWH meter readings on the feeders of the [illegible] in the month to the sum of all KVAH meter readings on the feeders. This ratio will be rounded off to two figures, 5 or above in the third place of decimal being rounded off to the next higher place in the second.

The monthly maximum demand for billing the consumer under the tariff will be based on the average monthly maximum KW demand for the previous calender months, commencing from January of each year and ending with the month in question always provided that this average is not less than either the average demand chargeable for any previous monh in the calender year or the average demand in the preceding calender year whichever is greater. For the first calender year,s service, the demand for any month will be based on the average monthly demand for all the months ending with the month in question with the same provis as aforementioned.

Provided further that if the maximum demand so calculatmed is less than either 50 KW or 75% of the contract demand, the maximun demand for billing shall be taken as 50 KW or 75% of the contract demad whichever is greater.

Voltage of supply will be at 11,000 volts or at 33,000 volts at the option of the Board. Supply at any other voltage if feasible is subjec to negotiation.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिये)

सूचि

क्रम संख्या	नाम	रुपये
१.	जालोर	४,८३० रुपये
२.	आहोर	७,५८८ ,,
३.	भीनमाल	२,६३१ ,,
४.	सांचोर	१६,५६८ ,,

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७० का उत्तर देखिये)

प्रतिलिपि संख्या एफ. ३:३६: प्लान I. ६० दिनांक २० जून, १९६०
राजस्थान सरकार योजना विभाग, जयपुर की ओर से
समस्त पंचायत समितियों के नाम

राजस्थान के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया जा रहा है उसमें पंचायत समितियों द्वारा जो विकास कार्य किये जाने को है उनके लिये विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित धनराशि का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है। विभिन्न-विभिन्न योजनाओं के लिये पंचायत समिति कितना कितना धन निर्धारित करना चाहती है. उसका विवरण तालिका के स्तम्भ ८ से १२ तक अंकित कर भिन्न-भिन्न मदों के लिये अपने प्रस्ताव (Proposals) जिला परिषदों. क १५ जुलाई १९६० तक भिजवा दें। जिला परिषदें उक्त प्रस्ताव अपने सुझावों सहित २२ जुलाई, १९६० तक सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को भेजेगी।

कुछ रुपया पंचायत समितियों को ऐसी नई स्कीमों के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया है जिनसे पैदावार में वृद्धि हो। इस धनराशि में से प्रत्येक पंचायत समिति को जितना धन वितरित किया गया है उसकी तालिका इस परिपत्र के साथ भेजी जा रही है। इस रकम में से पंचायत समिति कोई भी स्कीम जिसमे उत्पादन में वृद्धि हो, ले सकती है। चाहे वह योजना कृषि, पशु-पालन, वन आदि किसी भी मद की हो। इस रकम के लिये जो प्रस्ताव भेजे जावें वे विभागाध्यक्षों द्वारा निर्धारित रकमों के प्रस्तावों से पृथक होने चाहियें और इसकी पृथक तालिका बनाई जाय। इन स्कीमों के खर्चे का ४० प्रतिशत भाग सरकार देगी व बाकी ६० प्रतिशत पंचायत समितियों को जुटाना पड़ेगा, इन स्कीमों के प्रस्ताव पंचायत समितियां उस ही फार्म में भेजेंगी जिस जिस फॉर्म में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित धनराशि के प्रस्ताव भेजे जावेंगे। किन्तु फॉर्म का शीर्षक निम्न लिखा जाय :

"फ्री फन्ड में से किये जाने वाले कार्यों की तालिका"

इस तालिका के समस्त स्तम्भ पंचायत समितियां को ही भरने होंगे। इस सम्बन्ध में किसी को जानकारी आवश्यकता होने पर वह जानकारी सम्बन्धित जिला अधिकारी से ली जा सकती है।

इसी प्रकार पंचायत समितियां निजी खर्चे से जो कार्य करना चाहें उनके प्रस्ताव पृथक तालिका में भेजें। यह तालिका भी उस ही फॉर्म में जिसमें विभागाध्यक्षों द्वारा

निर्धारित धनराशि की स्कीमों के प्रस्ताव हों बनाई जायं। केवल इसका शीर्षक निम्न दिया जाय :

'पंचायत समिति द्वारा निजी धन से किये जाने वाले कार्यों की तालिका''

इस निजी धन के खर्चे वाली तालिका के स्तम्भ १,२,३,४,५,६,७,८,९,१० और ११ भरने की आवश्यकता नहीं है।

पंचायत समितियां प्रत्येक मद में अपने प्रस्तावों के साथ एक मेमोरेन्डम (Memorandum) भी बनाकर भेजेंगी। उस मद की स्कीमों की विशिष्ट मांगों Salien features का व्यौरा होगा। मुख्य लक्ष्यों का संकेत भी इसमें दिया जाना चाहिये।

पंचायत समितियों को विभिन्न मदों से संबंधित जो तालिकायें भेजी जा रही हैं उनमें यदि किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो व उसे समझने में कोई कठिनाई हो, तो तुरन्त उस मद से सम्बन्धित जिला अधिकारी से पूछताछ करें व अपनी कठिनाइयों को सुलझा लें। इस बारे में विभागाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित जिला अधिकारियों को आदेश जारी किये जा रहे हैं।

इस बात का विशेष ध्यान रक्खें कि यदि किसी पंचयात समिति से निर्धारित समय: अर्थात, १५ जुलाई १९६० तक योजनायें जिला परिषद् के पास नहीं पहुंचीं तो सरकार स्वयं उस पंचायत समिति को योजनायें बना लेगी और वह पंचायत समिति अपनी योजनायें स्वयं बनाने के लाभ से वन्चित रह जायेगी।

वन (Forest) के मद के अन्तर्गत आने वाली 'गांव के जंगलात' और चराई व चारागाह का सुधार सम्बन्धित योजनाओं के लिये पंचायत समितियां प्रस्ताव भेज सकती है। वन विभाग को पंचायत समितियों के पास इनके लिये कितनी जमीन उपलब्ध है उसकी सूचना नहीं है अतः पंचायत समितिवार बटवारा नहीं किया गया है। इन योजनाओं के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना में ६ लाख ४५ हजार (जंगलात) और २ लाख कार (चारागाह सुधार) का क्रमशः प्रावधान किया गया है।

छोटे ग्रामीण व कुटीर उद्योगों के लिये उद्योग विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति को ४५,००० रुपये वितरित किये गये हैं। इस रुपये से कौन कौन सी योजनायें ली जा सकती हैं उनकी विस्तृत जानकारी जिला उद्योग अधिकारियों को करा दी गई है। उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र की एक प्रति इस पत्र के साथ पंचायत समितियों की जानकारी के लिये भेजी जाती है।

गांवों को निकटतम हाइवे (Highiway) रेलवे स्टेशन या मुख्य जिले की सड़क (Major Distt. Road) से जोड़ने के लिये पक्की सड़क बनाने का प्रावधान भी है। धन राशि व नियमों की सूचना बाद में भेजी जावेगी। इसी प्रकार शिक्षा के मद में धन राशि व नियमों की सूचना भी शीघ्र ही भेजी जावेगी।

Copy of letter No. F. 3 (66) Plan/60, dated the 28th June, 1960, from the Dy. Secretary (Planning) to All Secretaries to Government, All Divisional Commissioners, All Heads of Departments and All Secretaries to Zila Parishads.

Sub:— Formulation of the Third Five year Plan.

I am directed to invite your attention to Planning Department's Circular No. F 3(66)Plan/60, dated the 28th June, 1960 and to state that the time schedule prescribed on page 7 of the above mentioned circular has been extended by one week at every stage of the formulation of the Third Five Year Plan.

(१)

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १८ सितम्बर, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
११७८	अंतिम से ४	मार्केट किया	मार्केट किया
११८०	६	कार्डस	कार्ड्स
११८२	१४	श्रा दामोदर लाल	श्री दामोदरलाल
११८२	अंतिम से ६	श्री श्रभानसह	श्री श्रीमानसिंह
,,	,, ,, ८	जिन्हाने	जिन्होंने
११८३	अंतिम से ८	श्री दामदोरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
,,	,, ,, ३	एए डप्लास्टिक	एण्ड प्लास्टिक
११८४	शीर्ष	(श्री श्री मानसिंह)	(श्री श्रीमानसिंह)
,,	७ व ८	कोआपारेटिव	कोऑपरेटिव
,,	१२	कार्यवाही	कार्यवाही
११८५	स्कम्भ	११५८	११८५
,,	१२	गयी है	गई है।
,,	अंतिम से ७	साति	साबित
११८६	२	दिया है,	दिया है।
,,	१३	आर	और
,,	१४	नहां	नहीं
११८७	४	गयी है	गई है
,,	८ व ६	assuraraunce	assurance
,,	अंतिम से ६	मल	मिल
,	,, ,, ४	लस्ट	लिस्ट
,,	,, , ३	श्रा भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
११८८	शीर्ष	(श्री भैरसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
११८८	१	मारकेंटिंग	मार्केटिंग
,	१०	भैरांसिंह	भैरोंसिंह
,,	१६	भैरोंसिह	भैरोंसिंह
११८६	अंतिम से १३	जाच	जांच
,,	,, ,, ३	वार्ते	बातें
११६०	,, ,, ५	challenged	Challanged
११६३	६	मेंसन् ५२	में सन् ५२

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
११६३	१३	९.७	१९५७
११६५	३	ge nera	general
,,	५	pleasce	please
,,	१३	per cent	percent
,,	अंतिम से १०	लाइमेरीज	लाइब्रेरीज़
,,	,, ८	भैरोंसिह	भैरोंसिंह
,,	,, २	कुछ ला जाती हैं	कुछ लो जाती है।
११६६	४	विश्नोई	बिश्नोई
,,	अंतिम से ३	टी भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	अंतिम पंक्ति	किताबे	किताबें
११६७	१	लाइमेरी	लाइब्रेरी
,,	१४	स्कूलों	स्कूलों
,,	१६	जितन	जितना
,,	२१	थी कि।	थीं कि
११६८	१३	जा रह है	जा रहा है
११६९	२५	श्री दयाकृष्ण बजब	श्री दयाकृष्ण विजय
१२००	शीर्ष	(श्री दयाकृष्ण विजय)	(श्री दयाकृष्ण विजय)
१२०३	शीर्षक	प्रश्नीत्तर	प्रश्नोत्तर
१२०१	४	दना	देना
१२०४	शीर्षक	सितम्बर, १९.१	सितम्बर, १९६१
१२०५	३	मल्टी,रपज	मल्टीपर्पज़
१२०७	अंतिम से ६	शिक्षेक	शिक्षक
१२०८	शीर्षक	तारंकित प्रश्नेत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	शीर्ष	(श्री पूनमचन्दबिश्नोई)	(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
१२०९	११	सर्तें	शर्तें
१२११	६	श्री भैरोंसिंट	श्री भैरोंसिंह
१२११	अंतिम से १०	विश्नोई	बिश्नोई
,,	,, ,, ६	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
,,	,, ,, २ व:	कन्फमेशन	कन्फर्मेशन
१२१२	१	श्री पूनमचन्दबिश्नोई	श्री पूनमचन्द बिश्नोई
१२१५	६	श्री हरिदचन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१२१५	अंतिम पंक्ति	मील ।	मील में ।
१२१८	अंतिम से १३	श्री श्रीमानसिह	श्री श्रीमानसिंह
१२२३	९ व १०	मैन्युफैक्चरिग	मैन्युफैक्चरिंग
१२२४	शीर्षक	१८ सितम्बर, १६१	१८ सितम्बर, १९६१
१२२५	६	नहीं ।	नहीं ?
१२२६	शीर्षक	१८ सितम्बर,६६	१८ सितम्बर, १९६१
१२२८	शीर्षक	१ सितम्बर, ६६	१८ सितम्बर, १९६१
१२२९	स्कम्भ	१२२९	[१२२९
१२३०	१८	१६–२६	१६–२–६१
,,	४	पेदावार	पैदावार
१२३१	१८	beeu	been
		deve lop	develop
,,	अंतिम से १३	Democratci	Demoratic
,,	अंतिक पंक्ति	ln	in
१२३२	अंतिम से ६	७ ००	७.००
१२३४	,, ,, ,,	ालये	लिये
,,	,, ,, ,,	कार्यवही	कार्यवाही
,,	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१२३६	१८	(।)	(a)
	२२	(२)	(b)
,,	२४	frcm	from
,,	अंतिम से २	चन्द्रावता पर दाघ	चन्द्रावती पर दीर्घ काल
,,	अंतिम पंक्ति	श्री मोहब्बतसिंह	श्री मोहब्बतसिंह
१२४२	११	सार्वजनिक	सार्वजनिक
,,	१५	P. W. D.	P. W. D.
१२४३	स्कम्भ	१२३४	१२४३
,,	अंतिम से	मेरा	मेरा
,,	अंतिम	लन्बाई	लम्बाई
१२४४	१४	श्री किरानारा	श्री किशनाराम
,,	१७	ाफक्सेशन	फिक्सेशन
१२४५	अंतिम से १०	।.१.६१	१--२--६१
१२४६	शीर्षक	१७ सितम्बर	१८ सितम्बर
,,	८	१५--९--६१	१५--९--६१

कालम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१२४७	११	कार्य सलाकार	कार्य सलाहकार
,,	अंतिम से ८	प्रकट करे	प्रकट करें
१२४८	शीर्षक	१५ सितम्बर	१८ सितम्बर
,,	२	श्री हरभाऊ उपाध्याय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
,,	७	१६५७.८	१६५७-५८
,,	अंतिम से ५	शीषक .४	शीर्षक ५४
१२५४	,, ,, ११	शिकयत	शिकायत
१२५५	,, ,, ३	cortine	confine
,,	,, ,, २	discussiag	discussing
१२५६	६	काम्युनिकेशन	कॉम्युनिकेशन
१२५८	७	ऐसीमुर्दनी	ऐसी मुर्दनी
१२६०	१७	सरकार	सरकार
,,	२३	जानवरो	जानवरों
१२६१	१४	समतयों	समितियों
,,	१५	बटी	बंटी
,,	,,	कसलिये	किसलिये
,,	१८	केई	कोई
,,	२५	जैलमेरा	जैसलमेर
,,	अंतिम से ४	।।ी	पानी
,,	अंतिम पंक्ति	माले	मामले
,,	,, ,,	ह ारी	हमारी
१२६२	२	होंगे	होंगे
१२६३	६	अपा ी	अपनी
,,	अंतिम से १५	दे ि ये	देखिये
,,	,, ८	घूपता	घूमता
१२६४	१०	रमादान	समाधान
,,	२७	वह	उनको
,,	अंतिम से २	टोनों	दोनों
१२६५	१३	५	१५
,,	१६	िलते	मिलते
,,	१७	पिसाब	हिसाब

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१२६५	१८	बिलकुल	बिलकुल
,,	अंतिम से ४	मेंने	मैंने
१२६६	११	खा गये।	खा गये ?
,,	अंतिम पंक्ति	ाक	कि
१२६७	४	फहती	कहती
,,	६	गुझे	मुझे
,,	१३	में मिलेंगे	में मिलेंगे,
१२६८	३	ो	तो
,,	१७	नहीं	नहीं
,,	अंतिम से ३	को, एक्सपाज	को एक्सपोज
१२६९	,, ,, १०	सेन्डर	सेन्टर
१२७०	,, ,, १०	आवश्यकता	आवश्यकता
१२७१	१६	मर रही है	मर रही हैं
,,	अन्तिम से ७	के है	के हैं
१२७२	शीर्षक	५ सितम्बर, १९६१	१८ सितम्बर, १९६१
,,	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह
,,	१०	नि	कि
,,	१५	बहर	बाहर
,,	,,	लोगों	लोगों
,,	२४	निकलते	निकालते
,,	अतिंम से २	लगाता हैं	लगता है
१२७४	शीर्ष	(श्री भैरों सिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
१२७५	अंतिम से ७	ली, आप	ली, आप
१२७६	२	प्रस्तात	प्रस्ताव
,,	१८	गांवां	गांवों
,,	२१	॰	के
१२७८	२०	व्यवस्था	व्यवस्था
,,	११	कांस्टट्युएन्सी	कॉनिस्टट्युएन्सी
,,	२२	वर्षी	वर्षों
,,	,,	वर्ष	वर्ष
१२७९	अंतिम पंक्ति	सुविवा	सुविधा
१२८०	१२	ज्यादातर	ज्यादातर

स्काम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१२८३	१२	आा	आम
,,	१६	टेनीं	देनी
,,	१७	इा	इस
,,	१९	क	के
,,	२०	तुनको	तुमको
,,	२४	सबेरे	सवेरे
,,	३२	ब ि ये	बनिये
१२८४	१६	उ,सके	उसके
१२८५	२३	लकिन	लेकिन
,,	२७	जाता ता मैं समझता हूं क	जाती तो मैं समझता हूं कि
,,	२८	जानबर	जानवर
,,	अंतिम पंक्ति	`ते	देते
१२८६	शीर्षक	मांग संख्या ५४	मांग संख्या ५४-
,,	२३	ाजतना	जितना
,,	अंतिम से ३	निल जाती	मिल जाती
१२८७	११	ल्यि	लिये
,,	२३	प्र तफल	प्रतिफल
,,	अंतिम पंक्ति	ये	चाहिये
१२८८	शीर्षक	मांग संख्या ४-१८ सिताबर	मांग संख्या ५४-१८ सितम्बर
,,	शीर्ष	(श्र मुरा ीधर व्यास	(श्री मुरलीधर व्यास)
,,	२३	देखे हां	देखे ही
१२८९	२	च्ली	चली
,,	अंतिम से ४	अधकारियों	अधिकारियों
१२८९	अंतिम पंक्ति	जाच	जांच
१२९०	१९	ाफ	फि
,,	२२	माननी ा	माननीय
१२९२	शीर्षक	मांग संख्या ५४	मांग संख्या ५४-
,,	अंतिम से ८	चेपक	चिपके
१२९३	शीर्षक	युख्य	मुख्य
,	अंतिम से २	बाटा	बांटा
१२९४	४	ताला।	तालाब
१२९५	स्काम्भ	१२५६	१२९५

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१२६५	६	हेते	होते
,,	८	फेमिला	फेमिली
,,	१०	कां	को
,,	२१	गोला	गोली
,,	अन्तिम से ३	त्रिषय	विषयं
,,	,, ,,	रिड्यूल्ड	शिड्यूल्ड
१२६६	११	करत है	करती हैं
,,	१२	पतयां	पतियों
१२६७	५	डॉ० बहादरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
,,	अंतिम से ६	होतो	होती
१२६८	१३	चाहये	चाहिये
,,	अंतिम से ७	धो षत	घोषित
१३००	शीर्षक	१५ सितम्बर	१८ सितम्बर
,,	शीर्ष	(श्रीं लद्मीचन्द)	(श्री लक्ष्मीचन्द)
,,	१३	ओग	और
१३०१	१५	है	है
१३०२	४	टल	दल
,,	२१	आपका	आपको
,,	२४	हाना चाहिये	होना चाहिये
,,	अंतिम से २	हीं कर	ही कर
,,	अंतिम पंक्ति	करेंगे	करेंगे
,,	अंतिम से ६	होंगे	होंगे
१३०३	अंतिम से ८	आचाय	आचार्य
१३०४	१६	जे पैसा	जो पैसा
१३०५	अंतिम से ४	सारे	सारे
,,	,, ,,	उका	उसका
१३०६	६	रिपोर्ट	रिपीट
१३०७	अंतिम से ३	बे	वे
,,	१६	में बात दोहरा नहीं	मैं बात दोहरा नहीं
१३०८	२०	में	मैं
,,	अंतिम से ४	न के बरा	न के बराबर
,,	,, ,, ३	बर अपने	अपने

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३०८	१४	wouldlik	would like
१३१३	१५	श्री चन्दनमल	श्री चन्दनमल
,,	२३	करें	करें
१३१४	६	सनझता	समझता
,,	१९	स्मगलिंग	स्मग्लिंग
१३१५	अंतिम से ३	डा ले	डाले
,,	,, ,, ,,	आर	और
१३१६	,, ,, १०	गलने	गलने
१३१६	अंतिम से ६	नहां	नहीं
१३१७	८	हूँ के	हूं कि
,,	१९	बक्ता	वक्ता
,,	२०	त्रटियां	त्रुटियां
,,	१२	चुनावों	चुनावों
,,	अंतिम से ४	काय	कार्य
,,	अंतिम पंक्ति	anes	Saves
१३१८	१३	रिपेर्ट	रिपोर्ट
,,	१४	मुतािक	मुताबिक
,,	अंतिम से ११	चा हए	चाहिए
१३१९	अंतिम से ८	लए	लिए
१३२०	,, ,, ५	गन्जूरी	मंजूरी
१३२१	१९	समझता	समझता
१३२३	१०	लो ।	लोग
,,	१६	ह ता ।	होता
,,	अंतिम से ९	हतोत्सा हत	हतोत्साहित
,,	,, ,, ६	अथया	अथवा
,,	,, ,, ,,	मेंसह	में सह
१३२४	३	वर्षा	वर्षा
१३२६	९	वाकी	काफी
,,	,,	कया	किया
,,	१७	नयम	नियम
,,	२१	रांय	राय

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३२६	अंतिम से ४	आ।	आप
,,	अंतिम पंक्ति	सदस्यां	सदस्यों
१३२८	६	चुना	चुना
,,	१०	हमारे	हमारे
,,	११	फेमीन	को फेमीन
१३२९	१६	रहत	राहत
,,	अंतिम से ३	आजार	आधार
१३३०	शीर्षक	सितम्बर	सितम्बर
,,	१८	श्री उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
१३३१	११	होते हैं	होते हैं
१३३२	अंतिम पंक्ति	पटवारी	पटवारी
१३३३	११	रिपोर्ट	रिपोर्ट
,,	१२	स्थिति	स्थिति
,,	१५	पटवारियां	पटवारियों
१३३४	१२	वीकार	स्वीकार
,,	१४	जिमेदार	जिम्मेदार
,,	अंतिम से ८	का	को
,,	,, ,, ६	दो किसी	दो, किसी
१३३६	१५	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
१३३७	१५	के	कि
,,	अंतिम से २	सदस्यकह	सदस्य कह
१३३८	१	दव	दावा
,,	२	लिये	लिये
,,	११	अवेंगे	आवेंगे
१३३८	१२	दभ	दम
,,	अंतिम से ३	नहीं	नहीं
,,	अंतिम पंक्ति	क बल	कम्बल
१३३९	स्कम्भ	१३९	१३३९
१३४०	११	लांग	लोग
१३४१	११	एरिया	एरिया
,,	१४	समयकोई	समय कोई

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
११४१	११	काम्रेस	कांग्रेस
११४२	शीर्ष	श्री ज लाप्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
११४३	६	म	भी
,,	११	उन्सोंने	उन्होंने
,,	अंतिम से ४	खना	देखना
११४४	१४	व्यास्था	व्यवस्था
,,	१७	आष	आप
,,	१६	सोमित	सीमित
,,	अंतिम पंक्ति	रववरे	खबरें
११४५	अंतिम से ६	सहब	साहब
,,	अंतिम से २	मुमकन	मुमकिन
११४६	२०	सरकार सरकार को	सरकार को
,,	अंतिम से २	हिन्दू	हिन्दु
११४८	,, ,, ,	Ctosure	Closure
११४८	१३ व १८	पर्टी	पार्टी
११४९	२२	nore	more
,,	२१	श्रा	श्री
११५०	१३	श्रा	श्री
,,	१८	विराध	विरोध
११५०	२०	गलत हा	गलत हो
,,	२१	िल्कुल	बिल्कुल
,,	अंतिम से ५	आपका	आपको
११५२	११	पर्पुलेशन	पॉपुलेशन
,,	अंतिम पंक्ति	मुकाबका	मुकाबला
११५३	५	नही	नहीं
,,	८	हो ो	होंगे
,,	६	और	और
,,	१४	Honble	Hon'ble
,,	१६	श्री दामोरलाल	श्री दामोदर लाल
,,	२१	राजनै तक	राजनैतिक
,,	२५	नही	नहीं

स्कन्ध संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३५३	२६	न्थिति	स्थिति
,,	२९	थी	थीं
१३५४	६	नहां	नहीं
,,	१२	ि तने	कितने
,,	१४	अपा आ को	अपने आपको
,,	१८	ाकस	किस
,,	अंतिम से ६	खलाफ	खिलाफ
१३५५	८	मैने	मैंने
१३५६	३	घास-पानी	घास पानी
१३५७	१	काशिश करें ता	कोशिश करें तो
,,	अंतिम से ७	आदमियां	आदमियों
१३५८	१९	बांर	बार
१३५९	२२	नह	नहीं
१३६१	१८	हुए	हुए
१३६३	२	विकने	बिकने
,,	१५	भी भैरोसिंह	श्री भैरोसिंह
,,	अंतिम से २	अला ा	अलावा
१३६४	१५	करोई	कमाई
१३६६	८	मा र्त	मार्फत
,,	११	इसलिए	इसलिए
१३६७	४	कहा जा सकता कहा है	कहा जा सकता है कहा
,,	१५	पश्चि ा	पश्चिम
,,	अंतिम से ६	मुमकिन	मुमकिन
,,	,, , ३	सत्त	बात
१३६८	२०	समझा ो	समझता
,	,,	कय्ांकि	क्योंकि
१३६९		नहां	नहीं
,,	१६	जाननारी	जानकारी
,,	१७	वज	जब
,,	१८	बता ों	बताने
१३७०	१	मै	मैं

स्काभ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३७१	अंतिम से ६	घोषित	घोषित
,,	,, ,, ६	हती	होती
१३७२	४	पंचायतो	पंचायतों
१३७३	अंतिम से १	चाहये	चाहिये
१३७४	१२	एतराज नही	एतराज पेशी
१३७५	२१	ठेके	ठंडे
१३७६	अंतिम से ६	नही	नहीं
१३७७	स्काभ	०३७७	१३७७
,	अंतिम से ६	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
,	अंतिम पंक्ति	फेमान	फेमीन
१३७८	१२	गांवें क	गांवों के
,,	अंतिम से ४	पंधायत समिति	पंचायत समिति
,,	२१	खर्च होता	खर्च
१३७९	१६	वहों	वहाँ
१३८१	१७	समभता	समभता
,,	२२	मे	में
,,	,,	करने क	करने के
,,	२४	इन्तजा	इन्तजाम
,	६	मालुभ	मालूम
१३८२	२	खर्ा	खर्चा
१३८४	१०	बोट	वोट
१३८५	स्काभ	१२८५	१३८५
,,	अन्तिम से ६	withdram	with raw
१३८६	४	m-mber	member
१३८७	८	शशास्त्र	सशास्त्र
,,	अंतिम से ७	ghculd	should
१३८८	१८	निन्मलिखित	निन्मलिखित
,,	अंतिम से ५	कार्यों	कार्यो
,,	४	घन के	धन के
१३८९	६	PIS tion	completiom
१३८६	१६	ttansfer	Transfer

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३६०–६६	शीर्षक	औचित्य प्रश्न...अनुपूरक मांग ५२	अनुपूरक मांग संख्या ५२ सामुदायिक विकास परियोजना इत्यादि
१३६०	६	Hon lele	Hon'ble
,,	६	Oredit	credit
,,	११	भैरोंसिह	भैरोंसिंह
,,	१२	श्री श्र भानसिह	श्री श्रीभानसिंह
,,	,,	Oyes	Yes
,,	१६	भात्रना	भावना
,,	,,	यिषय	विषय
१३६३	६	जा ें	जावें
१३६४	१२	दौ कटौती	दो कटौती
,,	२०	पचायत	पंचायत
,,	२७	गमीर	गंभीर
१३६५	अन्तिम से ५	टान्सफर	ट्रान्सफर
,,	स्कम्भ	१३५६	१३६५
१३६६	१०	का सबाल	का सवाल
,,	७	ता	तो
१३६७	अन्तिम से ६	सदम्यों	सदस्यों
१३६८	शीर्षक	सितम्बर	सितम्बर
,,	८	उपाव्यक्ष	उपाध्यक्ष
१३६६	स्कम्भ	१२६६	१३६६
,,	१७	बारिस	वापिस
,,	अंतिम	संख्या ५	संख्या ५२
१४००	१०	पड़ितों	पीड़ितों
१४०१	अंतिम से ६	शीर्पक	शीर्षक
१४०२	७	विभाग	विभाग
१४०३	१२	निभित्त	निमित्त
१४०४	शीर्षक	शेष अनुपूरक....मांगों पर मुखबंध	राजस्थान विनियोग (सं० ४) विधेयक–१९६१
,,	अंतिम से ६	WIl	Will
,,	,, ,, ५	Honse	House
,,	,, ,, ४	Supplementay	Supplementary
,,	अंतिम पंक्ति	grante and tho	grants and the

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१४०५	२	definilt	definite
,,	१३	Gouernor	Governor
,,	१६	Bil	Bill
,,	१६	aud	and
,,	,,	Excss	Excess
,,	२१	tne	the
१४०६	शीर्षक	शेस	शेष
१४०७	७	tomorrwat	tomorrow
,,	६	गजे	बजे
१४०६	अंतिम से ६	सहमति	सहमति
१४१०	१२	द्व रा	द्वारा
१४११	१०	विविध	विविध
१४१३	शीर्षक	संक्षिप्त-विवर	संक्षिप्त-विवरण
,,	४	—	की कार्य-सूची
,,	अंतिम पंक्ति	बिमर्श	विमर्श
१४१६	८	843	844
१४१६	११	S. No. 63	S. No. 68
१४२५	शीर्षक	परिशीष्ट	परिशिष्ट
१४२८	१५	Supqlied	Supplied
१४३३	१	Subjetc	Subject
,,	अंतिम से ६	Provis	Proviso
१४३५	१४	प चायत	पंचायत
,,	अंतिम से ८	धनराश	धनराशि
१४३६	७	Salien	Salient
,,	१४	पंचयात	पंचायत
,,	अंतिम से ५	मेजी	भेजी
१४३७	२	Secrtarv	Secretary
,,	अंतिम से २	for mulation	formulation

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
विषय सूची	७	संख्या ५२ शीर्षक	संख्या ५२, मुख्य शीर्षक
,,	१०	(पुनःस्थापन)	(पुरः स्थापन)
११८०	शीर्षक	१८ सितम्बर, ६६	१८ सितम्बर, १६६१
११६८	शीर्ष	(श्री दयाकृरण विजय)	(श्री दयाकृष्ण विजय)
१२००	१३	(श्री दयकृष्ण विजय)	(श्री दयाकृष्ण विजय)
१२१२	६	श्री पूनमन्चद	श्री पूनमचन्द
१२२२	शीर्षक	१८ सितम्बर ६६	१८ सितम्बर, १६६१
१२४७	१०	(१२१५ म. प.)	(१२.१५ म. प.)
१३१२	अन्तिम से ६	श्री चन्दममल वैद	श्री चन्दनमल वैद
१३२६	शीर्षक	१८ सितय्बर, १६६१	१८ सितम्बर, १६६१
१३८३	,,	मुर्भिक्ष	दुर्भिक्ष
१४०५	६	enlightun	enlighten

शुद्धि-पत्र का अनुपूरक शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	स्कम्भ संख्या पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२	४ पक्ति १४	यीं कि	थीं कि
,,	,, ३ ,, ३१	श्री हरिश्चन्द्र	श्रो हरिश्चन्द्र
३	, ४ ,, १३	Demorctic	Democratic
,,	,, , , २२	चन्द्रावती पर दीर्घ श्वास	चन्द्रावती पर दीर्घ
,,	,, ३ ,, ३३	१५-६-६१	५-६-६१
५	,, ३ ,, १	विलकुल	विचकुल
,,	,, ३ ,, २३	ली, आप	ली आप
,,	,, ४ ,, १८	कॉबिस्टट्युएन्सी	कॉन्स्टिट्युएन्सी
,,	,, ४ अन्तिम से २	सुषिधा	सुविधा
,,	,, ३व४ ,, २४	फ व कि	मा नलें व मान लें

पृष्ठ संख्या	स्कम्भ संख्या पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
७	स्क. ३ पं. २८	होंगे	होगे
,,	,, ४ ,, २८	व	वे
८	,, ३ ,, २	श्री चन्दनमल	श्री चनेदनमल
,,	,, ,, ,, ८	गलने	गलने
,,	,, २ ,, १३	१२	२२
,,	,, ३ ,, २१	समझता	समझता
६	,, ३ ,, [illegible]	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
९	,, १ व ४ पं. ११	१३२७ व सदस्य कह	१३३७-सदस्य कह
११	,, ४ ,, २	थीं	थीं
११	,, ३ पंक्ति २	मुमकिन	मुमकन
,,	,, १२ ,, २[illegible]	,,	८
,,	,, ३३ ,, २६	वज	जव
१२	,, ४ ,, ५	षेशी	पेश
,,	,, ४ ,, २३	wtthraw	With drawn
,,	,, ४ ,, २४	nember	member
,,	,, ४ ,, २७	निन्म लिखित	निम्नलिखित
,,	,, ४-अंतिम से २	completiom	Completion